खण्ड-235, अंक-10
मंगलवार, 24 आश्विन, शक संवत् 1884
(16 अक्टूबर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९४७–९५१
प्रश्नोत्तर	९५१–९९२
प्रश्नों तथा नियम ५२ के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी	९९२–९९३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	९९३
बस्ती जिले की हरैया तहसील में घाघरा के कटाव से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	९९३
२७ सितम्बर, १९६२ की विधान सभा की कार्यवाही की नेशनल हेरल्ड के सम्पादकीय लेख में टीका के संबंध में अभिसूचित नेशनल हेरल्ड तथा उसके सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (निर्णय स्थगित) ..	९९४–१००८
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय––विचार जारी)	१००८–१०४२
राज्य मद्य निषेध बोर्ड के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम	१०४२–१०४३
जनसंघ के प्रदर्शनकारियों द्वारा सदस्यों के सदन में आने पर रुकावट डालने के संबंध में सूचना	१०४३–१०४४
नत्थियां	१०४५–१०६०

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप,लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष,श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवैद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुमन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशी प्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णासिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवादीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद ,श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री

राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री

सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियावुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा सिंचाई उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाँडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १६ अक्तूबर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

नलकूप विभाग, मैनपुरी के अमीन की सर्विस बुक में गड़बड़ी

*१—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल विभाग में कुछ ऐसे अमीन भी कार्य करते हैं जिनका तबादला हुये छः वर्ष हो गये हैं और उनकी सर्विस बुक उनके कार्यालय में नहीं भेजी गई जिससे उन लोगों की वेतन-वृद्धि भी नहीं हो सकती है ? अगर हाँ, तो इस प्रकार की अव्यवस्था का कारण क्या है ?

सिंचाई उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—जी हाँ । नलकूप विभाग में एक ऐसे अमीन हैं जो छः वर्ष पूर्व नलकूप डिवीजन मैनपुरी में स्थानान्तरित होकर आये थे । विभाग में इनके हमनाम तथा इनसे सीनियर एक और कर्मचारी भी थे, जिनकी मृत्यु हो गयी है । हमनाम होने के कारण भूल से मृतक कर्मचारी की सर्विस बुक में मौजूदा व्यक्ति की entries होती रहीं । इन्हें ठीक करने में समय लगा । फलतः इनकी वेतन-वृद्धि रुकी रही । अब सर्विस बुक ठीक की गई है ।

श्री बृजेश्वरसहाय—माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस अमीन की सर्विस बुक ६ वर्ष तक नहीं भेजी गई और जिससे उसकी पदोन्नति रुकी रही, क्या जिन कर्मचारियों के कारण ऐसा हुआ उनके खिलाफ कोई उचित कदम उठाया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, उनको वार्न किया गया है ।

श्री बृजेश्वरसहाय—माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो अमीन उस सर्विस बुक के न पहुंचने के कारण जिलेदारी की परीक्षा में नहीं बैठ सका, क्या उसको पुनः जिलेदारी की परीक्षा में बैठने की आज्ञा प्रदान की जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, इसके लिये तो अवश्य प्रयत्न किया जायगा कि कोई भूल जो हुई हो उसको दुरुस्त किया जाय ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या केवल नाम में ही समानता थी या पैरेन्टेज और ऐड्रेस में भी समानता थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—नाम में, जाति में और ऊंचाई में कई चीजों में समानता थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अमीन का तबादला किस सन् में हुआ था और दूसरा अमीन जो मरा है वह किस सन् में मरा है और सर्विस बुक कब ठीक की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, यह जो गलती हुई वह ४४ से ५६ तक यह एन्ट्रीज होती रहीं । ४४ तक वह जीवित था, तब तक एन्ट्रीज ठीक थीं । ४५ से एक के बजाय दूसरे में एन्ट्रीज होने लगीं और वह एन्ट्रीज सन् ५६ तक चलती रहीं ।

निधपुर परगने में बांध तथा ठोकरें बनाने की प्रार्थना

*२—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला एटा की तहसील अलीगंज के परगना निधपुर क्षेत्र की पीड़ित जनता को जन-धन की रक्षा हेतु गंगा का बाँध तथा ठोकरें परगना निधपुर जिला एटा में बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी नहीं, ऐसी कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है ।

मुरादाबाद डिवीजन की नलकूप योजना

*३—**श्री जुगलकिशोर** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद डिवीजन में इस वर्ष कितने नये नल कूप बनाने की योजना है और उनमें तहसील गुन्नौर में कितने नये नल कूप बनाये जावेंगे, कहाँ-कहाँ और कब तक ?

श्री राममूर्ति—इस वर्ष १९६२-६३ में मुरादाबाद डिवीजन में कुल १४ नलकूपों के निर्माण की योजना है । तहसील गुन्नौर में कोई भी नलकूप बनाने का विचार नहीं है ।

खण्ड मुरादाबाद में चकबन्दी प्रभावित नलकूप

*४—**श्री हेतरामसिंह** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुरादाबाद दक्षिण Division में चकबन्दी के कारण खेतों की पुरानी मेड़ें तोड़ दी गईं और चकबन्दी में नई मेड़ें बनाई गईं जिससे नलकूपों की पुख्ता गूलों के कुलावे जो मेंड़ों पर बनाये गये थे अब बीच खेतों में आ गये हैं और दूसरे काश्तकार सिंचाई नहीं कर पाते ? क्या सरकार मेड़ों पर कुलाबे बनाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—नलकूप खंड मुरादाबाद में चकबन्दी के कारण पक्की गूलों पर बने हुये जो कुलाबे खेतों के बीच में आ गये हैं उनको मेड़ों पर बनाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पीनना ड्रेन में अध्याप्त भूमि

*५—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित) तथा रामचन्द्रसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में आज लगभग चार वर्ष पूर्व पीनना ड्रेन का जो एक्सटेंशन हुआ था उसमें जिन किसानों की जमीन ली गई थी क्या उन किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा अदा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और यह मुआवजा कब तक अदा किया जाने वाला है ?

श्री राममूर्ति—इस कार्य के लिये आरम्भ में रूरल डेवेलपमेंट ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत तीन वर्षों के लिये ५३.३५९ एकड़ भूमि ली गई थी और उसका ८२८ रु० ३९ नये पैसे का जो मुआवजा हुआ था वह भी दे दिया गया था। परन्तु बाद में यह निश्चित किया गया कि इसमें से ४५-३९९ एकड़ भूमि को स्थाई रूप से acquire कर लिया जाय। अतः Land Acquisition Act, 1894 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और इसके लिये १६,२०० रु० जो मुआबजे की अनुमानित रकम थी वह खजाने में जमा कर दी गई है यह आशा की जाती है कि मुआवजे की रकम निर्धारित होकर किसानों को शीघ्र ही दे दी जायेगी।

दुल्ला खेड़ी ग्राम से नाला खुदवाने की योजना

*६—श्री विजयपाल सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री रामचन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में परगना झिझाना स्थित ग्राम दुल्ला खेड़ी में बरसाती पानी के निकास के लिये नाला खोदने की तजवीज पिछले पाँच वर्षों से अपर जमुना डिवीजन (नहर) के विचाराधीन है तथा उक्त नाले का सर्वे भी कई बार कराया जा चुका है ? यदि हाँ, तो अब तक नाला न खुदने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—प्रस्तावित नाला ५ मील से कम लम्बा है अतः संबंधित कागजात जिला नियोजन अधिकारी, मुजफ्फरनगर को नाला श्रमदान द्वारा खुदवाने के लिये भेज दिये गये हैं।

सिंचाई विभाग के कर्मचारी

*७—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि—

(अ) १ जनवरी, १९५९ से ३१ जुलाई, १९५९ तक कितने कर्मचारी सिंचाई विभाग में रिवर्ट किये गये तथा यह भी बतायेंगे कि इन रिवर्टिंग कर्मचारियों द्वारा किये गये किन्हीं भी रिप्रिजेन्टेशन या अपीलों के फैसले मियाद के अन्दर हुये या नहीं ? यदि इस निर्धारित अवधि में फैसले नहीं होते हैं तो इन राज कर्मचारियों को फैसला दिलवाने का क्या कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत निश्चय ही उनके फैसले की सूचना दी जा सके ?

(ब) १ जनवरी , १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक मुख्य अभियन्ता को प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियों के प्रार्थना-पत्रों पर लगे हुये उन टिकटों का क्या हुआ जिनकी प्रतिलिपियां नहीं दी गईं तथा टिकटों का कितना मूल्य है, जो कि प्रार्थियों को प्रतिलिपियाँ न देकर लौटाया नहीं गया ?

(स) क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारी १९५६ में रिश्वत के केस से हाईकोर्ट से निरपराध घोषित किये गये ? निरपराध घोषित होने के बाद क्या उनके मुहकमें से अलग रहने का वेतन उनको अब तक दिया गया है ? कितने ऐसे केस सन् १९५६ से ३१ मार्च, १९६२ तक आपके कार्यालय में पड़े हुये हैं और अब सरकार उन पर कब तक फैसला देने का विचार रखती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इस प्रश्न का उत्तर संकलित करने में जो समय, धन तथा परिश्रम का व्यय होगा, वह लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

श्री बिजयसिंह—मान्यवर, यह प्रश्न २५-८-१९६२ को दिया गया था और २५-९-१९६२ को यह उत्तर दिया गया था कि उसके आँकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और यह प्रश्न बहुत विस्तृत है। इसको एक महीना हो गया। पहले इसको स्वीकार नहीं किया गया था और बाद को स्वीकृत किया गया तो यह कहा गया था कि एक मास में एकत्रित हो जायेंगे। अब यह उत्तर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—स्वीकार तो हम करते हैं, जवाब वह देते हैं शायद जवाब एकत्र करने में उनको कठिनाई मालूम हुई हो।

श्री विजयसिंह—पूरे प्रान्त के न हो सकें तो बुन्देलखंड के लिये ही कर दिया जाय। उसमें बड़ी गड़बड़ है। हजारों रुपये के टिकट पड़े हुये हैं जिनको वापस नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। मंत्री जी उनकी मदद कर दीजियेगा।

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, आपने सवाल को पढ़ा होगा। यह सवाल सारे सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। एक-एक डिवीजन से सारे आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। उनमें बहुत-सा रुपया व्यय होगा। अगर माननीय सदस्य किसी परटीकुलर जगह के बारे में दिलचस्पी रखते हों, तो बतायें, उसको मालूम कर लिया जायगा और उसका उत्तर मिल जायगा।

श्री विजय सिंह—मैं समझता हूं जालौन और झांसी के बारे में ही कर दें।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न भेज दीजियेगा।

श्री विजय सिंह—बहुत अच्छा।

फैजाबाद क्षेत्र में नलकूपों का पूरे समय न चलना

*८—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत माह जून में कोयले की कमी से (Tube well) नलकूप विभाग, जिला फैजाबाद ने केवल २४ घंटे में २-३ घन्टे ही बिजली का उपयोग कराया जिस कारण काश्तकारों को पानी पूरा तथा समय पर न मिल सका और फसल को काफी क्षति पहुंची तथा अन्य व्यक्तियों को भी जिन्हें बिजली दे रखी है उन्हें भी उतने समय बिजली मिली ?

श्री राममूर्ति—जून, १९६२ महीने की तारीख ९ से १८ तक सोहवल पावर हाउस पर कोयले की कमी के कारण जिला फैजाबाद में नलकूप खंड के नलकूपों एवं अन्य उपभोक्ताओं को लगभग ५० प्रतिशत कम बिजली प्रदान की गई। नलकूपों को बिजली कम मिलने के परिणामस्वरूप पूरी सिंचाई नहीं हो सकी और फसल को कुछ क्षति पहुंची। किन्तु बाद में १९-६-६२ से जब बिजली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गई तो यथासम्भव अधिक से अधिक पानी दे कर क्षतिपूर्ति का प्रयास किया गया।

महरौपुर नहर का ठेका

*९—श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद टांडा महरौपुर नहर (कैनाल) पर कुल कितने ठेकेदार काम करने वाले हैं और उक्त ठेकेदार किन-किन जिलों के हैं और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जिला फैजाबाद, टांडा, महरौपुर नहर पर काम करने वाले ठेकेदारों की संख्या ६१ है जिनके नाम और जिले की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०४५ पर)

*१०—श्री सुखरामदास—क्या यह सही है कि उक्त नहर के इंजीनियर जिला मेरठ के हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं ।

*११—श्री सुखराम दास—क्या उक्त इंजीनियर को कोयले का कोटेशन १५० रु० पर ठेकेदारों ने दिया था परन्तु उक्त ठेकेदारों को न देकर दूसरे ठेकेदार को २०० रु० पर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय— जी नहीं, १५० रु० पर किसी ठेकेदार ने कोटेशन नहीं दिया था । अलबत्ता एक फर्म ने कोयले की ढुलाई का कोटेशन १६० रु० प्रति वैगन दिया था, परन्तु यह फर्म ढुलाई के कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करने को तैयार न हुई । अतः ढुलाई का कार्य एक अन्य ठेकेदार द्वारा १० रु० प्रति टन की दर से लगभग २०० रु० प्रति वैगन कराया गया ।

श्री सुखरामदास—क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह इंजीनियर महोदय जहां के हैं उसी जिले के यह ठेकेदार लोग हैं ?

श्री राममूर्ति—इसमें नत्थी दी गई है उसमें बता दिया गया है कि इंजीनियर महोदय अलीगढ़ के हैं और अलीगढ़ का इनमें से कोई ठेकेदार नहीं है । इनमें बुलन्दशहर, आजमगढ़, सहारनपुर, बहराइच और वाराणसी के हैं ।

श्री सुखरामदास—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि यह ठेकेदार लोग क्यों वहां से आते हैं क्या फैजाबाद जिले में इस काम के लिये ठेकेदार नहीं मिलते ?

श्री अध्यक्ष—फैजाबाद के ठेकेदार क्यों नहीं रखे जाते, आपका यह मतलब है ?

श्री सुखरामदास—जी हां ।

श्री राममूर्ति—फैजाबाद के ठेकेदारों की फौज की फौज है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर और बुलन्दशहर के जो ठेकेदार फैजाबाद में काम कर रहे हैं क्या ये इंजीनियर महोदय से सम्बन्धित होने की वजह से वहां गये हैं, इस बात की वह जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि सम्बन्धित इंजीनियर महोदय अलीगढ़ के रहने वाले हैं । ठेकेदार सहारनपुर के हैं और बुलन्दशहर के हैं और कई दूसरी जगह के हैं । ठेके का कायदा यह है कि ठेकेदार से टेन्डर मांगे जाते हैं । अगर दूसरे जिले का आदमी टेन्डर दे दे तो क्या बात है । सहारनपुर का आदमी अगर टेन्डर देता है तो वह जिला भी इसी प्रदेश के अन्दर है । हम उसको कैसे रोक सकते हैं कि वह टेन्डर न दे ।

श्री मैनेजर सिंह—मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच कराई जायगी कि सहारनपुर और बुलन्दशहर का जो ठेकेदार फैजाबाद में काम कर रहा है इंजीनियर साहब के क्षेत्र में क्या वह उन इंजीनियर महोदय से सम्बन्धित है और इसी वजह से वहां जाकर वह काम कर रहा है ?

श्री राममूर्ति—मैं इसकी जांच कराने के लिये तैयार नहीं हूं । इन बातों से खामख्वाह एक आदमी स्कैन्डलाइज होता है । अगर माननीय सदस्य के नोटिस में कोई स्पेसिफिक बात हो कि अमुक व्यक्ति उनसे सम्बन्धित है तो मैं जांच करा सकता हूं और इंजीनियर महोदय को तम्बीह करा सकता हूं कि वह इस तरह की बात न करें लेकिन जनरल में इस तरह की जांच कराना विभाग के हित में नहीं है और न यह जनरल पब्लिक के इन्टरेस्ट में है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार इस बात के आदेश जारी करेगी कि जिस जिले के इंजीनियर साहब हों उस जिले के ठेकेदार को, जहां पर इंजीनियर तैनात हों, वहां पर उनको काम न दिया जाया करे ?

श्री अध्यक्ष—अभी मंत्री जी ने कहा है कि टेंडर मांगे जाते हैं और जिनके टेंडर स्वीकार हो जाते हैं उनको काम दिया जाता है। अब अगर यह नियम बना दिया जाय कि वहां के काम के लिये फैजाबाद के ठेकेदारों की मानोपोली हो, तो दिक्कत होगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—मेरी यह सूचना है कि यह इंजीनियर महोदय जहां पोस्ट होते हैं वहां ही अपने यहां के ठेकेदारों को बुलाकर काम देते हैं और क्या सरकार इस प्रैक्टिस को रोकने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, रिहन्द डैम बना और उसके ठेकेदार आये बंबई से, माताटीला बांध में पंजाब के ठेकेदारों ने काम किया, तो हम ठेके के लिये टेन्डरों को देखें अथवा आदमियों को ? अध्यक्ष महोदय, मैं आप से विनय करता हूं और माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रकार की भावना रखना ठीक नहीं है। आखिर सहारनपुर और बुलन्दशहर इसी प्रदेश और देश के जिले हैं। मैं इस बात को ठीक नहीं समझता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सिंचाई मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि कुछ ठेकेदारों ने लिख कर इस बात की शिकायत की है कि बावजूद इसके कि उनका टेन्डर ज्यादा था, लेकिन उन लोगों को ठेका नहीं दिया गया और जिन ठेकेदारों में इंजीनियर साहब दिलचस्पी रखते थे उनको ठेके दिये गये ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—स्पेसिफिक सवाल होना चाहिये कि किसने शिकायत की।

श्री रामायण राय—क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि यह इंजीनियर महोदय जिस स्थान पर पोस्ट किये जाते हैं वहां पर कुछ खास उनके ठेकेदार हैं जिनको काम मिलता है और जो उनके साथ काम करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप यह पूछ सकते हैं कि अमुक ठेकेदार वहां था जब वे वहां पोस्टेड थे और उसके बाद जब यहां पोस्टिंग हुई तो यहां भी उसे काम मिला। इस प्रकार का स्पेसिफिक प्रश्न होना चाहिये।

श्री रामायण राय—मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि बुलन्दशहर के जो ठेकेदार काम कर रहे हैं इसके पहले इंजीनियर साहब की जहां पोस्टिंग थी वहां भी वे काम करते थे ?

श्री अध्यक्ष—कहां पोस्टिंग थी ?

श्री रामायण राय—यह सूचना तो मंत्री जी के पास होगी।

श्री अध्यक्ष—जी नह ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—उक्त इंजीनियर महोदय इसके पहले जहां थे वहां भी इस तरह की शिकायतें थीं कि यह उन्हीं ठेकेदारों को ठेके देते हैं जिनके बारे में यह शिकायत हुई है ?

श्री अध्यक्ष—पहले भी क्या इन इंजीनियर महोदय के बारे में इस प्रकार की शिकायत आयी है ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्यों को यह ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिये कि मैं इंजीनियर साहब का बड़ा हामी हूं। अगर कोई स्पेसिफिक बात बतला दी जाय तो मैं उसको पूरी जांच करा लूंगा लेकिन इस तरह से जनरलाइज करना कि जहां यह जाते हैं वहां अपने ठेकेदारों को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक नहीं है। अगर कोई खास बात बतलायी जाय तो मैं उसको पूरी जांच कराऊंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से जमींदारी समाप्त कर दी गयी उसी प्रकार क्या इस ठेकेदारी को भी समाप्त करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री अध्यक्ष—यह फिर पूछ लीजियेगा।

सिंचाई विभाग के सेक्शनल आफिसर

*१२—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५४ ई० में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इन्टीग्रेड करके सेक्शनल आफिसरों की कोई मेरिट लिस्ट बनाई गई थी ? और यदि हां, तो कितनों की और उनमें से अब तक कितने बगैर डिपार्टमेंटल परीक्षा पास किये स्थायी हो चुके हैं, और कितने नहीं और क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३—**श्रीमती सुशीला रोहतगी** (जिला कानपुर)—[१४वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१४—**श्रीमती सुशीला रोहतगी**—[१४वें सोमवार के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

देवरिया जिले में रेगुलेटर तथा अन्य सिंचाई कार्यों के लिये सर्वेक्षण

*१५—**श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २५ जुलाई, सन् १९६२ ई० को जब देवरिया जिले में गये थे तो देवरिया जिले के किसी विधायक ने जैठन नाला भवन नदी के छोटी गंडक के मिलन स्थान पर रेगुलेटर लगाने और राज्य मार्ग नं० २८ पर होतिमपुर के पच्छिम वाले पुल को चौड़ा करने और अन्य बांधों के निर्माण के लिये निवेदन किया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां। रेगुलेटलर की व्यवस्था की योजना विचाराधीन है तथा सर्वेक्षण कराने का प्रबंध किया जा रहा है। अन्य बांधों के निर्माण हेतु मुख्य नदियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। राज्य मार्ग का कार्य सिंचाई विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री बांकेलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि राज्य मार्ग नं० २८ जो छोटी गंडक के पास है, वहां होतिमपुर के पश्चिम की तरफ बाढ़ के कारण भूमि कट जाती है। तो वहां पर पुल निर्माण के हेतु कोई योजना विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—आपने २८ राज्य मार्ग पर पुल के निर्माण के लिये कहा है और होतिमपुर के पश्चिम वाले पुल को चौड़ा करने की आपने मांग की है, लेकिन इस का सम्बन्ध पी०डब्लू०डी० से है और सिंचाई विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो बांध का सर्वेक्षण हो रहा है, तो उक्त बांध की लंबाई कितनी है और उससे कितने एकड़ फसल बचाई जा सकेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, यह तो रेग्युलेटर है, बांध के लिये सर्वेक्षण हो रहा है। अभी उसके लिये निश्चित रूप नहीं बताया जा सकता है।

श्री बांकेलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कहां-कहां यह रेगुलेटर लगाने की योजना विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, रेग्युलेटर लगाने की व्यवस्था जैठन नाला भवन नदी के लिये है। परन्तु अभी पूरी चीज जब तक फाइनलाइज न हो जाय, उसके विषय में कैसे विस्तृत विवरण दिया जा सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया, गोरखपुर, बहराइच और बस्ती के लिये कोई वृहत् योजना सरकार के पास विचाराधीन है, जो करीब १५ करोड़ रुपये की है। उसमें रेगुलेटर, नदियों के पुल आदि यह सब उसमें आ जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, रुपये के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक राप्ती और घाघरा नदी का ताल्लुक है, उसका पूरा सर्वेक्षण हो रहा है और उसके बाद ही कोई वृहत योजना बनाने का सवाल होगा। उसके बाद प्रायरिटी के काम देखे जायेंगे। परन्तु अभी मैं यह विस्तृत रूप नहीं बता सकता हूं।

श्री बांकेलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ से प्रभावित क्षत्र में बांध बनाने की कोई रूपरेखा है और यदि है तो क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैंने पहले भी निवेदन किया कि सवेक्षण के बाद ही इस विषय में कुछ कहना संभव होगा।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि देवरिया में जो अभी बाढ़ आई है, उस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक पत्र लिखा है प्रादेशिक सरकार को कि इस कार्य में जितना खर्चा होगा वह १२ करोड़ के करीब भारत सरकार देने को तैयार है। तो क्या मंत्री जी जल्दी से जल्दी सर्वेक्षण कराकर कार्य को संपादित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—भारत सरकार का क्या पत्र आया है, यह मुझे नहीं मालूम है, लिहाजा मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक बाढ़ का ताल्लुक है, उसके सिलसिले में जो यहां वक्तव्य दिये गये और जहां तक बड़ी गंडक का ताल्लुक है वह एक मसला अलग है कि नेपाल के इलाके में काम किया जाय या नहीं। बाकी राप्ती का सर्वे हुआ है, घाघरा का हो रहा है। छोटी दरियाओं का सर्वे होता रहता है और जो योजनायें बनेंगी उनको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जायगा।

चोलापुर ब्लाक में नहरी पानी से क्षति

*१६—**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री को २१ अप्रैल, १९६२ को शारदा नहर की शाखा के पानी की ताड़ी गांव (चोलापुर ब्लाक, वाराणसी) के बाद निकासी का प्रबंध न होने के कारण एतदर्थ प्रार्थना-पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि बेला और रौना के अनेक किसानों के बोये बीज और उगी हुई फसल की बरबादी नहर के अनियंत्रित रूप से बहने वाले पानी से होती रहती है ? इस पर मंत्री ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, उस पर जांच की जा रही है।

*१७—**श्री रघुनाथसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री किसानों की प्रार्थना को अनसुना कर देने वाले इक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहर विभाग, जौनपुर को विशेष हिदायत देंगे कि इस भारी नुकसान को रोकने और नहर के पानी से खेतों को लाभ पहुंचाने के लिये शीघ्र ही स्वयं जांच-पड़ताल करके उचित व्यवस्था करें ?

श्री राममूर्ति—जी हां। उसके लिये आवश्यक कार्यवाही हो रही है। फालत पानी को "नद" नदी में लेजाकर गिराने के लिये एक ७ फर्लांग लम्बा नया नाला खोदा गया है।

*१८—**श्री रघुनाथसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री नहर के अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करके सूचित करने की कृपा करेंगे कि अनावश्यक रूप से फाजिल पानी खेतों के डूब जाने और इस प्रकार भारी नुकसान होने पर भी किसानों से उल्टे सिंचाई कर क्यों वसूल किया जाता है ?

श्री राममूर्ति—प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई कर उन्हीं किसानों पर लगाया गया है जिन्होंने टेल गूल से वास्तव में सिंचाई की। कुछ स्थानों में जहां पर जनवरी, १९६२ में शीतकालीन अप्रत्याशित वर्षा के कारण हानि हुई, सिंचाई कर से छूट देने के लिये आवश्यक जांच के बाद कार्यवाही भी की जायगी।

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में ड्राइवरों का शेष भुगतान

*१९—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज के कानपुर के रीजन में कितने राजकीय रोडवेज बस ड्राइवर हैं जिनके वेतन तथा Increment भुगतान के बिल पड़े हुये हैं ? उनके सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री होरीलाल यादव—यह प्रश्न २१ अगस्त को दिया गया था और २५ सितम्बर को स्थगित किया गया। बस कंडक्टर, ड्राइवरों को बहुत कम वेतन मिलता है तो क्या मंत्री जी अधिकारियों को आदेश देंगे कि वेतन और बकाया और जल्दी अदा कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—इसमें क्या कार्यवाही हो रही है, पहले वह तो मालूम हो। सवाल यह है कि क्या यह वाक्या है कि ड्राइवरों के वेतन और इनक्रीमेंट के भुगतान के बिल पड़े हुये हैं। तो एक्सप्लेन कीजिये कि क्या कार्यवाही की जा रही है और सूचना क्या एकत्र कर रहे हैं ?

श्री गनेशीलाल—इसी की तो जानकारी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—इस जानकारी में बहुत समय लग रहा है। यह २५-९-६२ को स्थगित हुआ था। अब जरा जल्दी कीजियेगा।

श्री मैनेजरसिंह—क्या इस जानकारी के प्राप्त करने के लिये एक अलग विभाग खोल कर उसमें एक मंत्री नियुक्त कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—जल्दी होनी चाहिये।

श्री गनेशीलाल—इसमें बड़ी शीघ्रता की जायेगी।

रोडवेज बस कंडक्टरों व क्लर्कों की तरक्की के नियम

*२०—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज बसों के कन्डक्टरों और क्लर्कों की तरक्की (प्रोमोशन) के क्या तरीके हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०४६ पर)

*२१—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—क्या परिवहन विभाग द्वारा कोई ऐसा सर्कुलर निकाला गया है जिसमें ४० प्रतिशत कन्डक्टरों और २० प्रतिशत बाबू लोगों को तरक्की देने और शेष ४० प्रतिशत बाहर से नियुक्ति का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो जिन बाबुओं की सेवायें बारह वर्ष से अधिक की हो चुकी हैं वे कब प्रोमोट होंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। तरक्की स्थान रिक्त होने तथा कर्मचारियों की ज्येष्ठता और काम के रिकार्ड पर निर्भर है।

कुरावली ब्लाक में महादेवा बम्बा का निर्माण

*२२—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सिंचाई मंत्री २१ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न १८६ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में जो बड़े व छोटे बम्बे बना रहे हैं उन बम्बों में कितने मील मैनपुरी ब्लाक व कुरावली ब्लाक (जिला मैनपुरी) में बनाने जा रहे हैं और कहां-कहां पर ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जिला मैनपुरी में मैनपुरी ब्लाक में कोई योजना बम्बा बनाने की नहीं है। कुरावली ब्लाक में महादेवा बम्बा जिसकी लम्बाई ६ मील २ फर्लांग है, बनाया जा रहा है।

*२३—श्री बृजेश्वरसहाय—उपरोक्त बम्बे कब से बनना प्रारम्भ होंगे और मैनपुरी व कुरावली ब्लाक के कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—महादेवा बम्बा का निर्माण-कार्य चालू है। यह बम्बा लगभग ५ मील खुदकर तैयार हो चुका है। शेष कार्य के इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जाने की आशा है।

*२४—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में कुरावली व मैनपुरी ब्लाक में सरकार कितने व कहां-कहां पर ट्यूबवेल लगा रही है और उससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ? यह कार्य कब से प्रारम्भ हो जावेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—एक नलकूप मैनपुरी तहसील में बनाने का प्रस्ताव है। नलकूप बनाने का स्थान विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात निश्चित किया जायगा। आशा की जाती है नलकूप के कमांड में लगभग ६०० एकड़ भूमि पड़ेगी तथा वार्षिक औसतन सिंचाई लगभग ३०० एकड़ भूमि की होगी।

श्री बृजेश्वरसहाय—आपने बताया है कि मैनपुरी ब्लाक में कोई बम्बा बनाने की योजना नहीं है। लेकिन वहां जो हजारों बीघा भूमि बिना पानी के कारण सूखी पड़ी हुई है उसका पता लगाने के बाद वहां बम्बा लगाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसको माननीय सदस्य सूचना के अनुसार दिखलवा लेंगे।

श्री बृजेश्वरसहाय—५ वर्ष हुये नौगांव, मैनपुरी ब्लाक में सर्वे खोला गया था नलकूप लगाने के लिये और एक स्थान निश्चित कर लिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया। क्या सरकार नलकूप वहां बनाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—अभी इसका तो विचार नहीं है। सर्वेक्षण हो जाय तो निश्चित जहां पर होगा वहां किया जायगा।

मिर्जापुर रजबहा में नल लगाने की प्रार्थना

*२५—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार मेरे प्रश्न संख्या ४१, दिनांक २१ अगस्त, १९६२ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि ग्राम चदरो, मौजा सलेमपुर के निवासियों का प्रार्थना-पत्र मिर्जापुर रजवहा में नल लगाने तथा साइफन बनाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र १ जनवरी, १९६२ तथा २८ फरवरी, १९६२ के बीच मिला है ताकि फसल को water-logging से बचाया जा सके ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं, ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

*४–५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—[८वें सोमवार के लिये प्रश्न ९–१० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*६—श्री ऊदल—[हटा दिया गया।]

रोडवेज कर्मचारियों के छुट्टी नियम

*७—श्री ऊदल—क्या सरकार अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३४–३५, तारीख २९ मई, १९६२ के उत्तर क संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जो सुविधायें परिवहन विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों को दी जाती थीं उसमें से कर्मचारियों की सालाना छुट्टी ३० दिन की जगह १९ दिन गजटेड हाली डे ? २६ दिन की जगह ५ दिन, मेडिकल छुट्टी जो सवेतन दी जाती थी उसे क्यों खत्म किया गया और अधिकारियों की सुविधायें क्यों नहीं कम की गई ? क्या सरकार कर्मचारियों को पहले की सारी सुविधायें देने पर विचार करेगी ?

श्री गनेशीलाल—रोडवेज के कर्मचारियों के कार्य की शैली दूसरे सरकारी कर्मचारियों से भिन्न है तथा उनको श्रम कानूनों द्वारा बहुत सी सुविधायें हैं जो और कर्मचारियों को नहीं मिलतीं। इसलिये उनके छुट्टी के नियम में परिवर्तन किया गया। यह नियम श्रम कानूनों के अनुरूप है। इसको बदलने का प्रश्न नहीं उठता। रोडवेज के अधिकारियों को छुट्टी अन्य विभाग के सरकारी कर्मचारियों के समान फाइनेन्शियल हैन्ड बुक के नियमों के अनुसार दी जाती है।

श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम कानून लागू हो जाने पर वहां के कर्मचारयों को उस कानून के मातहत जो बोनस मिलना चाहिये वह दिया जा रहा है या आगे देने पर वह विचार कर रही है ?

श्री गनेशीलाल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल—श्रीमन्, श्रम कानून की एक धारा में बोनस देने का प्राविधान है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि श्रम कानून लागू होने पर उनको और सुविधायें भी मिली हैं। तो जब श्रम कानन लागू हो गया तो क्या उनको बोनस आदि देने की भी सुविधा है या आगे देन का विचार है ?

श्री अध्यक्ष—इसी के लिये तो कहा है कि सूचना चाहिये।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सन् १९५५–५६ में जो कर्मचारी स्थायी कर दिये गये थे उनको प्राविडेन्ड फंड तथा पेन्शन आदि की वह सुविधायें जिनके वे हकदार हो गये थ, सन् १९६१ से दी जा रही हैं ?

श्री गनेशीलाल--- इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सूचना मानकर केवल इलाहाबाद डिवीजन की जांच करायेंगे कि वहां पर यह सब सुविधायें उनको अब मिल रही हैं, जो पहले से नहीं दी गयीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---यदि आप इस्पेसीफिक तरीके से लिख कर देंगे तो देख लेंगे ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि रोडवेज के कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता नियमित रूप से और समय से नहीं मिलता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---उनको यह भत्ता मिल रहा है, यह हो सकता है कि किसी केस में देर हो गयी हो ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---जब परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सुविधाओं के विषय में सरकार विचार कर रही थी उस समय यह शिकायत भी की गयी थी कि समान काम के लिये समान वेतन के मुताबिक जो कन्डक्टर्स मैट्रिक पास हैं उनको ज्यादा वेतन दिया जाता है और जो पास नहीं हैं उनको कुछ कम, तो क्या सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिये, जो सुझाव दिया गया था, कुछ निर्णय लिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मुझे इसकी खबर नहीं है, इस सवाल से इसका ताल्लुक भी नहीं है ।

श्री कल्पनार्थीसिह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में श्रम कानून की कौन-कौन-सी धारायें लागू की गयी हैं और कौन-कौन-सी नहीं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपका बड़ा व्यापक प्रश्न है । आप पूछ रहे हैं कि कौन-कौन से उसमें से लागू किये हैं ?

श्री कल्पनाथ सिह---उत्तर में मंत्रीजी ने कहा है कि इन कर्मचारियों के श्रम कानून के अन्तर्गत आने के नाते ये सुविधायें करटेल हुईं । मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सुविधायें किस-किस धारा के अनुसार दी गईं और किस-किस धारा के अनुसार करटेल की गईं ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह सेंट्रल का कानून है । इसमें से कुछ चीजें तो दे दी गई हैं और कुछ का प्रबन्ध हो रहा है । उसकी ज्यादा डिटेल में इस वक्त नहीं दे सकता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिह---मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और मंत्रीजी पूरी सूचना के साथ तैयार होकर आवें । यह सूचना सरकार को कहीं बाहर से मंगानी नहीं थी ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री झारखंडेराय---श्रम कानून के लागू होने के बाद कुछ सुविधायें वापिस ले ली गईं और कुछ जो श्रम कानून से मिलनी चाहिये थीं वे नहीं मिल रही हैं, तो उन्हें दोनों ओर से घाटा हो रहा है । इसलिये मैं भी चाहता हूं कि इस प्रश्न को इस समय स्थगित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने उत्तर दिया तो एक लेबर ऐक्ट के अनुसार परिवर्तन हुआ । अगर उनके पास और सूचनायें होतीं तो मैं उनसे कहता कि वे दीजिये और अगर वह कहते हैं कि उनके पास सूचनायें नहीं हैं तो स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---क्या मंत्रीजी बतावेंगे कि किस श्रम कानून के मुताबिक छुट्टियां कम की हैं ? कोई श्रम कानून ऐसा नहीं है जिससे छुट्टियां कम हो सकें ।

श्री गनेशीलाल---रोडवेज के कर्मचारियों के कार्य की शैली दूसरे सरकारी कर्मचारियों से भिन्न है तथा उन्हें श्रम कानून द्वारा बहुत सी सुविधायें प्राप्त हैं जो और कर्मचारियों को नहीं मिलतीं । इसलिये उनकी छुट्टी में परिवर्तन हुआ ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्रीजी को जानकारी है कि विभाग का बटवारा दो तरह से कर दिया गया है, एक ट्रैफिक और दूसरा आफीशल, आफीशल विभाग में वे सुविधायें दी जाती हैं और ट्रैफिक में काट दी गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जवाब में बताया गया कि २ तरह के काम हैं और २ तरह के नियम लागू हैं ।

श्री रामायणराय---छुट्टियों को किसी श्रम कानून से काटा गया या विभागीय आदेश से काटा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---सूरत यह है कि रोडवेज के चलाने का तरीका है उसे आप ऐसा समझ लें जैसा कि रेलवे का है । उसमें कोई ऐसी छुट्टियां जैसी आफिसेज में होती हैं, नहीं हो सकतीं । इसलिये नया तरीका जो रायज हुआ उसमें रोजाना के काम करने वालों को दूसरी तरह की सहूलियतें दी जाती हैं और आफिसवालों की दूसरी सहूलियतें हैं ।

*८---श्री ऊदल---[हटा दिया गया ।]

*९-११---श्री विजय पाल सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल---[हटा दिया गये ।]

खलीलाबाद तहसील में घाघरा का कटाव

*१२---श्री विजयसिंह तथा श्री काशीनाथ बहादुरपाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती की खलीलाबाद तहसील में घाघरा नदी के किनारे के कई मौजे नदी में कटकर विलीन हो गये हैं ? यदि हां, तो कौन २ मौजे और उनकी कितनी-कितनी आराजी पिछले ३ वर्षों में कटी है ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय---जी हां । वांछित सूचना संलग्न सूची के अनुसार है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०४७ पर)

श्री विजयसिंह---मान्यवर, करीब १२ गांवों का १६३४ एकड़ रकबा घाघरा से कटकर चला गया है तो क्या सरकार विचार करेगी कि वहां के किसानों को दूसरी जगह खेती और बसने के लिये स्थान दे ?

श्री राममूर्ति---वहां के जिलाधीश लोगों को दूसरी जगह बसाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री विजय सिंह---निश्चय रूप से पता चले कि कब तक इसकी व्यवस्था हो जायगी, क्योंकि ६ गांव तो पहले ही कट चुके हैं ।

श्री राम मूर्ति---बहुत से जिलाधीशों को इसका इन्तजाम करने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि कटे हुये गांवों के लोग हटने से भी इन्कार करते हैं इस उम्मीद में कि शायद दरिया फिर कट के जमीन आ जाय। निश्चित समय बताना कठिन है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---प्रदेश में लोग घर और जमीन कट जाने से गृहहीन और जीविकाहीन हो गये, उनके लिये कोई नीति निर्धारित करने की ओर सरकार का ध्यान गया ?

श्री राम मूर्ति---यह बड़ा वसीअ सवाल है। पहले तराई और बुन्देलखंड में कुछ जमीन खाली थी लेकिन वहां भी अब बगैर जुती जमीन नहीं रह गई है। दूसरी जगह बसाना कठिन है। यह हो सकता है कि दूसरा रोजगार दे दिया जाय।

श्री गेंदासिंह---यही श्रीमन्, मैं भी कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न इतना बड़ा है कि इसके लिये सरकार को विचार करना चाहिये और कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये। तो क्या इस प्रश्न को सरकार के सामने माननीय सिंचाई मंत्री जी रखेंगे और निकट भविष्य में कोई इस प्रकार की नीति निर्धारित की जायगी जिसके अनुसार जिलाधिकारी उस पर कार्यवाही करें ?

श्री राममूर्ति---मैं इस सवाल को रेवेन्यू मिनिस्टर की नोटिस में लाऊंगा, क्योंकि वे इसका समुचित इन्तजाम कर सकते हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने जिस इन्तजाम की बात कही, इसे मैं उनकी नोटिस में जरूर लाऊंगा ताकि इस पर विचार किया जा सके।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १२ गांव में से ६ गांव जो बिलकुल कट गये हैं और वहां के लोगों के घरविहीन होने से जो एक विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है कि वे अपनी झोपड़ियां कहां पर रखें, इसकी कोई सूचना माननीय मंत्री जी को है ? यदि हां, तो इसके निवारण के लिये क्या उपाय किया गया है ?

श्री राम मूर्ति---मैंने तो अर्ज किया कि जो गांव कट गये हैं उनकी जमीन बिलकुल कट गयी है, उनको वहां बसाने में खतरा था, तो जिला मैजिस्ट्रेट अपने ढंग से उनको वहां से दूसरी जगह बसाने का इन्तजाम कर सकते हैं और उनके बारे में भी इसका इन्तजाम किया जा सकता है।

श्री मैनेजरसिंह---क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के मातहत जब जिलाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वे तत्काल कटे हुये गांव के लोगों को बसाने के लिये भूमि हस्तगत करके उनको बसा दें, तो ऐसी कानूनी व्यवस्था के होते हुये फिर क्या दिक्कत है कि इनके कटे हुये ६ गांव के लोगों को आज तक जमीन नहीं दी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---वास्तव में हमारे जिलाधीश का यह प्रयत्न था कि अशरफपुर, हरैयापुर, कोचरी तथा बरी डोहा के जंगल में उनको बसने के लिये जमीन दें, लेकिन उनमें ज्यादातर केवट व अहीर वर्ग के लोग हैं जो नदी का किनारा छोड़ना नहीं चाहते और इसलिये वे लोग वहां नहीं गये।

श्री मैनेजरसिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों का जिक्र आपने अपने उत्तर में किया है, वे स्थान जहां कि वे आबाद हैं, वहां से काफी दूर पड़ते हैं, इसलिये वहां के किसान वहां जाने में संकोच कर रहे हैं ? यदि हां, तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नजदीक से नजदीक उनको जमीन दिलायी जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---श्रीमन्, जहां जमीन होगी वहीं तो जमीन दी जायगी।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गांवों के किसानों की जमीन जो कट कर दरिया में चली गयी है, उतने रकबे का लगान सरकार अब तक वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---यदि वसूल हो रहा है तो गलत है, वह वापस हो जायगा, लेकिन होना नहीं चाहिये । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, मैं पता लगाऊंगा ।

*१३-१४---**श्री विजय सिंह तथा श्री काशीनाथबहादुर पाल** ---[७ सितम्बर, १९६२को प्रश्न ९८-९९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*१५-१७---**श्री कल्पनार्थसिंह**---[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये प्रश्न १४-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जनरल मैनेजर रोडवेज

*१८---**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में कितने जनरल मैनेजर हैं और उनकी क्या योग्यतायें हैं ?

श्री गनेशीलाल---आठ जनरल मैनेजर हैं, जिनमें सात ग्रेजुयेट और एक हाई स्कूल पास हैं ।

*१९---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के रोडवेज विभाग में कितन रीजनों में जनरल मैनेजरों को स्टेनोग्राफर दिये गये हैं ?

श्री गनेशी लाल---सब रीजनों में ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो जनरल मैनेजर का एप्वाइंटमेन्ट होता है, यह कैसे होता है ? क्या यह पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है ? यदि हां, तो जो एक सज्जन हाई स्कूल पास हैं उनका भी एप्वाइंटमेन्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ ?

श्रीगनेशीलाल---जी हां ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनरल मैनेनर को एप्वाइन्टमेन्ट के लिये किन क्वालिफिकेशन्स की जरूरत है ?

श्रीमुजफ्फर हसन---अध्यक्ष महोदय, पहले आरम्भ में तो डायरेक्ट चुनाव हुआ था जब कि विभाग नया नया कायम हुआ था । अब वह पदोन्नति से पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मुकर्रर होते हैं ।

श्रीनरसिंहनारायण पांडेय---वह कौन से वजूहात हैं कि जिन के मातहत यह जनरल मैनेजर जो हाईस्कूल पास हैं उन को पबलिक सर्विस कमीशन ने एप्रूव कर दिया और मान लिया वह उस पोस्ट पर रखे जायं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो पब्लिक सर्विस कमीशन ही बता सकता है ।

*२०-२२---**श्री टम्बेश्वरी प्रसाद** (जिला सीतापुर) तथा **श्री सुखलाल** (जिला लखनऊ)---[हटा दिये गये ।]

वृक्षारोपण

*२३---**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मंत्रीगण सन् १९५९ व १९६० तथा सन् १९६१ में किन-किन स्थान पर वृक्षारोपण रस्म अदा करने गये और कितने वृक्ष लगाये ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०४८–१०५० पर)

*२४—श्री मतोलासिंह—प्रश्न २३ क संबंध में यह भी क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेड़ लगाने के बाद वह मंत्री लगाये पेड़ों को देखने गये अथवा नहीं और अब पेड़ उस स्थान पर हैं या नहीं ?

श्री शिवराजसिंह—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०४८–१०५० पर)

श्री मतोलासिंह—क्या श्रीमती सुचेता जी को एक पेड़ लगाने के लिये सहारनपुर आमंत्रित किया गया था ?

श्री शिवराजसिंह—यह सूचना तो मेरे पास नहीं है, इतनी सूचना अवश्य है कि उन के द्वारा वहां एक पेड़ लगाया गया था।

श्री मतोलासिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह पेड़ लगाने के लिये दोबारा कब गईं ?

श्री शिवराज सिंह—इतना मालूम है कि १९६०–६१ में एक पेड़ लगाया गया था उनके द्वारा और वह खलरी स्थान पर लगाया गया था।

श्री मतोला सिंह—इसमें लखनऊ से सहारनपुर तक आने जाने का उन पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—मंत्रिगण जब वृक्षारोपण करते हैं तो वे वहां जाकर उसके अलावा दूसरे और कार्य भी करते हैं और उनमें से एक यह काम भी होता है जो वह करते हैं। जहां तक खर्चा की बात है कृषि विभाग द्वारा जो खर्च होता है उस में इस तरह का कोई व्यय नहीं होता, जिन ग्राम समाजों ,कचहरियों या कालेजों आदि के प्रेमिसेज में वह पेड़ लगाये जाते हैं, उनके संस्थापक ही वह खर्च बर्दाश्त करते हैं।

श्री मतोलासिंह—२६ स्थानों में पेड़ लगाये गये और उन में से कोई ५ को मन्त्रिगण देखने गये लेकिन बाकी २१ को देखने नहीं गये इसका क्या कारण है ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि १७७० पेड़ जो विभिन्न मंत्रियों द्वारा लगाये गये थे उन में से १४२६ जीवित रहे यानी ८५ प्रतिशत जीवित रहे और केवल १५ प्रतिशत किसी कारण से सूख गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या यह वृक्षारोपण किसी अभियान से सम्बन्धित था ?

श्री शिवराजसिंह—यह तो वृक्षारोपण के महत्व पर बल देने के लिए साल में एक बार मंत्रिगण द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता है।

फतेहपुर जिले में नकल मिलने में कठिनाई

*२५—श्री हिम्मतसिंह—क्या न्याय मन्त्री को यह पता है कि जिला फतेहपुर में सिविल कोर्ट में पिछले ४ या ५ महीनों के पुराने नकल के सवाल अब तक नहीं तैयार हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कष्ट को हटाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

न्याय मंत्री के संभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—फतेहपुर जिले में सिविल कोर्ट में १० जनवरी, १९६२ को ४२४ मामूली और ३० अरजेन्ट नकल के सवाल बाक़ी थे। उस समय ३० सितम्बर, १९६१ तक के मामूली सवालों व तीन और ४ जनवरी, १९६२ के अरजेन्ट सवालों की तैयारी का नोटिस लग रहा था। बक़ाया काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये प्रयत्न किया गया जिसके फलस्वरूप ४ अगस्त, १९६२ को कुल ८० मामूली और ४ अरजेन्ट सवाल बाक़ी रह गये। उस समय मामूली सवालों पर नक़ल तैयार कर के देने की अवधि ५० दिन व अरजेन्ट सवाल पर दो दिन रह गई थी। आशा की जाती है कि यह अवधि धीरे धीरे और भी कम हो जायगी।

श्री हिम्मतसिंह—मंत्री जी यह देख कर कि फतेहपुर जिले में नकल मिलने में बहुत कठिनाई है वहां कुछ स्टाफ बढ़ाने का आदेश देंगे?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां, इसके लिये पहले ही से आदेश हैं कि अगर बजट के अन्दर कुछ बचत हो तो खुद डिस्ट्रिक्ट जज अपनी खुशी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और रुपये की जरूरत हो, काम ज्यादा हो, तो हाई कोर्ट की इजाजत से वहां और आदमी मुकर्रर कर सकते हैं।

*२६—श्री हिम्मतसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर सेशन कोर्ट में नकलों को देने में धारा १५१ क्रिमिनल रूल्स हाई कोर्ट के इलाहाबाद के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाता?

श्री चन्द्रसिंह रावत—धारा १५१ जनरल रूल्स क्रिमिनल के अनुसार नकल देने में बहुत-सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब तक यह न बताया जाय कि धारा १५१ का कौन-सा नियम नकलें देने में पालन नहीं किया जाता उस वक्त तक यह बताना कठिन है कि आया धारा १५१ का पालन होता है या नहीं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—जहां तक मुझे जानकारी है इस नियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है जो बड़े लम्बे जजमेंट्स होते हैं उनके पार्ट्स की भी नकल दी जाती है। परन्तु यह सुविधा वहां नहीं मिल पा रही है। तो मंत्री जी आदेश देंगे कि इस नियम के अन्तर्गत जो बड़े जजमेंट्स के पार्टस की नकल लेना चाहें वह मिल सके?

श्री अध्यक्ष—(मंत्री जी से) क्या ऐसा नियम है? अगर है तो मिलनी चाहिए।

श्री सैयद अली जहीर—जैसा बताया गया उसमें बहुत सी चीजें हैं जिनका लिहाज रखना पड़ता है। कम से कम मुझे तो १५१ में ऐसा नहीं मिलता है पार्ट्स आफ़ दी जजमेंट की नकल दी जा सके। लेकिन अगर आप कहें तो हम दरियाफ्त करें कि क्या सवाल है और कैसे उसका पालन नहीं हुआ।

कासगंज बस स्टेशन पर छाया की व्यवस्था

*२७—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार कासगंज की क्षेत्रीय जनता की कठिनाइयों को अनुभव करते हुये वहां स्टेशन पर छाया की कुछ व्यवस्था करने का प्रबन्ध कर रही है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा?

श्री गनेशीलाल—जी हां।

इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की आशा है।

*२८-३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[हटा दिये गये।]

घाघरा के कटाव में सरैया ग्राम

*३१—श्री झारखंडे राय—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला की घोसी तहसील के सैरया ग्राम के कुछ घर घाघरा के कटाव से प्रायः समाप्त होने जा रहे हैं जिससे नदी की धारा के बदलने की आशंका है और जिसके कारण दोहरीघाट नहर का हेड तथा तालाब दोनों खतरे में पड़ जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—ग्राम सरैया के केवल चार घर घाघरा नदी की लपेट में आ रहे थे। अब नदी की धारा के हट जाने से न तो इन घरों को कोई खतरा है और न दोहरी घाट पम्प्ड कैनाल के हेड को।

*३२—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो सरकार इस भीषण स्थिति की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडेराय—क्या मन्त्री जी ने इस बात की जांच करवाई थी उस समय घाघरा नदी का पानी घट रहा था लेकिन पानी के बढ़ने के समय उन ४ घरों के अलावा उस पूरे एरिया को ख़तरा पैदा हो गया था, तो स्थायी रूप से यह ख़तरा कभी न हो सके इसके लिये कौन सी व्यवस्था वह करना चाहते हैं, क्या पानी को डाइवर्ट करके या पक्का पिच बनाना चाहते हैं ताकि आगे कोई दिक्क़त न पैदा हो ?

श्री राममूर्ति—यह सही बात है और पानी ज्यादा बढ़ता तो और भी मकान लपेट में आ सकते थे। लेकिन अब यह किया जा रहा है सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि उस एरिया को पिचिंग कर दिया जाय।

हरगांव ब्लाक का अमितिया ताल

*३३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर में हरगांव ब्लाक के अन्तर्गत वजीरपुर, मुडासन मूड़ी, खेरा, कैमहरा, बहरवां, अमितियां, अकबरपुर, छौछिया, पैतला आदि ग्रामों की लगभग २,००० एकड़ भूमि अमितिया ताल के कारण वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाती है ?

श्री राममूर्ति—२००० एकड़ तो नहीं बल्कि लगभग ५०० एकड़ भूमि अमितिया ताल के कारण वर्षा ऋतु में पिछले तीन साल से अधिक वर्षा में जलमग्न हो जाती है।

*३४—श्री विपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि मुडासन से वजीरपुर को जाने वाली माइनर का भी पानी उसी अमितिया तालाब में गिरता है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। परन्तु इससे कोई हानि नहीं होती क्योंकि यह माइनर वर्षा के दिनों में बन्द रहती हैं।

*३५—श्री बिपिन बिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस तालाब के पानी के निकालने को कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। इस तालाब से पानी निकालने के लिये एक अमितिया ड्रेन मौजूद है।

बहेरा नाला पर पुल का फाटक

*३६—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिलान्तर्गत बहेरा नाला (ग्राम हथौज) में एक नये पुल का निर्माण हुआ है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां।

*३७--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त पुल में फाटक न लगने के कारण दस पन्द्रह गांवों को फसलें बरसा ी पानी से नष्ट हो जाती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--जी नहीं।

*३८--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार उक्त पुल में शीघ्र फाटक लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--इस पुल पर फाटक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी--बाढ़ के सिलसिले में अभी मैंने मौके का दौरा किया है और देखा है तथा वहां के स्थानीय लोगों से बात की है, मेरी राय में उक्त पुल में फाटक का लगना नितांत आवश्यक है। क्या मंत्री जी पुनः इसको जांच करा कर विचार करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--मामला यह है अभी जहां पर रेगूलेटर बना हुआ है उस के ऊपर एक गांव की सड़क है और जो सड़क है वह इतनी ऊंची नहीं है। यदि रेगूलेटर बना भी दिया जाय तो सारी सड़क डूब जायगी और जो ऊपर वाले किसान अभी नहीं डूबते हैं वे भी उससे डूबने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में उस पुल पर कोई रेगुलेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी स्थिति यह है कि पानी बढ़ता है तो रेगुलेटर बन्द कर दिया जाता है और जब घट जाता है पानी नदी में तो ऊपर का पानी निकालने के लिये रेगुलेटर खोल दिया जाता है।

श्री जगन्नाथ चौधरी--जिस पुल में फाटक बनाने के सम्बन्ध में मेरा सवाल है माननीय मंत्री उस पुल के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह बहादुरा का पुल है जिसमें रेगुलेटर लगा हुआ है। उस रेगुलेटर से दो मील पश्चिम की ओर यह पुल है। पुल बन चुका है और उसमें एक नया फाटक लगाने की बात है तो क्या माननीय मन्त्री जी पुनः उसकी जांच करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--इसमें फाटक लगाने के लायक नहीं है और जैसा मैंने पहले निवेदन कर दिया जो माननीय सदस्य ने कहा है उसकी जांच की गयी है।

श्री अध्यक्ष--आप ने उस की जांच नहीं की है जिसके सम्बन्ध में वह कह रहे हैं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--लिख कर दे दें तो दोबारा उसे फिर देख लेंगे।

श्री जगन्नाथ चौधरी--एक बार पुनः इंक्वायरी कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष--वह कह रहे हैं कि आप लिख कर दे दें तो जांच पुनः करा लेंगे।

फौजदारी के मुकदमों में तारीखें डालने के लिये सुझाव

*३९--श्री गणेश चन्द्र काछी--क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी की कलेक्टरी के मुकदमों में एक ही बार में लगातार निश्चित तारीखों में सबूत और सफाई ले ली जाया करे, बार-बार तारीखें न पड़ा करें ?

श्री चन्द्रसिंह रावत--Hand book for Criminal Revenue Court में पहले से ही ऐसा प्राविधान है कि जहां तक सम्भव हो फौजदारी के मुकदमों में लगातार तारीखों पर सबूत लिया जाया करें।

श्री गणेशचन्द्र काछी—सरकार ने कहा है कि ऐसा प्राविधान है कि कलेक्टरी के मुकदमों में निश्चित तारीखों में बूत लिया जाता है तो जिस तरह से सेशन के मुकदमों में सबूत और सफाई एक ही वक्त में लिया जाता है तो कलेक्टरी के मुकदमों में भी सबूत और सफाई एक ही वक्त में ले लिया जाया करें और तारीखें न डाली जाया करें ?

श्री सैयद अली जहीर—Handbook for criminal and revenue courts का पैरा डी जो है उसे मैं पढ़े देता हूं ।

"Dates then should be fixed for the evidence of witnesses according to the number expected to be examined each day. As far as possible hearings should be on successive days and witnesses summoned for the day on which their evidences will be taken".

इसके मानी यह है कि जब तारीख देनी हो तो इसका लिहाज रखा जाय कि गवाहान का एक दिन में बयान हो सकता है उनको समन किया जाय और यह तारीख बराबर एक दिन के बाद दूसरे दिन लगातार लगाई जाय । तो यह कानून बना हुआ है लेकिन जैसा कहा अमलदरामद में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और हमेशा इस पर काम नहीं हो सकता ।

श्री दयारामशाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि सबूत पक्ष को काफी समय अपना सबूत पेश करने के लिये दिया जाता है जब कि सफाई को पेश करने के लिये मुलजिम को एक या दो तारीखें ही दी जाती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो केस केस पर होता है । कोई जनरल बात ऐसी नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि नियम पर अमलदरामद होना चाहिये लेकिन अमलदरामद नहीं हो पा रहा है जिसके कारण ६ महीने के अन्दर केसेज का फैसला न हो कर सालों लग जाते हैं और इस तरह से परसेंटेज मुकदमों का बढ़ता जाता है तो क्या माननीय मन्त्री इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि तारीखें अधिक न बढ़ाई जायं ताकि ६ महीने के अन्दर सारे केसेज डिसपोज आफ हो जाया करें ?

श्री सैयद अली जहीर—इस बात पर बराबर विचार हो रहा है । और जहां ६ महीने से ज्यादा हो जाते हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है क्यों देर हुई लेकिन कुछ ऐसा होता है कभी गवाह बीमार हो गया, कभी वकील ने तारीख बढ़वा ली और कभी मुद्दालय की तरफ से तारीख बढ़वाने की दरख्वास्त लग गयी, जिसकी वजह से देर हो जाती है ।

श्री गेंदा सिंह—अभी माननीय न्याय मंत्री जी ने यह कहा कि यह तो मुकदमों पर निर्भर करता है कि सबूत पक्ष को कितना मौका मिलता है । तो क्या इसकी सूचना माननीय न्याय मन्त्री जी को है कि पुलिस के जितने मुकदमे होते हैं उनमें अनावश्यक भी और बहुत लम्बे अर्से तक मौका दिया जाता रहता है कि वह अपना सबूत पेश कर सकें ? यह अगर गड़बड़ी है तो वह कौन के केसेज हैं जिनमें मुकदमों पर निर्भर करता है ?

श्री सैयद अली जहीर—जाहिर है कि वह मुकदमा जिसमें बहुत से गवाह हैं, जिसमें कुछ तहकीकात करना बाकी है या पुलिस दरियाफ्त कर रही है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है, वगैरह वगैरह, यह तो सब होते ही हैं । कोई खास केस अगर वे बतलायें तो उसको देखा जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अगर आप आज्ञा दें तो एक स्पष्टीकरण कर लूं मंत्री जी से ?

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—केवल एक स्पष्टीकरण करना है।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर दे दीजिये।

मकरी ग्राम में बरसाती पानी रुकना

*४०—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार ग्राम मकरी, तहसील नरैनी, जिला बांदा में ग्राम के पूरब व उत्तर की ओर बरसात के दिनों में नहरी पानी के कारण व उसके दबाव से ग्राम के पास जो तीन-तीन, चार-चार फीट पानी भर जाता है और जिसके कारण किसानों को अपने-अपने खेतों पर जाने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है उस पानी के निकलवाने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्त्ति—जी नहीं, क्योंकि पांच मील से कम लम्बी ड्रेनों का निर्माण कृषकों द्वारा श्रमदान से किया जाना चाहिये।

इटावा जिले की नलकूप योजना

*४१—**श्री नत्थूसिंह** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तृतीय पंच वर्षीय योजना में जिला इटावा में वह कितने ट्यूबवेल लगा रही है और किन स्थानों पर?

श्री राम मूर्ति—तृतीय योजना के अन्तर्गत इटावा जिले में १५नलकूप बनाना निर्धारित है। इन नलकूपों का स्थितिकरण सर्वेक्षण के पश्चात् किया जायेगा।

*४२—**श्री नत्थूसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में नलकूपों की संख्या क्या है ? इनमें कितने चालू हैं और कितने बेकार पड़े हैं और सेंगर नदी के आस-पास जसवन्तनगर ब्लाक में सिंचाई का प्रबन्ध क्या है और क्या उक्त स्थान पर नलकूप लगाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—इटावा जिले में केवल एक नलकूप इटावा तहसील के ग्राम नागरी में बनाया गया था और वह बराबर कार्य कर रहा है व चालू हालत में है। जहां तक जसवन्त-नगर ब्लाक में सिंचाई के प्रबन्ध का प्रश्न है वहां पर सरकार द्वारा अभी कोई प्रबन्ध नहीं है। उक्त क्षेत्र में अब नलकूप लगाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

वाराणसी जिले के लिये सिंचाई योजनाएं

*४३—**श्री रघुनाथ सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सिंचाई मंत्री विस्तृत विवरण देने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में वाराणसी जिले में लघु सिंचाई, वृहद् सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं की क्या रूप रेखा है और इन पर अलग-अलग कितना व्यय होगा ? इस योजना के प्रथम वर्ष में कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री राम मूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४४—**श्री रघुनाथ सिंह** (अनुपस्थित)—[५ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न ६३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

गोरखपुर जिले में क्राप कटिंग

*४५—**श्री कल्पनाथ सिंह**—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की सदर और बांसगांव सहसील में किन-किन गांवों में क्राप कटिंग की गयी है जो बाढ़ एरिया में हो उस क्राप कटिंग की रिपोर्ट क्या है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--सूचना संलग्न तालिका 'क', व 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०५१--१०५३ पर)

आर०टी०ओ०, कानपुर के कर्मचारी

*४६--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के आर०टी० ओ० के कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं और वह कितनी अवधि से वहां पर तैनात हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--कुल ४५ कर्मचारी हैं जिनके नाम तथा तैनाती की तिथि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०५४--१०५५ पर)

*४७--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वहां के एक परमिट क्लर्क का जो कि आरम्भ से ही परमिट सेक्शन में है अभी हाल ही में तबादला हो गया था और तबादला हो जाने के पश्चात् भी वहां के किसी उच्चाधिकारी ने उसे छुट्टी देकर कार्यालय में रखा और अन्त में उसका तबादला मन्सूख हो गया?

श्री मुजफ्फर हसन--तबादला सिर्फ थोड़े समय के लिये रुका था। अब १५-९-६२ को वह कानपुर से मुक्त कर दिये गये और मेरठ में चार्ज भी हो गया।

*४८--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--क्या सरकार कृपा कर इस बात की जांच करेगी कि आर०टी० ओ० आफिस के आर०आई० के भूतपूर्व चपरासी ने सर्विस की अवधि में बहुत बड़ी सम्पत्ति अर्जित कर ली है और कानपुर में मकान बनवा लिये हैं। यदि हां, तो यह सम्पत्ति कहां से आई और वह कौन चपरासी है?

श्री मुजफ्फर हसन--श्री शीतला प्रसाद चपरासी के विरुद्ध एक ऐसी शिकायत आई है जिसकी जांच की जा रही है।

महोबा-चरखारी सड़क पर बस दुर्घटना

*४९--श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ७ जुलाई, सन १९५७ को महोबा-चरखारी route पर Government Roadways की Bus no. 644566 u.S.L. से एक औरत दब कर मर गई थी तो क्या उस औरत के वारिसों को सरकार ने कोई मुआवजा दिया है? यदि हां, तो कब और कितना?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां। मृत औरत के पति को १,००० रुपया मुआवजा मार्च, १९६२ में मंजूर किया गया था। अदायगी की कार्यवाही हो रही है।

कम्पनीबाग, सहारनपुर के कर्मचारी

*५०--श्री सन्तसिंह यूसुफ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर स्थित राजकीय कम्पनी बाग में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं, उनमें कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी हैं?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०५६ पर)

*५१--श्री सन्तसिंह यूसुफ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कम्पनी बाग कर्मचारी यूनियन, सहारनपुर की ओर से दिनांक १ अप्रैल, १९६२ से ९ अप्रैल, १९६२ तक मजदूरों की शिकायतों के संबंध में कितने पत्र सरकार के विभिन्न अधिकारियों (निदेशक कृषि विभाग, निदेशक हार्टीकल्चर, सचिव कृषि विभाग तथा कृषि मंत्री आदि) को प्राप्त हुये हैं। क्या सरकार उपरोक्त शिकायतों के संबंध में पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*५२--श्री संत सिंह यूसुफ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त यूनियन ने मजदूरों की एक मांग-पत्र दिनांक २६ जुलाई, १९६२ को अधिकारियों के पास भेजा था तथा यूनियन ने अनेकों पत्रों द्वारा यूनियन को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो उपरोक्त मांग-पत्र तथा यूनियन की मान्यता के प्रश्न पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--दिनांक १ अप्रैल, १९६२ से ९ अप्रैल, १९६२ की अवधि में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुये। दिनांक २६ जुलाई, १९६२ का यूनियन को मान्यता प्रदान करने का पत्र प्राप्त हुआ। मान्यता का प्रश्न श्रम विभाग के विचाराधीन है। यूनियन की शेष मांगें जिन पर सरकार द्वारा पहले भी विचार किया जा चुका है, वे अस्वीकृति कर दी गई हैं और कृषि निदेशक को यूनियन को सूचित करने के लिये लिख दिया गया है।

खाद का भाव

*५३--श्री धूमप्रसाद--(जिला फैजाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह खाद जो ब्लाकों को दी जा रही है तो इनका रेट प्रति बोरा क्या है जबकि अलग-अलग नियम सलफेट, नाइट्रेट, कैलशियम आदि कई किस्म की है अलग-अलग दाम बताया जाय ?

श्री चरणसिंह--उत्तर प्रदेश में बेची जाने वाली खादों के दाम निम्नलिखित हैं:--

१--अमोनियम सल्फेट	३६.६० रु०	प्रति १०० किलोग्राम
२--यूरिया	७१.९० रु०	प्रति १०० किलोग्राम
३--अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट	४३.८० रु०	प्रति १०० किलोग्राम
४--कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट	३१.०० रु०	प्रति १०० किलोग्राम
५--अमोनियम नाईट्रेट	६५.८६ रु०	प्रति १०० किलोग्राम
६--अमोनियम फासफेट	७८.०० रु०	प्रति १०० किलोग्राम
७--नाइट्रो फासफेट	६५.२० रु०	प्रति १०० किलोग्राम

मुख्य रेल स्टेशन से ५ मील के दायरे के बाहर जो खाद भेजी जायगी उसके उक्त विक्रय मूल्य में वास्तविक परिवहन व्यय जोड़ दिया जायगा।

*५४--श्री धूमप्रसाद--ब्लाक में बेंचने वाले सुपरवाइजरों को जो ४ (चार) और आठ हजार की खाद ग्राम समाजों को दे रहे हैं तो क्या यह लोग अपनी मनमानी पर बेंचेंगे या इन पर कोई भावों की निर्ख रहेगी।

श्री चरण सिंह--जी नहीं। खादें निश्चित निर्ख पर बेची जाती हैं।

सहारनपुर तथा चकरौता के सरकारी उद्यानों पर व्यय

*५५--श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर तथा चकरौता के Government Gardens पर प्रति वर्ष पिछले पांच साल में जुदा-जुदा क्या खर्चा हुआ ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०५७ पर)

*५६--श्री ब्रह्मदत्त मायर---क्या सरकार को यह मालूम है कि सहारनपुर के Government Gardens में कुछ साल पहिले एक तालाब बनाया गया था जो आज भी बिना पानी के पड़ा है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---कोई नया तालाब नहीं बनाया गया था अपितु सन् १९५७-५८ में एक पुराने तालाब का जीर्णोद्धार किया गया था। आवश्यकतानुसार उसमें पानी भरा रहता है।

*५७--श्री ब्रह्मदत्त मायर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Government Gardens सहारनपुर तथा चकरौता से प्रति वर्ष क्या-क्या आमदनी फल इत्यादि की बिक्री से प्राप्त हुई? क्या यह सही है कि सहारनपुर बाग का फल बहार पिछले १० सालों से एक ही ठेकेदार को बिना नीलाम के दे दी जाती है ? यदि यह ठीक है, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---गवर्नमेंट गारडेंस, सहारनपुर तथा चकराता की आय का विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है। यह सत्य नहीं है कि पिछले १० सालों से सहारनपुर के फल बहार का ठेका एक ही ठेकेदार को दे दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०५७ पर)

रोडवेज का संचालन व्यय

*५८---श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० रोडवेज का संचालन खर्च १९६१-६२ में कितना पड़ा है, क्या यह खर्च कम किया जा सकता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---वित्तीय वर्ष १९६१-६२ का हानि लाभ का खाता (Profit and loss account) अभी नहीं बन सका है अतएव संचालन खर्च की सही धनराशि बताना सम्भव नहीं है। खर्च में मुमकिन कमी के लिये सरकार स्वयं जागरूक है।

*५९--श्री केशरीप्रसाद पांडेय---क्या सरकार रोडवेज की सारी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के लिये एक समिति का संगठन करेगी जिससे उक्त व्यवस्था से अधिक लाभ हो सके ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*६०---श्री जमादार सिंह (जिला मेरठ) तथा श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित)---[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

ट्रैक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन

*६१---श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि Tractor Trolly के रजिस्टर्ड कराने के वे ही रूल्स हैं जो कि पब्लिक कैरियर के है ? यदि नहीं, तो दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां।

*६२---श्री जयगोपाल---क्या परिवहन मंत्री यह विचार कर रहे हैं कि Tractor Trollies को मामूली फीस पर रजिस्टर्ड किया जाय ताकि कृषक ट्रैक्टर का पूरा फायदा उठा सकें और कृषि की उन्नति कर सकें ?

श्री मुजफ्फर हसन---नियमानुसार कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ है।

*६३—श्री जयगोपाल—क्या सरकार ने Tractor Trolly के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियम जो पंजाब में लागू है देखे हैं और उनको यू०पी० में एडाप्ट करने का विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

परिवहन विभाग में क्लर्कों की पदोन्नति

*६४—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९ से जो क्लर्क नियुक्त किये गये हैं तथा जो स्थायी हैं उनकी पदोन्नति के विषय में क्या किया जा रहा है तथा क्या जूनियर्स की पदोन्नति की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*६५—श्री रतीपाल—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगर जूनियर्स की पदोन्नति हुई है, तो क्यों किस कारण वंश ?

श्री मुजफ्फर हहन—सूचना एकत्र की जा रही है ?

मुरादाबाद जिले में बसों व ट्रकों के परमिट

*६६—श्री शराफत हुसेन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बतायेगी कि मुरादाबाद जिले में कितने व्यक्तियों के पास प्राइवेट बसों और ट्रकों के परमिट हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—८० व्यक्तियों के पास बसों के, ३७७ व्यक्तियों के पास पब्लिक कैरियरों तथा ११ व्यक्तियों के पास प्राइवेट कैरियरों के परमिट हैं। उनकी फेहरिस्त बहुत लम्बी है । अतएव यदि सदस्य महोदय किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हों तो मेरे कक्ष में वे सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

*६७—श्री शराफत हुसेन रिजवी—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन परमिटों के देने का क्या आधार होता है ? क्या सरकार परमिट देने से पूर्व इस बात की जांच करती है कि परमिट लेने वाले की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह बस, ट्रक खरीद सके ?

श्री मुजफ्फर हसन—परमिट मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४२ तथा ५५ के अन्तर्गत दिये जाते हैं। इन धाराओं में आर्थिक स्थिति की जांच के बारे में कोई प्रविधान नहीं है ।

एटा जिले में नलकूप आपरेटर को चेतावनी

*६८—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में ग्राम पुरसारी तथा जासमई, डा० जासमई के पास ट्यूबवेल नं० १ खराब पड़ा है ? यदि हां, तो कितने दिनों से तथा उसकी मरम्मत हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—यह नलकूप ३० मई, १९६२ से २१ जून, १९६२ तक और ५ जुलाई १९६२ को मशीन को खराबी से बन्द रहा और अब ठीक कार्य कर रहा है ।

*६९—श्री राजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ट्यूबवैल के आपरेटर के बारे में उदासीनतापूर्ण एवं लापरवाही की कार्य प्रणाली की मेरी शिकायत मिली ? यदि हां, तो क्या जांच की गई और क्या परिणाम निकला ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस पर जांच की गई। जांच से आरोपों को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं प्राप्त हुये फिर भी नलकूप आपरेटर को तम्बीह की जा रही है कि वह भविष्य में सतर्क रहे।

*७०-७१—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती)—[१८ अक्तूबर, १९६२ के लिये प्रश्न १२८-१२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उन्नाव बस स्टेशन

*७२—**श्री रतीपाल**—क्या परिवहन मंत्री बतलायेंगे कि उन्नाव बस स्टेशन पर कन्डक्टरों और ड्राइवरों के रात में रहने की क्या व्यवस्था है?

श्री मुजफ्फर हसन—रनिंग रूम की व्यवस्था है।

उद्यान योजना

*७३—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेन्ट गार्डेन, गोरखपुर व झांसी में खोलने जा रही है? जबकि वाराणसी में ३० एकड़ जमीन कमिश्नर कम्पाउन्ड में तथा ९० एकड़ भूमि टैगोर विला में उपलब्ध है? यदि हां, तो वाराणसी में इस तरह के गार्डेन को न खोलने की क्या वजह है?

श्री चरणसिंह—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में तीन राजकीय उद्यान खोलने का आयोजन है। इस वर्ष एक उद्यान गोरखपुर में खोला जा रहा है। अगले वर्ष एक उद्यान झांसी में खोला जायगा। वाराणसी में तीसरा उद्यान खोलने का विचार है। कथित स्थानों पर उद्यान के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। अन्य भूमि की खोज हो रही है।

चिलवरिया बाजार पशु-चिकित्सालय भवन

*७४—**श्री मुकुटबिहारीलाल** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि चिलवरिया बाजार, जिला बहराइच का पशु-चिकित्सालय भवन ३० जुलाई, १९६२ को बन कर तैयार हुआ और पहली बरसात में ही उसकी नींव बैठ गई है और छत बुरी तरह से चू रही है? क्या सरकार उक्त भवन निर्माण की जांच कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरणसिंह—चिलवरिया बाजार, जिला बहराइच में पशु-चिकित्सालय (Bull shed-cum-Artificial Insemination Sub-centre) के लिये निर्मित भवन में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी।

*७५—**श्री राजनाथ सिंह** (जिला गाजीपुर)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

शादियाबाद क्षेत्र के बन्द नलकूप

*७६—**श्री राजनाथ सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के शादियाबाद क्षेत्र में कितने नल कूप बन्द हैं? उनको चालू करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में किन स्थानों के लिये नलकूप प्रस्तावित हैं? उनका निर्माण कब तक हो जाने की आशा है?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में केवल दो नलकूप बन्द हैं। इनको चालू करने के लिये उचित प्रबंध किया जा रहा है। तृतीय पंच वर्षीय योजना में इस क्षेत्र में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*७७-७८—**श्री काशीनाथ बहादुरपाल**—[१८ अक्तूबर, १९६२ के प्रश्न १८१-१८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किय गये।]

गोंडा जिले की बांध निर्माण योजनायें

*७९—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिल्लौरगढ़, नेवलगढ़ तथा चेतिया बाँध, जिला गोंडा के बनाने हेतु कितना रुपया अलग-अलग स्वीकृत हुआ था और कितना अलग-अलग व्यय किया जा चुका ?

श्री राममूर्ति—चिल्लौरगढ़, नेवलगढ़ तथा चेतिया बांध क्रमशः १०५·२७ लाख रुपया, २१.७५ लाख रुपया तथा २०.३९ लाख रुपये की लागत पर बनने के लिये स्वीकार किये गये थे। इन योजनाओं पर अलग-अलग अगस्त, १९६२ तक क्रमशः ७.०२ लाख रुपया ०.६२ लाख रुपया तथा १.४४ लाख रुपया व्यय हो चुका है। इन खर्चे के आंकड़ों में मशीनों इत्यादि की कीमत भी शामिल है जो अन्य प्रोजेक्ट पर काम में लाई जायेंगी और उनका हिसाब रखने पर इन योजनाओं पर व्यय के आंकड़े क्रमशः २.३६ लाख रुपया, ०·१८ लाख रुपया तथा १·०२ लाख रुपया रह जायेंगे ।

*८०—श्री सुखदेव प्रसाद—क्या उपरोक्त योजनायें स्थगित कर दी गयीं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—चूंकि इन योजनाओं की लागत में बहुत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना हो गई जिससे कि ये योजनायें पूर्णतः अलाभकर (unremunerative) हो गईं अतः इन योजनाओं का निर्माण-कार्य रोक दिया गया ।

*८१—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि उक्त योजना के अन्तर्गत खरीदा गया सीमेंट का स्टाक बांधों के समीप ही अब तक पड़ा रह कर वर्षा में बर्बाद हो रहा है, उसके लिये क्या प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—उक्त योजनाओं के अन्तर्गत खरीदे गये सीमेंट का अधिकांश भाग जिला पूर्ति अधिकारी, गोंडा द्वारा जनता को बेच दिया गया है। कुछ सीमेंट समीपवर्ती कार्यों के लिये सिंचाई विभाग के अन्य डिवीजन को दे दिया गया है। कोई सीमेंट वर्षा के कारण बरबाद नहीं हुआ।

अतरौला तहसील में जमुना बांध में अध्याप्त भूमि

*८२—श्री हरिनाथ तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की तहसील अतरौला में जमुना नदी पर जो बांध की योजना में भूमि हस्तगत की जा रही है क्या उन गांवों के निवासी बिना मुआवजा दिये निकाले जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—जिला झांसी में अतरौला नाम की न कोई तहसील है और न जमुना नदी ही बहती है। अतः उस पर बांध बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

*८३—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*८४—८५—श्री मोहनलाल अहिरवार—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८६—८७—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८८-९०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—(जिला बाराबंकी)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

इन्फोर्समेंट सुपरवाइजर का वेतन

*९१—श्री मैनेजर सिंह—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्सफोर्समेन्ट सुपरवाइजर का पद पुलिस दीवान के समक्ष रखा गया है और उन्हें तीन फ़ीते भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनके वेतनक्रम में क्यों अन्तर रखा गया है ?

श्री मुज़फ्फर हसन---इन दो पदों का कार्य समान नहीं है इसलिये वेतन क्रम में असमानता है।

*९२---श्री मैनेजर सिंह---क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सुपरवाइज़र इन्फोर्समेंट का वेतन चालक इन्फोर्समेंट से कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुज़फ्फर हसन---जी हां। चालक टेकनिकल कर्मचारी हैं इस कारण चालक का वेतन कुछ अधिक है ।

वेटेरनरी कालेज, मथुरा में प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय

*९३---श्री मैनेजर सिंह---क्या सरकार बतायेगी कि दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त लाइफ स्टाक सुपरवाइज़रों में से दो वर्ष तक संतोषप्रद सेवा के पश्चात् १० व्यक्तियों को वेटेरनरी कालेज, मथुरा में पशु-चिकित्सक के प्रशिक्षण हेतु सरकार की ओर से भेजने के सम्बन्ध में कोई विज्ञप्ति २ मई, १९५५ को निकाली गई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति नियम लागू होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष वेटेरनरी कालेज, मथुरा प्रशिक्षण हेतु भेजे गये और उन पर सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

श्री चरणसिंह---जी हां। इस प्रकार की विज्ञप्ति १६ मई, १९५५ को निकाली गयी थी। १९६१-६२ में ९ तथा १९६२-६३ में १० व्यक्ति प्रशिक्षण हेतु भेजे गये। उन पर अब तक सरकार का व्यय १२,७२४ रु० ९५ नया पैसा हुआ है।

कृषि निरीक्षक, जिला बलिया के विरुद्ध शिकायत

*९४---श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---क्या कृषि मंत्री को पता है कि बलिया जिला अन्तर्गत कृषि निरीक्षक गत आठ सालों से ही बलिया में पड़े हैं जबकि उनके विरुद्ध अनेक शिकायतें सरकार को भेजी गयीं और वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से तबादले के लिये रिश्वत भी लिया करते हैं ?

श्री चरण सिंह---केवल एक निरीक्षक ८ वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं, किन्तु उन्हें कृषि निरीक्षक के पद पर कार्य करते हुये केवल ५ वर्ष हुये हैं। उनके विरुद्ध कोई शिकायत सरकार को नहीं प्राप्त हुई। इनके स्थानान्तरण के आदेश हो चुके हैं।

*९५-श्री काशीनाथ मिश्र---क्या कृषि मंत्री यह भी बतलायेंगे कि श्री मधुमंगलसिंह जिनका तबादला गत जून में हुआ था रोक दिया गया ?

श्री चरण सिंह---श्री मधुमंगल सिंह का तबादला इसलिये रोक लिया गया है कि उनके तीन बच्चे हाई स्कूल फाइनल में पढ़ रहे हैं।

*९६-९७---श्री बिपिन बिहारी तिवारी (अनुपस्थित)---[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये]।

वाराणसी जिले में महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन

*९८---श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में विगत ५ वर्षों में स्त्रीवर्ग ने हिन्दू कोड बिल के हितकर कानून का निम्नलिखित पक्षों में कितनी संख्या में लाभ उठाया है :

(क) कष्टदायक दाम्पत्य से छुटकारा पाने के लिये तलाक ?

(ख) विवाहित स्त्री द्वारा गोद लिया जाना, विधवा द्वारा गोद लिया जाना, अविवाहिता द्वारा गोद लिया जाना ?

(ग) निस्सन्तान व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) द्वारा लड़की का गोद लिया जाना ?

श्री संयद अली जहीर—(क) हिन्दू कोड बिल नामक कोई केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय कानून नहीं है। हिन्दू मैरिज ऐक्ट, १९५५ में निर्दयता के आधार पर तलाक द्वारा छुटकारा पाने का प्राविधान नहीं है। निर्दयता को भी तलाक के लिये एक आधार करार देने के लिये इस प्रदेश के विधान मंडल ने हिन्दू मैरिज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित कर दिया है परन्तु उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होना बाकी है।

(ख) और (ग) गोद लेने या देने (adoption) का कार्य न्यायालयों द्वारा नहीं होता है। और न उसके आंकड़े ही कहीं रखे जाते हैं। इस के अतिरिक्त इस सूचना को एकत्र करने में जो व्यय और श्रम लगेगा वह उक्त सूचना की उपयोगिता से बहुत अधिक होगा।

*९९-१०१—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७७-७९ के अन्तगत स्थानान्तरित किय गये।]

जौनपुर जिले में गूलो का निर्माण

*१०२—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में नवनिर्मित नहरों की नालियों के बनवाने का काम जो किसानों पर छोड़ दिया गया है उसे सरकार स्वयं लेने का इरादा करती है? यदि हां, तो कितने दिनों में कार्य शुरू होने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, क्योंकि गूलों के निर्माण की जिम्मेवारी ग्राम सभाओं पर है।

*१०३—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०४—श्री रघुवीर—[हटा दिया गया।]

*१०५-१०७—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गय।]

सराय बहेलिया ग्राम से नहरी पानी का निकास

*१०८—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में ग्राम सराय बहेलिया, तहसील प्रतापगढ़ में नहर समाप्त हो जाती है अतएव उस नहर के पानी निकालने का कोई प्रबंध विभाग द्वारा नहीं किया गया है?

श्री राममूर्ति—जी हां। ग्राम के आगे फालतू पानी ले जाने के लिये विभाग द्वारा एक टेल गूल खुदाई गयी थी जोकि लगभग एक मील दूर स्थित नाल से मिलती है।

*१०९—श्री रामकिंकर—क्या यह सही है कि २५ नवम्बर, १९६१ की रात्रि में नहर में इतना पानी छोड़ दिया गया कि उक्त रजबहे कतिपय ग्रामों की फसल नहर के पानी से डूब कर सड़ गयी?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। टेल गूल २५-११-६१ को लगभग ग्राम सराय बहेलिया में टूट गयी थी जिससे निकटवर्ती खेतों में बोई हुई जिन्स को क्षति पहुंची।

*११०—श्री रामकिंकर—यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हां में है, तो किसानों का कितना नुकसान हुआ और उसकी पूर्ति सरकार की ओर से होगी?

श्री राममूर्ति—यह क्षति लगभग १३ बीघे क्षेत्रफल में हुई। नियमानुसार टेल गूल की मरम्मत एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व स्वयं कृषकों पर होता है और विभाग द्वारा कोई प्रतिकर देय नहीं है। परन्तु कृषकों की हानि का ध्यान रखते हुये २२५ रुपये ६१ नया पैसा का प्रतिकर निर्धारित किया गया है।

*१११-११२—श्री गणेशचन्द्र काछी—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये]।

*११३—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—[१५ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न ७४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*११४—श्री श्यामसुन्दर (जिला प्रतापगढ़)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*११५—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन देने का क्या आधार रहा है और उसके अनुसार प्रत्येक जिले में सन् १९६१ तक कितने-कितने पीड़ितों को राजनैतिक पेंशन प्रदान की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों को इस समय पेंशन शासकीय परिपत्र संख्या एम-२७३३/एक्स-६०७-४७, दिनांक २८ अक्तूबर, १९४७ में निहित आदेशों तथा समय-समय पर निर्धारित कतिपय काम चलाऊ सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। तदनुसार जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक कम से कम दो बार ६ माह के लिये जेल गये हैं या जो एक बार कम से कम ५ वर्ष जेल में रहे हैं, जिनकी उम्र ५० वर्ष या उससे ज्यादा है और माली हालत अच्छी नहीं है अथवा जो कमाने लायक नहीं हैं, उन्हें यदि सरकार उचित समझती है तो पेंशन दी जाती हैं। विशेष परिस्थितियों में उक्त सिद्धांतों के अपवाद रूप में भी पेंशनें सरकार के inherent powers में दी जाती हैं। सन् १९६१ तक राजनीतिक पेंशनरों की जिलेवार संख्या संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०५८ पर)

*११६—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब राजनीतिक पीड़ितों को किस आधार पर पेन्शन देने की योजना है ? क्या यह सही है कि पूर्व आधार रिवर्तन किया गया है ? यदि हाँ, तो कब से तथा ऐसा करने का कारण क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों को पेंशन देने के वर्तमान सिद्धान्तों कोई खास तब्दीली करने का सुझाव सरकार के सामने नहीं है। इस विषय में नियम बनाने के प्रश्न पर सरकार अवश्य विचार कर रही है।

सुरहुरपुर ग्राम में फर्जी राजनीतिक पेंशन याफ्ता के खिलाफ जांच

*११७—श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने श्री राम अवध मिश्र, निवासी सुरहुरपुर, जिला फैजाबाद के आरोप-पत्र, जो कि सुरहुरपुर के एक निवासी के विरुद्ध फर्जी पोलिटिकल पेन्शन सरकार को धोखा देकर लेने का दिया है, पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस मामले में छानबीन की जा रही है।

बस स्टेशन, जौनपुर

*११८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या परिवहन मन्त्री निम्नलिखित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे—

(क) बस स्टेशन, जौनपुर में हर एक विन्डा बुकिंग पर महिलाओं के टिकट के लिये पुरुषों से अलग खिड़कियाँ हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या शीघ्र कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्र की जा रही है।

कोंच में मुन्सिफी कायम करने की प्रार्थना

*११९—श्री विजयसिंह —क्या न्याय मन्त्री को यह ज्ञात है कि कोंच तहसील के लोगों को उरई अपने दीवानी के मुकदमों के लिये ४० मील तक चल कर पहुंचना पड़ता है ? यदि हाँ, तो इस बात को ध्यान में रख कर कोंच में भी एक मुंसिफी अदालत स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—इस विषय पर १९६० में विचार हुआ था और उसी समय यह निर्णय हुआ था कि कोंच में अलग मुंसिफी अदालत की स्थापना सम्भव नहीं है ।

*१२०—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—[१४ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया] ।

विधायकों के लिए नये कमरे

*१२१—श्री विजयसिंह —क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के लिये अभी जो २० कमरे नये तैयार हो रहे हैं वह कब तक तैयार हो जायेंगे और कब तक allot करने की व्यवस्था होगी ?

श्री राममूर्ति—इन कमरों की जनवरी, १९६३ के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है । कमरों का आवंटन इनके तैयार होने के पहले ही करने का विचार है ।

*१२२-१२३—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये] ।

रोडवेज क्षेत्र, लखनऊ में क्लर्कों की भर्ती

*१२४—श्री सुखलाल—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के लखनऊ क्षेत्र में कोई गत वर्ष जूनियर क्लर्कों की भर्ती के लिये परीक्षा हुई थी ? यदि हाँ, तो उस में पास हुये अभ्यर्थियों को १ वर्ष तक इंटरव्यू में क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हाँ । परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी कापियाँ जाँचने में काफी समय लग गया । इसके अतिरिक्त कुछ प्रशासकीय कारणों से रीजनल सिलेक्शन कमेटी की बैठक शीघ्र न हो सकी थी ।

*१२५—श्री सुखलाल—क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जो लिखित परीक्षा में पास हो गये उन्हें नियुक्त न करके ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है जो लिखित परीक्षा में नहीं बैठे हैं ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—लिखित परीक्षा में सफल होने वालों की इन्टरव्यू होने के बाद ही मान्य सूची बनती है और चूंकि इन्टरव्यू होने में देर हुई इसलिये समय-समय पर केवल काम चलाने के लिये कुछ लोगों को अस्थायी रूप से नियुक्त कर लिया गया था ।

*१२६—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—[१४ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया] ।

*१२७—१२९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये] ।

*१३०—श्री जयगोपाल—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया] ।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में कर्मचारियों का वेतन-क्रम

*१३१—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—क्या यह सच है कि गवर्नमेंट रोडवेज, गोरखपुर रीजन में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो ६०–४–१०० के ग्रेड में नियुक्त किये गये थे और ३–४ साल का इन्क्रीमेंट पाने के बाद फिर उनको दूसरे स्थान पर नवीन नियुक्ति करके फिर से ६०–४–१०० का स्केल दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी कितने हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—स्थिति ऐसी नहीं है । कुल तीन कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति हुई है ।

*१३२—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया] ।

*१३३–१३५—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—[२३ अक्तूबर, १९६२ के लिए प्रश्न ८४–८६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

*१३६–१३८—श्री रामसुन्दर पांडेय —[१४ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये] ।

राम गंगा पर कालागढ़ बांध निर्माण योजना

*१३९—श्री यादवेन्द्रदत्त —क्या सरकार कालागढ़, जिला गढ़वाल में कोई रामगंगा पर डैम बन रहा है ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ हुआ और कितनी लागत से बन रहा है और कब तक समाप्त हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । इस योजना पर कार्य १९५६ में शुरू किया गया था । योजना की लागत लगभग ६८ करोड़ रुपया है और आशा की जाती है कि यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होगी ।

*१४०—श्री यादवेन्द्रदत्त—[१४ वें मंगवार के लिये स्थगित किया गया] ।

*१४१–१४२—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—[२४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये] ।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रतिमा

*१४३—श्री टम्मेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार निकट भविष्य में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रतिमा विधान भवन के सम्मुख स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रतिमा कब तक स्थापित कर दी जायगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, परन्तु अभी इसमें समय लगेगा ।

अतारांकित प्रश्न

१–३—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़) तथा श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये प्रश्न ३५–३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये] ।

४—श्री उग्रसेन—[१४ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया] ।

५–७—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—[१६ वें बुधवार के लिए प्रश्न १०–१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये] ।

कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा होल्डर्स की नौकरी

९—श्री उल्फत सिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्विवर्षीय कृषि एवं प्रसार उपाधि-पत्र परीक्षा में १९६० में कितने ट्रेनीज पास हुये और किस पोजीशन तक के ट्रेनीज सर्विस पा चुके हैं और जो बकाया रह गये हैं उन्हें सर्विस मिलेगी या नहीं ? यदि मिलेगी तो कब तक ?

श्री चरणसिंह—कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा परीक्षा, १९६०, में ५०० छात्र उत्तीर्ण हुए थे। उनमें १४५ वीं पोजीशन तक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नौकरियां मिल चुकी हैं। उनके अलावा पांच और परीक्षार्थियों को भी, जिनको पोजीशन उक्त परीक्षाफल में १४५ से नीचे थी, नौकरियां दी जा चुकी है क्योंकि उनमें से तीन परिगणित जाति के थे और दो को, कामदार के पद पर कार्य करने के कारण, कृषि विभाग का अनुभव था। शेष परीक्षार्थियों को निकट भविष्य में कृषि विभाग में नौकरी मिलने की सम्भावना नहीं है।

९-११—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—[१४ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये]।

मेरठ क्षेत्र में टेम्पोरेरी परमिट वाली बसें

१२—श्री जयगोपाल—क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ रीजन में कितनी बसें टेम्पोरेरी परमिट पर चल रहा हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—५४ बसें (३०-९-६२ को)

१३—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—[हटा दिया गया]।

आर० टी० ओ०, मेरठ द्वारा नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगना

१४—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाईकोर्ट इलाहाबाद में श्री सुमेरचन्द जैन के रिट सन् १९६० पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि प्राइवेट बसों को एक रेंज से दूसरे रेंज में जाने के लिये टेम्पोरेरी परमिट हासिल करने के वास्ते असिस्टेंट जनरल मैनेजर, रोडवेज के नो-आबजेक्शन सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो आर० टी० ओ०, मेरठ अब भी मोटर मालिकान से ए० जी० एम० का नो-आबजेक्शन सर्टिफिकेट क्यों मांगता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब नो-आब्जेक्शन सार्टीफिकेट नहीं मांगा जाता।

१५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—[१४वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया]।

बदायूं जिले में गंगा बांध

१६—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में बड़ी गंगा का जो बांध मालपुर-तेनरा तक डलवाया है उसको उससे आगे पश्चिम की तरफ और डलवाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—प्रथम भाग—जी नहीं। आगे बढ़ाने का विचार नहीं है।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

१७-१८—श्री रतीपाल—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिए प्रश्न ३८-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]।

१९-२०—श्री डबरल—[१४ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये]।

सरकारी वकीलों के लिये राजनीतिक स्वातंत्र्य

२१—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकारी वकील (डी० जी० सी०) किसी राजनैतिक पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य अथवा सक्रिय कार्यकर्त्ता हो सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि निम्नलिखित डी० जी० सी० किस पार्टी के हैं :

(१) डी० जी० सी०, पीलीभीत;
(२) डी० जी० सी०, रेवेन्यू और क्रिमिनल, बरेली;
(३) डी० जी० सी०, सिविल, बरेली;
(४) डी० जी० सी०, क्रिमनल, शाहजहांपुर;
(५) डी० जी० सी०, मैनपुरी ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार को इस बात से कि कोई व्यक्ति जो सरकारी वकील है उसके राजनैतिक विचार क्या हैं अमूमन कोई सरोकार नहीं होता मगर इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि वह सरकार की तरफ से सही तरह की पैरवी अदालत में कर सके। और चूंकि हर व्यक्ति के राजनैतिक विचार समय-समय पर बदल सकते हैं सरकार इसको भी जरूरी नहीं समझती कि जिनकी बाबत सवाल किया गया है उनके राजनैतिक विचार दरियाफ्त करे और बताये ।

रोडवेज बुकिंग क्लर्क

२२—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार को पता है कि अभी तक रोडवेज के कंडेक्टर बुकिंग क्लर्क होते रहे हैं किन्तु कुछ समय से डाइरैक्ट क्लर्क रखे जाते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—२९ दिसम्बर सन् १९६१ के सरकारी आदेश के अनुसार बुकिंग जूनियर क्लर्क के पद की भर्ती कण्डक्टरों के पद से नहीं होती है। दोनों पदों का वेतन-क्रम एक ही है परन्तु केडर अलहदा है ।

२३—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार विचार करने को तैयार है कि कंडक्टरों की मांग कि वह बुकिंग क्लर्क होना पसन्द करते हैं इस पर विचार करने को तैयार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

२४-२५—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—[१५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये] ।

२६—**श्री सुखलाल**—[१४वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया] ।

२७—**श्री काशीनाथ मिश्र**—[हटा दिया गया] ।

२८—**श्री काशीनाथ मिश्र**—[४ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न ७५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है] ।

बर्डघाट-खजनी सड़क

२९—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में बर्डघाट से खजनी की सड़क पक्की हो गई है तो क्या उस पर बस (सरकारी) चलायी जायेगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। निश्चित रूप से समय बताना सम्भव नहीं है ।

बांदा जिले में बस सर्विस

३०—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि जिला बांदा से वाया चित्रकूट व कर्वी तथा इलाहाबाद को प्राइवेट बसें कितनी तादाद में आती जाती हैं और क्या सरकार को यह भी पता है कि बीच में ग्राम रैपुरा में नदी पर कोई पुल न होने के कारण बरसात में गाड़ियां रुक जाया करती हैं ? क्या सरकार इस रोड पर सरकारी बसें चलाना चाहती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—दोनों ओर से ५ बसें प्रतिदिन आती व जाती हैं। जी हां, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिये। जी हां।

३१—श्री मोहनलाल अहिरवार—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया]।

३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया]।

३३-३४—श्री मैनेजरसिंह—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये]।

३५-३७—श्री मैनेजरसिंह—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १३९-१४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]।

खीरी उपनिवेशन योजना का आडिट

३८—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि (सम्पूर्णनगर) खीरी कालोनाइजेशन स्कीम जब से प्रारम्भ हुई है तब से उसके हिसाब का अब तक कितनी बार आडिट हुआ है और उसमें कौन-कौन-सी गड़बड़ियां पाई गईं ?

श्री चरणसिंह—खीरी उपनिवेशन योजना के हिसाब का अब तक ६ बार आडिट हुआ है। इन आडिट नोटों में बहुत-सी आपत्तियां है, जिनमें कोई भी विशेष रूप से गंभीर नहीं है। जो त्रुटियां आडिट ने बताई थीं जैसे कैशबुक का ठीक न रखना, बांड का ठीक न भरा जाना इत्यादि उनको ठीक किया जा रहा है और बहुत कुछ आपत्तियां अन्तिम रूप से तय हो चुकी हैं। कुछ आपत्तियों के संबंध में पत्र व्यवहार हो रही है और स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें वास्तव में गड़बड़ी है कि नहीं। इसलिये उनके संबंध में स्पष्ट सूचना देना सम्भव नहीं है।

मैनपुरी बस स्टेशन पर टेलीफोन न होना

३९—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी राजकीय बस स्टेशन पर कुछ समय पूर्व टेलीफोन लगा था क्या वह काट दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की तकलीफ को देखते हुये बस स्टेशन मैनपुरी पर पुनः टेलीफोन लगवाने की व्यवस्था करेगी और कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। टेलीफोन शीघ्र लगवाने का प्रयत्न हो रहा है।

४०—श्री उग्रसेन—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया]।

४१—श्री रतीपाल—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया]।

सुल्तानपुर जिले में ड्रेनें खुदवाने की आवश्यकता

४२—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सकार को विदित है कि सुल्तानपुर जिले में जामों परगने से निकलने वाली "मसियांब ड्रेन" अभी तक न खुदने के कारण हर वर्ष सामूहिक सहकारी कृषि समिति मसियांब तथा अन्य अनेक ग्रामों को water-logging के कारण क्षतिग्रस्त होना पड़ता है क्या सरकार उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने की कृपा करेगी और बतायेगी कि किस निश्चित तिथि तक कार्य पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, विभाग द्वारा मसियांव ताल ड्रेन का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस ड्रेन का कार्य जून, १९६५ तक पूर्ण होने की आशा है।

४३—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार को विदित है कि सुल्तानपुर जिले के जामों परगने से गुजरने वाली अहुरी ड्रेन के अभी तक न खुदने के कारणको हरवर्ष बलभद्र पुर, अजबगढ़, शाहपुर आदि अनेक ग्रामों को water-logg'ng के कारण क्षतिग्रस्त होना पड़ता है ? क्या सरकार उसे शीघ्र पूरा कराने की कृपा करेगी और बतायेगी कि किस निश्चित तिथि तक कार्य पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, विभाग द्वारा अहुरी ताल ड्रेन बनाने का विचार है और जून, १९६४ तक उसके पूर्ण होने की आशा है।

४४—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों योजनायें इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य पूर्ण होंगी ? यदि हां, तो किन कारणों से उनमें कार्य नहीं हो रहा है ? क्या अगले वर्ष के बजट में उनको पूर्ण कराने का प्रबन्ध रक्खा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि उक्त दोनों योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्ण होने की आशा है पर अभी इनका सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका है। अगले वर्ष के बजट (१९६३-६४) में इन योजनाओं के पूर्ण होने की आशा नहीं है क्योंकि भूमि प्राप्त होनें में समय लगेगा।

दहेज कानून

४५— श्री रघुनाथसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की ओर से कड़ाई के साथ दहेज कानून के पालन करने कराने की कोई व्यवस्था है ? यदि है, तो उसका क्या रूप है ?

श्री सैयद अली जहीर—डाउरी प्राहिबिशन ऐक्ट, १९६१ की धारा ३ के अन्तर्गत समस्त अभियोग किसी शिकायत के आधार पर अन्य अपराधों के अभियोगों की भांति न्यायालयों द्वारा सुने जा सकेंगे। धारा ४ के अन्तर्गत अभियोग प्रस्तुत करने के पहले राज्य सरकार या उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य सरकार ने राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों (कार्यपालिका) को उक्त धारा के अन्तर्गत स्वीकृति देने के लिये निर्दिष्ट कर दिया है।

परिवहन विभाग, इलाहाबाद में परिगणित जाति के कर्मचारी

४६— श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद रीजन के प्रत्येक जिले में निम्नलिखित पद पर कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहें हैं तथा उसमें कितने परिगणित जाति के हैं :

(१) बस कन्डक्टर,
(२) बस निरीक्षक,
(३) बुकिंग क्लर्क
(४) मजदूर,
(५) क्लीनर,
(६) चपरासी ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०५९ पर)

खीरी जिले में प्राइवेट बसें व ट्रक्स

४७—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी), श्री बंशीधर मिश्र (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि खीरी जिले में निजी तौर से बसों और ट्रकों को चलाने के लिये विभाग की ओर से आजकल कुल कितने परमिट होल्डर्स (Permit holders) हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—क्रमशः ३२ व ७५ हैं

४८—श्री छेदालाल चौधरी, श्री बंशीधर मिश्र तथा श्री बंकटासिंह—क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व कथित निजी बसों ट्रकों के परमिट होल्डर्स में से ऐसे कौन-कौन और कितने हैं जो परमिट लेकर के स्वयं ट्रकों और बसों को नहीं चला रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा कोई मामला साबित नहीं हुआ है।

जलेसर–एटा तथा जलेसर–सादाबाद मोटर ट्रान्सपोर्ट

४९—श्री वेदराम (जिला एटा)—क्या परिवहन मंत्री बतलायेंगे कि जलेसर–एटा और जलेसर–सादाबाद सड़क पर मोटर ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसके कार्यरूप में परिणित होने में कितना समय लगेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

इटावा में बस कण्डक्टरों का चुनाव

५०—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ए० जी० एम० इटावा ने अभी मई महीने में बस कन्डक्टर का कोई चुनाव किया है यदि हां, तो इस चुनाव का आधार क्या रक्खा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—अप्रैल, १९६२ में कन्डक्टरों के चुनाव के सिलसिले में लिखित परीक्षा इटावा में हुई थी। चुनाव का आधार संलग्न विवरण-पत्र में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०६० पर)

५१—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस चुनाव मेंकितने बस कन्डक्टर चुने गये उनमें कितने हरिजन और कितने बैकवर्ड लिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—उक्त परीक्षा में कुल १११ अभ्यर्थी सफल हुये जिनमें ५ हरिजन हैं। पिछड़े वर्ग केसंबंध में कोई अलग से आंकड़े नहीं रक्खे जाते।

५२—श्री उग्रसेन—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

५३—श्री गणेशचन्द्र काछी—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

गिरवां ग्राम में पानी रुकना

५४—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर बन जाने के कारण ग्राम गिरवां नौहाई तहसील नरैनी, जिला बांदा में किसानों की उपजाऊ भूमि में पानी भरा रहता है ? क्या कोई योजना ऐसी है जिससे पानी निकाला जा सके ? अगर हां तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—ग्राम गिरवां की भूमि में पानी भरे रहने का कारण नहर का बनना नहीं है वरन प्राकृतिक नालों में ग्रामीणों द्वारा मेड़ या बन्धी का बनाया जाना है इस पानी को निकलने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। क्योंकि सहायक नालियों जिन की लम्बाई ५ मील से कम है, ग्राम सभा द्वारा ही बनाई जाती है।

५५—श्री जगदीश (जिला बस्ती)—[१४ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

५६-५७—श्री उग्रसेन—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

जलकर ग्राम से पानी निकासी की कठिनाई

५८—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार वर्तमान सत्र के ३१ मई, १९६२ के प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगी कि जल निकासी की योजना किन-किन बातों के कारण अव्यवहार्य है ?

श्री राममूर्ति—ग्राम जलकर तहसील बांसगांव (गोरखपुर) तरैना नाला के वाहिनी तरफ है। बरसात में पानी नीची जमीन में इकट्ठा हो जाता है। जल निकासी की योजना इस कारण अव्यवहार्य है कि राप्ती नदी का तल (level) तरैना नाला से ऊंचा है और इसी वजह से पानी बरसात में भर जाता है। जैसे ही राप्ती अपने सामान्य तल पर आ जाती है पानी अपने आप ही निकल जाता है।

५९—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुल कितने एकड़ भूमि इस जल निकासी योजना से प्रभावित है ?

श्री राममूर्ति—कुल १२० एकड़ भूमि।

हेमपुर फार्म में नीलाम

६०—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हेमपुर फार्म (गोशाला) जिला नैनीताल में एक ट्रैक्टर प्लाऊ हेरो, ३ कम्बाइन मशीनें तथा मशीनरी का फुटकर सामान (स्केप) जिसका अनुमानित मूल्य लगभग ३ लाख रुपया है मैनेजर द्वारा केवल ६० हजार रुपये में नीलाम किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त नीलाम का स्थानीय पत्रों में विज्ञापन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चरणसिंह—जी हां हेमपुर फार्म पर बेकार (unserviceable) कुछ ट्रक्टर तथा खेती की और मशीने प्रयोग में लाये हुये उनके पुर्जे आदि के साथ हेड क्वार्टर लखनऊ के प्राविधिक अफसरों की देख रेख में सरकारी नीलाम कर्ता द्वारा नीलाम किया गया। नीलाम किये हुये सामान का पुस्तक मूल्य लगभग एक लाख ३२ हजार रुपया था और अंकित मूल्य २९,४४७ रुपया था तथा इसके नीलाम से ३८,३७९ रु० प्राप्त हुआ।

जी हाँ। इस नीलाम का विज्ञापन स्थानीय, प्रान्तीय एवं भारतीय स्तर के पत्रों में किया गया था।

६१—श्री हिम्मतसिंह—क्या यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों ने आपस में मिलजुल कर के ही नीलाम खरीदा ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

६२—श्री हिम्मतसिंह—उक्त नीलामशुदा वस्तुएं सरकार द्वारा कब खरीदी गई तथा कितने रुपये में खरीदी गई थी, इन वस्तुओं के नीलाम की स्वीकृति किससे और किसके द्वारा ली गई थी और कब ?

श्री चरणसिंह—ये मशीनें कृषि इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थीं वहां से इस संघ को स्थानान्तरित की गई। उस समय इन मशीनों का पुस्तक मूल्य (Book Value) २,६७,५४० रु० था। इस सामान को नीलाम करने की स्वीकृति सामान्य प्रबन्धक द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से ली गई थी। सरकार ने यह स्वीकृति अक्तूबर २९, १९६१ को दी थी।

६३—६५—श्री उग्रसेन—[१४वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

माताटीला रोड की मरम्मत

६६—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतायेगी कि झांसी में माह अगस्त, १९६२ में माननीय राज्यपाल महोदय के जाने पर माताटीला रोड की मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री राममूर्ति—माताटीला रोड की कोई मरम्मत माननीय राज्यपाल महोदय के जाने पर विशेषरूप से नहीं कराई गई। रोड की मरम्मत जो आमतौर से सालाना होती रहती है कराई जा रही थी और अब भी जारी है।

रायबरेली जिले में साहीवाल गायों का वितरण

६७—**श्री रतीपाल**—क्या विकास मंत्री को ज्ञात है कि रायबरेली जिले के अन्तर्गत १९६१–६२ में साहीवाल नस्ल की गायें तथा उन्नतिशील नस्ल की भैंसें और बकरियां बांटी गयी है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। १९६१–६२ में केवल साहीवाल नस्ल की ३ गायें बांटी गईं। कोई भी उन्नतिशील नस्ल की भैंस विभाग द्वारा उक्त वर्ष में नहीं बांटी गईं। बकरियों का वितरण इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

६८–६९—**श्री बेदराम**—[१४ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

७०—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव**—[१४वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

७१–७२—**श्री जगदीशप्रसाद तथा श्री दलजीतसिंह** (जिला बहराइच)—[२३ अक्तूबर, १९६२ के लिए प्रश्न ८७–८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

७३–७४—**श्री रघुनाथसिंह**—[१४वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

झांसी के चुनाव कार्यालय में छपाई

७५—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के चुनाव कार्यालय में सन् १९५९–६२ तक साइक्लोस्टाइल द्वारा इलेक्टर रोलों के छपाने में कितने कर्मचारियों ने कार्य किया व कितनी छपाई इस अवधि में हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—झांसी के चुनाव कार्यालय में सन् १९५९–६२ तक साइक्लोस्टाइल द्वारा एलेक्टर रोलों की छपाई के लिए एक एलेक्शन इंस्पेक्टर, चार टाइपिस्ट, एक डुप्लिकेटर आपरेटर तथा एक चपरासी स्वीकृत किये गये थे। इसके अतिरिक्त एक अथवा दो टाइपिस्ट कुछ अवधि के लिये और स्वीकृत किये गये थे। इस अवधि में लगभग ५,००० पृष्ठ साइक्लोस्टाइल द्वारा छापे गये।

७६—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ के जनरल एलेक्शन में उत्तर प्रदेश में एलेक्टररोल की छपाई में कितने लाख रुपये का खर्चा सरकार का हुआ और जिलों में एलेक्टर रोल की छपाई स्वयं सरकार के प्रारम्भ करने पर कितने लाख रुपयों की बचत सरकार की हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—सन् १९५७ के जनरल इलेक्शन के लिये इलेक्टर रोलों के तैयार करने तथा उनकी छपाई में कुल ४२ लाख रुपया खर्चा हुआ और सन् १९६२ के जनरल एलेक्शन के लिये एलेक्टर रोलों के तैय्यार करने तथा साइक्लोस्टाइल द्वारा छापने में अनुमानित खर्चा लगभग साढ़े २५ लाख (रु० २५.५० लाख) है। इस प्रकार इस योजना द्वारा लगभग १६ लाख रु० की बचत सरकार की हुई।

७७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार चुनाव कार्यालय के एलेक्टर रोल इत्यादि की छपाई करने वाले कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है जिससे उनमें बहुत असंतोष है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। इन कर्मचारियों की छटनी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस योजना को भविष्य में जारी रखने का विचार है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की आशा की जाती है।

७८-८०—श्री शिवनाथसिंह—[१४ वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

८१—श्री ऊदल—[१४वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

ए०जी०एम० आफिस रोडवेज, मेरठ के हेड क्लर्क के विरुद्ध शिकायत

८२—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ए० जी० एम० आफिस सरकारी रोडवेज मेरठ में हेडक्लर्क जी० एल० सरीन के खिलाफ बहुत सी शिकायतें रिश्वतखोरी आदि की थी जिसकी जाँच कम्पलेंट अफसर ने की थी तथा जिनके आधार पर ४ माह पहले उक्त हेड क्लर्क के तबादले का आदेश हुआ था ? यदि हाँ, तो आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हाँ।

प्रशासकीय कारणों से तबादले के आदेश स्थगित किये गये जो अब पुनः जारी कर दिये गये हैं।

८३—श्री हेतरामसिंह—[१४वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

८४-८६—श्री चन्द्रबली सिंह—[२३ अक्तूबर, १९६२ के लिये प्रश्न ६२-६४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

चुनाव पेटीशंस

८७—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल कितने पेटीशन दायर किये गये और उनमें अब तक कितने तय हो चुके हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—विधान सभा के सदस्यों के चुनावों के विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल ५० पेटीशन दायर किये गये और उनमें से अब तक ४ तय किये जा चुके हैं।

जूट रिसर्च सब स्टेशन, घाघरा घाट का विलयन

८८—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिला के अन्तर्गत जूट रिसर्च सब-स्टेशन घाघरा घाट का विलयन १ अप्रैल, १९६२ से कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि उपरोक्त रिसर्च सब-स्टेशन के कर्मचारियों को उनका वेतन १ अप्रैल, १९६२ से अब तक नहीं दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—जी हाँ, विलयन १-४-१९६२ से हो गया है। सभी कर्मचारियों का वेतन दिया जा चुका है, सिवाय रिसर्च अफसर के जिसके सम्बन्ध में आज्ञा शीघ्र जारी होगी।

८९—श्री गिरजाप्रसाद—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त रिसर्च सब-स्टेशन के कर्मचारियों का वेतन-क्रम बदल कर राज्य कर्मचारियों के स्तर पर लाया जा रहा है और उनकी सेवा-काल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---भारतीय केन्द्रीय जूट समिति से संमत शर्तों के अनुसार सभी कर्मचारियों का वेतन-क्रम राज्य सेवा के तत्स्थानी वेतन क्रम पर ले आया गया है। सेवा काल की गणना का प्रश्न विचाराधीन है जो शीघ्र ही विनिश्चित हो जायगा।

९०—९२---**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया**---[१४वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

९३-९४—**श्री विशनलाल यादव** (जिला मुरादाबाद)---[१४वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में बांध निर्माण के लिये सर्वेक्षण

९५—**श्री कैलाश** (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया की छोटी गंडक तथा धनुवा नदी के किनारे तथा कोई बाँध तथा रेगुलेटर बनाने की योजना है? अगर हाँ, तो किन-किन स्थानों पर?

श्री राममूर्ति---इस कार्य के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

मुरादाबाद जिले में गन्ने की फसल को पानी न मिलना

९६—**श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद में ३ जून, १९६२ को नहरों में पानी बन्द कर दिया गया उसके कारण से कितनी ऊख बिला पानी के रह गई?

श्री राममूर्ति---ठाकुरद्वारा तहसील में खरीफ १३७० फसली में ३६०५ एकड़ बोई गई ईख में से १५९२ एकड़ की सिंचाई नहर के द्वारा हुई। शेष ईख में नहर द्वारा सिंचाई नहीं हुई।

९७---**श्री रियासत हुसैन**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील अमरोहा बिलारी, सम्भल हसनपुर, जिला मुरादाबाद में पूरे वक्त बिजली न मिलने के कारण कुयें नहीं चले इससे ईख की पैदावार में कितनी हानि हुई?

श्री राममूर्ति---सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा नहर से धरमपुर अल्पिका न निकलना

९८---**श्री रघुनार्थसिंह** (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर की शाखा की एक उपशाखा गड़सरा गाँव पूरब से निकाल कर उससे धरमपुर, अजगरा गाँवों (चोलापुर) ब्लाक की सिंचाई की जाने को थी उस पर अब तक काम चालू क्यों नहीं हुआ? इस उपशाखा की स्कीम यदि रद्द कर दी गई है, तो इन गाँवों के लिये सिंचाई की क्या व्यवस्था की जावेगी?

श्री राममूर्ति---उक्त ग्रामों की सिंचाई के हेतु शारदा नहर की मड़ियाहूं ब्रांच को चोलापुर माइनर से धरमपुर नामक माइनर निकालने का प्रस्ताव था। परन्तु गोमती सागर योजना जिससे शारदा नहर में पानी की क्षमता बढ़ाई जाने वाली थी, सरकार द्वारा अस्वीकृत हुई। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई नया कदम निकट भविष्य में उठाना सम्भव न होगा।

बिन्दकी तहसील में सिंचाई साधनों का अभाव

९९—**श्री रामकिशोर वर्मा**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दकी तहसील, जिला फतेहपुर के पश्चिमी-दक्षिणी भाग के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये कोई योजनायें स्वीकार की हैं? यदि हां, तो कितने नवीन रजवहे बनाने अथवा वर्तमान रजवहों की क्षमता बढ़ाने और कितने ट्यूबवेल लगाने की योजना है और वह कहां-कहां है तथा प्राथमिकता क्रम से किन-किन में और कब से काम प्रारम्भ की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, क्योंकि तृतीय योजना में राम गंगा बाँध में पानी उपलब्ध होने की आशा नहीं है।

१००—**श्री रामकिशोर वर्मा**—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उक्त क्षेत्र असिंचित है तथा वहाँ प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार की सिंचाई योजनाओं का विकास, अथवा विस्तार नहीं किया गया है? क्या इस स्थिति को देखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के साधन जुटाने की दिशा में प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे?

श्री राममूर्ति—प्रथम भाग, जी हाँ।

द्वितीय भाग, तृतीय योजना काल में रामगंगा बाँध में पानी उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। अतः इस योजना काल में सिंचाई के साधन जुटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नों तथा नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—प्रश्नों के सम्बन्ध में एक मिनट निवेदन करना है। मेरे प्रश्न ९ से ११ आज हटा दिये गये। कल जो हमें सूची मिली थी उसमें ये प्रश्न स्वीकार किये गये थे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आज ये क्यों हटा दिये गये। मुझे इसकी सूचना भी नहीं दी गयी। इसके अलावा यह बहुत व्यापक सवाल है, २४० कर्मचारियों से संबंधित हैं। ये कैसे हटा दिये गये यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं निवेदन कर दूं। सब प्रश्न क्यों हटाये गये, क्यों स्थगित किये गये उनकी सारी सूचनायें तो मेरे पास नहीं होती हैं। माननीय सदस्य अगर सचिवालय में उन बातों को जान लें और फिर मालूम हो कि उसमें कोई गडबड़ी हुई है तो मैं कुछ सहायता कर सकूंगा। अब, इसमें मुझे यह बतलाया जाता है कि माननीय विजयपाल सिंह जी के पास कुछ स्पष्टीकरण के लिये भेजा गया है। क्या स्पष्टीकरण माँगा है यह तो मुझे नहीं मालूम। आपके पास नहीं गया है इसी वजह से आपने पूंछ लिया।

श्री ऊदल—ये प्रश्न तो मुझसे भी संबंधित थे।

श्री अध्यक्ष—ऊदल जी, हम कैसे जवाब दें जब तक हम देखें नहीं। मैं तो यही कह सकता हूं कि आप स्वयं देख लीजिये। अगर इस में कोई गड़बड़ी है तो मैं उसको दूर कर दूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—निवेदन यह है कि पिछली बार जब असेम्बली बन्द हो रही थी उस समय मैंने एक नियम ५२ की सूचना दी थी जिस पर माननीय सिंचाई मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि शुक्रवार को उस पर वे अपना वक्तव्य दे सकेंगे। वह सूचना गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क के मजदूरों को मजदूरी के सिलसिले में थी।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। अब मुझे ये सूचना दे रहे हैं कि १८ तारीख को वह आ रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह---आप जरा देखिये कि कब वह सूचना दी गयी, कब की आपने डेट फिक्स की, मंत्री जी ने कहा कि छुट्टी के बाद वे वक्तव्य दे सकेंगे। मैंने कल भी देखा था और आज कहा जाता है कि १८ तारीख को आयेगा।

श्री अध्यक्ष---अब १८ को तो आ ही रहा है।

श्री कल्पनार्थसिंह---यह तो मैंने मान लिया, लेकिन जो इस तरह की इर्रेगुलैरिटी की जाती है, हजरत लोग जो पचासों की तादाद में बैठे हैं ये किस काम के लिये हैं?

श्री अध्यक्ष---सचिव बता रहे हैं कि पहले सिंचाई मंत्री के पास हमने भेजा तो उन्होंने कहा कि मुझसे संबंधित नहीं है, राजस्व मंत्री जी से संबंधित है। तो आप जरा मालूम कर लीजिये। अगर उन्होंने गड़बड़ी की है तो फिर कहा जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह---यह बात तो उसी दिन कह देनी चाहिये थी। टेस्ट वर्क का संबंध सिंचाई मंत्री से तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने कबूल किया। फिर यह कह देंगे कि मुख्य मंत्री से संबंधित है। मुख्य मंत्री कह देंगे कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। आखिर इसकी कोई हद होगी?

श्री अध्यक्ष---अच्छा १८ तारीख को ही विलम्ब का कारण देख लेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव भेजा है वह तो कल मैंने नियम ५२ में ले लिया है। आप देखेंगे कि जो कार्यवाही हुई उसमें मैंने यहां तक पढ़कर सुनाया था। "इसी प्रकार १३,१४ अक्तूबर की रात को कप्तानगंज कस्बे में पुलिस द्वारा घृणित कार्य करने की कार्यवाही की गई जिसके विरोध में १४ अक्तूबर को हड़ताल रही। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के...."।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष जी, आपने लिया जरूर है। आपने कहा था कि केवल अतरौलिया कांड ही ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---वह तो मैंने गलती से कह दिया है, इस वास्ते कि मैंने यहां तक ही पढ़ दिया था और जो मैंने मंत्री जी के पास भेजा है उसमें दोनों हैं।

बस्ती जिले की हरैया तहसील में घाघरा के कटाव से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रणबहादुर सिंह जी की एक सूचना मेरे पास आई है। वह इस प्रकार है कि "बस्ती जिले की हरैया तहसील में घाघरा नदी के कटाव की वजह से ६ ग्राम कन्हईपुर, मौसिया, सहजौरा, त्रिलोकपुर, दुर्वारा, बेतावा, एक दम कट गये हैं। लोग बेघर के हो गये हैं। उनके पास खाने पीने का साधन नहीं है।

सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध इस संबंध में नहीं हुआ है। जिला अधिकारियों ने मेरे साथ दौरा किया किन्तु कोई भी प्रबन्ध अब तक न होने के कारण स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है जिस पर सरकार का ध्यान दिलाना अत्यन्त आवश्यक है।

इसको मैंने स्वीकार करके माननीय राजस्व मंत्री जी के पास भेजा है। (माननीय माल मंत्री जी से) कब तक आप वक्तव्य देंगे?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---श्रीमन्, ४, ५ रोज का अवसर दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अगर शुक्रवार तक हो सके तो दे दीजिये नहीं तो सोमवार को होगा।

२७ सितम्बर, १९६२ की विधान सभा की कार्यवाही की नेशनल हेरल्ड के सम्पादकीय लेख में टीका के सम्बन्ध में अभिसूचित नेशनल हेरल्ड तथा उसके सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---अब विशेषाधिकार की सूचना के संबंध में सूचना माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद और काशीनाथ जी की है। वह मैंने पढ़कर सुना दी थी। दुबारा फिर पढ़े देता हूं। (श्री टम्बेश्वरी प्रसाद से) आप प्रेस कर रहे हैं?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---जी हां।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, सूचना इस प्रकार है कि "नेशनल हैरल्ड पत्र दिनांक २९-९-६२ के सम्पादकीय लेख में विधान सभा कार्यवाही एवं सदस्यों के विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया एवं भाषणों की निन्दनीय रूप से टीका की गई है। एवं कार्यवाही का भी मिथ्या वर्णन है। मुख्य मंत्री का गलत बयान देने के बाद से यह सदन की भर्त्सना से बच जाने के कारण यह पत्र जो कांग्रेस दल के एक मुख्य प्रचारक के रूप में काम कर रहा है और भी उच्छृंखल, निन्दनीय हो गया है। इस पत्र की यह हरकत कहां तक बढ़ गई है उसका उसके २९-९-६२ के सम्पादकीय लेख की निम्नलिखित पंक्तियों से अवलोकन हो सकता है—

1. Uttar Pradesh is fast becoming the grave of democracy and may soon become the home of fascism. For some days, Jan Sangh and Socialist members were distinguishing themselves in doing damage to the dignity of the legislature and thereby to its prestige.

2. But U. P. Assembly proceedings are becoming unreadable and the behaviour of some of its members is unbearable.

3. Opposition parties in U. P. Assembly, especially Jan Sangh and the Socialist Members are directing their efforts to the conversion not of the government but of the electorate, thereby foregoing the opportunity of persuading to modify an already modified bill.

उपरोक्त प्रकार के तथ्य न तो सही है, न कोई स्पष्ट घटना का वर्णन है, वरन् विधान सभा कार्यवाही की अनुचित एवं निन्दनीय टीका तथा मिथ्या कार्यवाही का प्रकाशन है। उपरोक्त कारणों से मैं आपके द्वारा नैशनल हैराल्ड पत्र के सम्पादक एवं पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूं। कृपया इसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने की स्वीकृति दें।

इसके साथ साथ माननीय काशीनाथ जी का भी एक है। उसमें लिखा है कि 'इंग्लिश दैनिक "National Herald" जो लखनऊ से प्रकाशित होता है और सरकारी पक्ष का प्रमुख पत्र है अपने २९ सितम्बर के सम्पादकीय लेख में इस आदरणीय सदन की कार्य प्रणाली की बुरी तरह से टिप्पणी की है। श्रीमन् की जानकारी के लिये उस लेख का एक वाक्य उद्धृत कर देना काफी होगा।

"U.P. Assembly proceedings are becoming unreadable and behaviour of some of its Members is unbearable".

श्रीमन्, इस तरह की टीका इस आदरणीय सदन का अपमान है और हमारी विधान सभा की नियमावली के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही सोसलिस्ट पार्टी और जनसंघ के उन विधायकों के अधिकारों की भी इस लेख द्वारा अवहेलना हुई है जो २७ सितम्बर को सदन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं थे। अतः मैं आपकी आज्ञा से लखनऊ इंग्लिश दैनिक National Herald के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

तो जैसा कि मैंने पिछली बार निवेदन किया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना हमारे सामने है। इसमें मैं समझता हूं कि कुछ मौलिक सिद्धांतों पर विचार करना है और वह मौलिक प्रश्न इस विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना में निहित है। एक तरफ तो प्रश्न यह है कि इस सदन का गौरव, इस सदन की मर्यादायें और इस सदन के सदस्यों के वाक्-स्वातंत्रय के अधिकार सुरक्षित रहें। दूसरी तरफ हमारे सामने प्रश्न यह है कि समाचार पत्र को जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी क्रिया-कलापों से संबंध है। तो क्या समाचार-पत्र, या समाचार पत्र क्यों कहें, जिन लोगों ने हमें चुन कर भेजा है, उनको हमारे विचार, हमारे जो तरीके यहां हों, उनके ऊपर कुछ आलोचना करने का अधिकार है या नहीं। अगर उस आलोचना को हम रोकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लोकतंत्रीय संस्थाओं और पद्धतियों पर आघात पड़ता हो। यह सब बातें हमारे सामने इस विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के अन्तर्गत आ जाती हैं। इसलिये मैं स्वयं इस का निर्णय नहीं कर रहा हूं। आप लोगों पर रख रहा हूं। आप जरा गम्भीरता-पूर्वक इन दोनों प्रश्नों पर अगर प्रकाश डालें तो इसके निर्णय करने में सुविधा होगी। जैसा मैंने निवेदन किया श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी इस पर जरा प्रकाश डाल दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदन की टीका, जब कि वह कार्यवाहियों पर होती है और समाचार के रूप में न हो कर एडीटोरियल या सम्पादकीय के रूप में होती है तो वह और भी गम्भीर हो जाती है। उन अंशों को छोड़कर, जिनको मैंने यहां पर लिखा है आपके सम्मुख, अन्य समाचार पत्रों का भी इस समाचार पत्र ने नीचे जिक्र करते हुये दो शब्दों का प्रयोग सदन के बारे में किया है और वह प्रयोग किसी सदस्य विशेष पर नहीं है, बल्कि पूरे सदन पर है। मेरा खयाल है कि वह आपके द्वारा सदन के कंट्रोल करने पर भी और आप के अधिकार पर है और माननीय गुप्ता जी द्वारा ऐसे सदन के नेतृत्व पर भी है। देखिये इसमें एक स्थान पर "बेडलाम" शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां तक इस शब्द के प्रयोग करने का सवाल है हो सकता है कि किन्हीं समाचारपत्रों ने इस लाइट में प्रयोग किया था कि यहां शोर शराबा था, लेकिन इस समाचार पत्र ने कैपिटल 'B' अर्थात् बड़े 'बी' से इस शब्द को लिखा है और इस तरह से इस सदन को इस शब्द के प्रयोग द्वारा एक पागलखाने की संज्ञा दी गयी है।

इसके साथ ही साथ, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह कहना कि कुछ सदस्यों ने ऐसा किया या यह कि इसकी प्रोसीडिंग्स अनरीडेबिल है, यह मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि यहां की प्रोसीडिंग्ज आपकी संरक्षता में होती है। कई बार जब यहां पर सवाल उठाया गया तो आपने स्वयं कहा कि यहां की प्रोसीडिंग्स बड़े सुन्दर ढंग से रखी जाती है। तो उनके पढ़े जाने में और उनके समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती।

विद्युत उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण था न?

श्री अध्यक्ष—जरा बहुत गम्भीर सवाल है इस पर सेंटीमेंट्स और इमोशन्स नहीं आने चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जहां तक शांतिपूर्ण वातावरण का संबंध है संभवतः आपने कुछ लोगों को ऐसा आदेश दिया जिसे आपने स्वयं माना कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको आपने आदेश दिया होता तो वह निकल जाते। लेकिन वह रह गया और वह अकारण ही अरदब में आ गये और निकाल दिये गये। इस सदन की कार्यवाहियों में कई बार कहा जा चुका है कि उस मामले में कितनी ज्यादती की।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक नहीं है अब।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—वह पूछते हैं तो जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद । जब उन्होंने कहा था तभी मैंने इशारा कर दिया । अब आप उसको दोहरायेंगे नहीं क्योंकि उससे फिर बहस दूसरी ओर चली जायगी ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष—अब आप मेन बात पर आ जाइये ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—तो मेरा इसके कहने से मतलब यह है कि सदन की एकमात्र किसी कार्यवाही के संबंध में शब्द नहीं हैं बल्कि यह पूरे सदन की टीका है । मुझे यह विश्वास है और मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी टीका के अनुरूप सदन ने कोई काम नहीं किया है, बल्कि जैसा कि मैंने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि इस समाचारपत्र ने, मुझे ऐसा लगता है कि अपना कुछ ऐसा प्रेजुडिस्ड रुख रखा है किन्हीं विशेष कारणों से और यह भी सभी को ज्ञात है कि इस देश के कर्णधार पंडित जवाहरलल नेहरू की संरक्षता में यह समाचार पत्र चल रहा है । साथ ही साथ, जैसा कि आपने उस रोज माननीय गेंदा सिंह जी के मुख से सुना एक बार पहले भी इस समाचारपत्र पर गलत समाचार छाप देने का प्रश्न आ चुका है और अध्यक्ष महोदय, उस समय तो यह समाचार पत्र गलत समाचार छापने के बाद इसलिये बच गया कि गुप्ता जी ने सदन के बाहर वह बयान दिया था । बाहर न दिया होता तो गलतबयानी के आधार पर उसी समय यह समाचार पत्र आपकी भर्त्सना का कारण बना होता। मैंने उसका भी जिक्र इसमें किया है । इन सब बातों को देखते हुये यह देखना पड़ता है कि इसके पीछे क्या मन्तव्य निहित है या कौन सी बात निहित है । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह एक ही बात निहित है कि इस बल के द्वारा कुछ इस तरह के दबाव हैं इस पत्र के ऊपर जिनका जिक्र शायद मैं न करता अगर इस तरह की बात न आयी होती, मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी का १५ लाख रुपये से अधिक का यह समाचार पत्र कर्जदार है और माननीय गुप्ता जी की संरक्षता में.....

एक सदस्य—गलत है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—तो आप कह दीजियेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, हो हो सकता है कि कुछ लाखों में गलती हो गई हो, १५ लाख के बजाय २० लाख हो या साढ़े चौदह लाख हो । मेरा यह निवेदन है कि किस प्रकार यह समाचार पत्र इस धृष्टता को कर रहा है यह आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सदन के ऊपर इसको इस प्रकार की टीका करने की नौबत आ गई कि आप माननीय अध्यक्ष तक की संरक्षता में जो कार्यवाही चल रही है उसके लिये इस पूरे हाउस को उसने एक पागलखाने की संज्ञा दे दी । मैं इस समय कुछ दल विशेष के सदस्यों के प्रति जो बात इस समाचार पत्र में कही गई है उसका इसलिये बहुत अधिक जिक्र यहां पर नहीं कर रहा हूं क्योंकि जहां जहां पर यह टीकायें की गई हैं वहां वहां वह टीकायें पूरे सदन की हैं और जहां जहां मैंने आपका ध्यान दिलाया है वहां वहां पूरे सदन पर वह टीका की गई है । मैं ऐसा समझता हूं कि अगर इस प्रकार की छूट रही तो यह सदन के जो सदस्य हैं वह अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते और अपने विचार व्यक्ति करने में उनको बाधा पहुंचेगी । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आप कृपा कर इसको विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपने जो अभी प्रश्न उठाया वाक-स्वातंत्र्य का और अखबार के स्वातंत्र्य का वह बिलकुल सत्य प्रश्न है । मैं एक अंश तक यह भी मानने को तैयार तो हो जाऊंगा कि समाचारपत्रों को यह स्वतंत्रता है कि वह टिप्पणी कर सकें, लेकिन यह स्वतंत्रता लाइसेंस नहीं है । टिप्पणी में, यदि सदन में शोर हो रहा था,

तो उसको अपरोरियस कहा जा सकता था, उसको अनडिगनिफाइड कहा जा सकता था। लेकिन यह जो इसका एडीटोरियल है उसमें स्पष्ट श्रीमन्, प्रारम्भ में ही उन्होंने लिखा है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं——

"Uttar Pradesh is fast becoming the grave of democracy and may soon become the home of fascism. For some days, Jan Sangh and Socialist members were distinguishing themselves....".

"This is not a criticism, this is a licence".

....."distinguishing themselves in doing damage to the dignity of the legislature and thereby to its prestige, and Thursday's disturbances in the assembly were the limit. The extent of the damage done can be seen from newspaper reports of the "Pandemonium" and "Bedlam" in the House."

अब इसको पांडेमोनियम और बेडलम को डिफाइन किया है।

" 'Pandemonium' is Milton's word for the capital of hell containing the council chamber of the evil spirits, and Bedlam, derived from St. Bethlehem's Hospital, means a mental home".

तो मैं श्रीमन, से पूछूंगा कि हेल को नरक हिन्दी में कहा जाय तो शायद उचित होगा, तो क्या यह विधान सभा नरक का केंद्र हो गई है ?

श्री अध्यक्ष——दरबार कह सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त——दरबार कहिये या राजधानी कहिये, कैपिटल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो नरक का दरबार या राजधानी अगर यह है तो हमारे नेता सदन का क्या स्थान हो गया ? अध्यक्ष महोदय का क्या स्थान हो गया या जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं। क्या इस अखबार की शब्दावली की परिभाषा के अनुरूप अगर मैं हिन्दी में नारकी कहूं तो हम लोग नारकी हो गये ? क्या यह क्रिटिसिज्म है ? जब क्रिटिसिज्म इंटेन्शनेली मेलिशस है तो वह क्रिटसिज्म किसी स्टेज पर नहीं आता है.....

श्री अध्यक्ष——"The extent of the damage done can be seen from news paper reports...." यह उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रों में इस प्रकार से छपा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त——गाली देना जितना जुर्म है गाली को छापना भी उतना ही जुर्म है। जो बेडलम शब्द कहा गया है उसकी परिभाषा यह दी गई है कि "Means a mental home" माननीय मुख्य मंत्री जी रोज कहते हैं कि हम भी उससे सहमत हैं कि सन्तुलन किसी ने नहीं छोड़ा। क्या यह अखबार हम लोगों को असंतुलित कहें ? इसमें किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है। यह सम्पूर्ण सदन का प्रश्न है जिस पर उनकी टिप्पणी है। अच्छी है या बुरी है इसका प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर कार्यवाही खराब है तो उसके कहने के लिये शब्दावली अलग है। अनडिगनीफाइड, अपरोरियस या अनबिफिटिंग उसके लिये कहा जा सकता है, लेकिन जब इन्टेन्शन मैलिशस है तो वह बहुत निम्न स्तर की बात हो जाती है। जिस समय वह बात उसकी डेफिनीशन के अन्दर आजाती है तो और भी स्पष्ट हो जाती है। उसकी आगे परिभाषा दी है उसको भी पढ़ दूं "The capital of Hell containing the Council Chamber of the evil spirits" क्या यह विधान सभा भवन इविल स्प्रिट का निवास स्थान हो गया ? क्या सारे यहां के जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वह सब इविल स्प्रिट के हो गये ? इविल के माने क्या हैं ? इविल बुरे और खराब के

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

माने में आता है। तो यह क्रिटिसिज्म नहीं है यह लाइसेंस है। फेयर क्रिटिसिज्म समझा जा सकता है, लेकिन जब मैलिशस इन्टेन्शन उसके पीछे हो और जिसको मैं कहूं कि जर्नलिज्म का निम्न स्तर है, तो उस स्तर पर अगर हमारे पत्र उतरते हैं, पत्रकार उतरते है तो पत्रकारिता का नैतिक पतन हो जाता है। इस सारी स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह भी आवश्यक चीज है कि परिधि का उल्लंघन न हो। क्रिटिसिज्म की परिधि शब्दों की परिधि और पार्लियामेंट्री पद्धति की परिधि का यदि नियमन नहीं होता है तो उल्लंघन होता रहेगा और वह सीमोल्लंघन किसी स्तर तक जा सकता है और जनरलिज्म के निम्न स्तर तक को छुआ जा सकता है। इस प्रश्न के अन्दर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हैं। यह सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जब प्रिविलेज कमेटी में जायेंगे तो वहाँ पर शाँति के साथ इस पर विचार हो सकेगा। जैसा आपने कहा कि इसमें भावुकता की आवश्यकता नहीं है मैं इससे सहमत हूं। यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर भावुकता की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। यह इस तरह का प्रश्न है जिस पर दलगत बात नहीं देखी जाती क्योंकि यह सदन का विषय है। इस सदन में जितने दल उपस्थित हैं उन सभी दलों का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदन के विरोधीदल या शासक दल से इसका मतलब नहीं है। सदन की स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारी स्वतंत्रता की टिप्पणी होना अलग बात है .....

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि यह जो एडीटोरियल है यह "Transgrasses the limits of fair criticism." है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं मानता हूं कि सीमोल्लंघन हुआ है। यह हमको आपके सामने रखना है कि इसके अन्दर असीम भी मामले हो सकते हैं। इसका सारा निर्णय शाँति के साथ प्रिविलेज कमेटी के सामने ही होना चाहिये इसलिये मैं श्रीमन् आप के द्वारा सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर वे गंभीरता के साथ विचार करें। इसे दलगत दृष्टि से न सोचें। संपूर्ण सदन की मर्यादा की दृष्टि से विचार करते हुये इसे हम प्रिविलेज कमेटी को भेजें ताकि इन सब बातों को थ्रेश आउट कर के मर्यादा निश्चित हो सके और क्रिटिसिज्म और मैलिशस क्रिटिसिज्म का डिफरेंशियेशन भी हो सके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हुआ है यह एक बड़ा मौलिक प्रश्न है और वह इसलिये कि इस सदन में हमें भाषण स्वतंत्रता कहाँ तक रहेगी और बाहर पत्र और पत्रकार इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें एक सिद्धात नि हित है। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी यह भाषण–स्वतंत्रता विधान में निहित स्वतंत्रता है और हमारी प्रक्रिया नियमावली में भी यह निहित स्वतंत्रता है। हमको यह अख्तियार है कि हम उन नियमों के अन्दर, उस विधान की परम्पराओं को कायम रखते हुये अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक इस सदन में व्यक्त कर सकें। लेकिन क्या ऐसे विचार कि जो यहाँ हमारी इस स्वतंत्रता को मिसलीड करते हों, बाहर अखबारों में छप सकते हैं और क्या यह प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है, यह इस समय विषय विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान एक रूलिंग की ओर दिलाना चाहता हूं जो "The Table—The Journal of the Society of Clerks-at-the-table in Commonwealh Parliaments, Vol. XXV." से ली गयी है। चूंकि यह अंग्रेजी में है इसलिये मैं पढ़ने की इजाजत चाहूंगा और बाद में भावार्थ कर दूंगा। यह रूलिंग इस पुस्तक के पेज ११६ पर दी हुई है जो न्यूज पेपर आर्टिकल रेफलेक्टिंग आन पार्लिया मेंट पर निर्णय देते समय हुई है। इसका एक अंश मैं सुना देता हूं

"Newspaper article reflecting on Parliament—

On 20th February Mr. Speaker's attention was drawn to an article on the front page of the Natal Mercury of Tuesday, 14th February. As the language used in that article in connection with the Joint Sitting of both

House was of a nature which constituted a grave reflection on the dignity and proceedings of Parliament amounting to a breach of privilege, the editor of the newspaper was requested through its representative in the Press Gallery to publish at the earliest opportunity an unqualified apology.

As the editor was not able or prepared to give an assurance that he would do so, the Press and lobby tickets issued to the representative of the newspaper were withdrawn immediately. On 2nd March, however, an apology, approved of by Mr. Speaker was published on the front page of the newspaper and the Press facilities of its representative were subsequently restored".

श्री अध्यक्ष---जिन आधारों पर उन्होंने निर्णय दिया उस पोर्शन को आप पढ़ दीजिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में साउथ अफ्रीका में वहां की असेम्बली में कुछ इस तरह की चीजें सदन में कही गईं और उसके बाद उसका पत्र में एक दूसरे तरीके से अनुवाद किया गया और कमेन्टरी की गई, ऐसा पेश हुआ और इसके बाद प्रिविलेज का ववेश्चन उस असेम्बली में पेश किया गया। आप देखें कि वहाँ पर अध्यक्ष ने इस चीज को होल्ड किया कि यह मटर ऐसा है जिससे कि सदन की मर्यादा का प्रश्न सम्बन्धित है। सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिये पत्र को किसी तरीके से मिसलीडिंग रिपोर्ट नहीं छापनी चाहिये थी। जो रिपोर्ट छपी थी वह प्रिविलेज का प्रश्न है। वहाँ पर पत्र के संवाददाताओं को क्षमा याचना करने के लिये कहा गया और जब उन्होंने नहीं मंजूर किया तो उस आदरणीय सदन में उनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके सदन में उपस्थित होने पर रोक लगा दी गयी।

श्री अध्यक्ष---माननीय दुबे जी ने ९ मिनट लिये हैं और आप भी कृपया इससे ज्यादा न लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि आज विषम स्थिति पैदा हो गई है जिसके अन्दर आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका ऐसी असेम्बली के अन्दर भी, जिस मुल्क को हम अपने से पिछड़ा हुआ मानते हैं, वहाँ भी ऐसे प्रश्न को होल्ड किया गया, तो इस आदरणीय सदन के अन्दर भी उस पर उसी प्रकार से विचार किया जाना चाहिये। आप देखें कि "नेशनल हेराल्ड" ने जो जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के बारे में लिखा है, वह कहाँ तक उचित है। क्या आपने उनकी कोई ऐसी कार्यवाही इस आदरणीय सदन में देखी जिस पर यह कहा जा सकता था। हम लोगों ने कभी ऐसी चीजों का प्रतिपादन नहीं किया है। सोशलिस्ट और जनसंघ दलों ने विषय और परिस्थितियों के वशीभूत हो कर ही सदन के अन्दर एक आचरण किया। "नेशनल हेराल्ड" जो कि एक "माउथ पीस" हमारे उत्तर प्रदेश का माना जाता है, उसने जो शब्दों का प्रयोग किया है, उससे इस आदरणीय सदन का अपमान हुआ है और मैं इसीलिये कहता हूं कि इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजना चाहिये। वहाँ पर हम ठंडे दिल से इस प्रश्न पर विचार कर सकेंगे। इसलिये इसको प्रिविलेज कमेटी को रेफर करें।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही सुन्दर शब्दों में जो वस्तुस्थिति थी, उसको हमारे सामने रखा है। मैं इस बात को मानता हूं कि सदन की मर्यादायें कायम रहनी चाहिये। सदन की मर्यादाएं किसी दल विशेष की बात नहीं होती हैं। वह हर समय की बात है, वे चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों। परन्तु एक बात मैंने जो कई भाषणों में सुनी उससे मुझे भ्रम हुआ है। शायद विशेषाधिकार इस गलतफहमी में भी आ गया है कि यह समझा गया है कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस माउथ पीस है। यह "नेशनल हेराल्ड" किसी पार्टी विशेष का माउथ पीस नहीं है। किसी दल विशेष के साथ उसका सम्बन्ध भी नहीं है। उसने इस आदरणीय सदन के सदस्यों के ऐक्शन्स के ऊपर कमेन्ट्स किये हैं। मैं इस सम्बन्ध में दो एक बातें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इस सम्बन्ध में सदन से स्पष्ट कर दूं कि पत्र की गलत चीज गलत चीज है। चाहें वह किसी का माउथ पीस हों और अगर गलत चीज न हो तो माउथ पीस होने का कोई असर नहीं है।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, आपने स्वयं साफ कर दिया। शायद यह फीलिंग हुई हो, शोरगुल तो कोई गलतफहमी नहीं है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम सब यह जानते हैं कि प्रेस का भी डेमोक्रेसी में एक बड़ा इम्पार्टेन्ट स्थान होता है। फ्रीडम आफ प्रेस को हम सभी मानते हैं। वह फोर्थ स्टेट है। साथ ही हम सदस्यों को भी इस बात का स्वातंत्र्य होना चाहिये कि हम अपने विचारों को अच्छी तरह से बिना किसी दबाव के और कोअरशन के हाउस के सामने पेश कर सकें। मैं इस बात को मानता हूं।

एक बात मैं और कहूंगा कि यहाँ पर जो क्वोटेशन साउथ अफ्रीका की असेम्बली का दिया गया, वह यहाँ लागू नहीं होता है। वहाँ गलत ट्रांसलेशन करने के ऊपर कमेन्ट किया गया था। परन्तु हमारे यहाँ स्थिति दूसरी है। हमारे यहाँ के फैक्ट्स को यदि इस तरह से ट्विस्ट किया जाय जिससे कि गलत मानें निकलें, तब यह विशेषाधिकार की अवहेलना होती है। प्रेस का यह भी काम है कि वह जनमत को बनाता है। पब्लिक ओपीनियन को मोल्ड करता है, बहुत सी चीजों को इंटरप्रेट करता है। सदन के सामने एक चीज वहाँ पर हुई। यह चीज इत्तफाक की थी और चाहे परिस्थितिवश ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने खास तौर से इस तरह से बिहेव किय—वह आज का विषय नहीं, उससे एक रिएक्शन हुआ अखबार के दिमाग में। उसने महसूस किया और जो कंसेप्शन हाउस के सम्बन्ध में उसका था उसके अलावा कुछ उसने और देखा जोकि मर्यादा के बाहर तथा विपरीत था। उसका इंटरप्रिटेशन उसने दिया। पर प्वाइंट यह है, जैसा कि दुबे जी ने उठाया कि यह फेयर क्रिटिसिज्म था या मैलिशस क्रिटिसिज्म था? मैं क्रिटिसिज्म की बात नहीं मानता। अभी अखबारों में छपा है कि १।५ से कम टाइम यू०पी० असेम्बली का खर्च होता है कानून के बनाने में और बाद में यह भी लिखा है कि ८० परसेंट किस तरह से खर्च होता है। अब आप कह सकते हैं कि यह सदन पर रिफ्लेक्शन है कि ८० परसेंट हाउस का टाइम इस तरह से खर्च होता है जैसा कि अखबार लिखता है। मेरे कहने का मंशा यह था कि उनको जो इंटरप्रिटेशन का राइट है उन्होंने सही इस्तेमाल किया या नहीं किया, यह बात हमको देखनी है। मैंने उस एडिटोरियल को पढ़ा है। मेरा कहना अपना रिएक्शन यह है कि उसमें कोई फैक्ट्स को डिस्टार्ट नहीं किया गया है, किसी की स्पीच के बारे में कोई डिस्टार्शन नहीं है। एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर हुआ उसके ऊपर जो प्रेस का रिएक्शन और कमेंट है वह दिया है और मैं समझता हूं कि जो फ्रीडम आफ दि प्रेस है उसके अन्तर्गत, मान्यवर? यह आ जाता है।

एक बात मैं और आपसे इसी बारे में अर्ज करना चाहूंगा कि टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने कहा कि चूंकि इस प्रेस के ऊपर एक बेजा दबाव है एक पार्टी का, क्योंकि मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा १५ लाख रुपया.....

श्री अध्यक्ष—उसको डील न कीजिये।

श्री नवलकिशोर—यहाँ पर वह बात आयी। यह बात बेबुनियाद और गलत थी। इधर-उधर की चीजों को लेकर जब हम इस तरह से चीजों को प्रिजुडिस करते हैं तो फेयर जजमेंट की गुंजायश नहीं रहती। मैं बतलाऊं कि उनकी इत्तला गलत है और बेबुनियाद है। इतनी बात सही है कि किसी साहब के चन्द हजार के शेयर नेशनल हेराल्ड के थे जो उन्होंने डोनेट कर दिये हैं मेमोरियल ट्रस्ट के लिये। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है।

एक सदस्य "नवजीवन" में हैं।

श्री नवलकिशोर—एक हजार के शेयर हैं, मुख्यमंत्री जी ने बतला दिया है। तो इसकी बैकग्राउन्ड यह है। किसी पार्टी के दबाव की वजह से ऐसा एडिटोरियल आया है, ऐसी चीज

नहीं है। मैं मानता हूं कि जो हमारे अधिकार और मर्यादाएं हैं वह कायम रहें, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि प्रेस तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तक को क्रिटिसाइज करते हुये एडिटोरियल लिखता है, उसी राइट के अन्दर उसका यह एडिटोरियल है, उससे आगे नहीं है। इसलिये मेरे दृष्टिकोण से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस विशेषाधिकार को उपस्थित करने से कुछ बहुत मौलिक प्रश्न हमारे सदन के सामने उपस्थित हो गये हैं जिनके ऊपर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये। जैसा आपने प्रारम्भ में कहा था, मैं समझता हूं कि केवल ३ बातें इस विशेषाधिकार के उपस्थित करने से हमारे सामने पैदा हैं। पहली तो यह कि प्रेस और विधायिका सभाओं का लेजिस्लेटिव बाडीज का सम्बन्ध क्या होना चाहिये। कहाँ तक हम जो काम सदन के अन्दर करते हैं उसके ऊपर प्रेस अपनी टीका कर सकता है, हमारी प्रोसीडिंग्स को किस प्रकार से प्रेस छाप सकता है, एक प्रश्न यह है। दूसरी बात यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता की सीमा क्या है और उसको कहां तक स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। तीसरी बात यह है कि जो हमारे इस सदन के विशेषाधिकार और मर्यादाएं हैं उसकी क्या सीमा है? और साथ ही क्या जो बातें हम इस सदन के अन्दर करते हैं इससे जनमत का कोई सम्बन्ध है या नहीं? इन सब बातों के ऊपर हमें गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि इस आदरणीय सदन के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं और जहाँ जहाँ भी संसदीय प्रणाली है वहाँ उनको मान्यता दी गयी है। प्रश्न यह है कि क्या हमारे विचारों की अभि व्यक्ति पर कोई नियंत्रण है या नहीं? मैं समझता हूं कि उस पर नियंत्रण है और हमने भी अपने नियमों को बनाकर उस पर नियंत्रण कर रखा है। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे समाज के अन्दर जो जनमत है, विचारधारा है, या जो दूसरों की मान-मर्यादा है उस पर कहीं ठेस न पहुंचे। मैं समझता हूं कि जिस घटना को लेकर यह सम्पादकीय लिखा गया है उस सम्बन्ध में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उस पर काफी सदन में कहा जा चुका है और सभी माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है। हमने यह भी कहा है कि वह घटना कोई शोभा की बात नहीं है और न ही वह हमारे प्रदेश की, हमारे सदन की या हमारी मर्यादा को रखने वाली है। वह देश चिंता और प्रदेश के अन्दर भी व्यक्त की जा रही है। अब ऐसी बात जो जन-भावना को प्रेरित करे, जनतंत्र में लोगों को सजग करे, उस पर अगर कोई प्रेस टिप्पणी करता है तो वह अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, वह जनमत की अभिव्यक्ति करता है।

अब, अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि उस टीका को करते हुये क्या उस सीमा को उल्लंघन किया है? क्या उससे हमारे विशेषाधिकार पर कोई ठेस पहुंची है? मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इस सम्पादकीय को पढ़ने के बाद मेरा यह निश्चित मत है कि उससे हमारे विशेषाधिकारों पर कोई आघात नहीं पहुंचा है, बल्कि प्रेस ने अपना कर्त्तव्य पालन किया है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, जिन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, "Bedlam" "pan demonium" आदि अगर उन्हीं पर विशेषाधिकार का प्रश्न लाना था तो वह उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाना चाहिये था जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया था। अगर इन पर लाना था तो वह लाया जा सकता था। मैं श्रीमन्, इस सम्बन्ध में "दि प्रेस दि पब्लिक वारन्ट्स" नामक पुस्तक से, जो किंग्सले मार्टिन द्वारा लिखी गयी है, पृष्ठ १४० से, कुछ उद्धरण देना चाहता हूं—

"The freedom of the press is an essential principle of democratic government which was won in a long and hard fight. It means the right to publish news without censorship, and, within the statutory limits of libel, to comment and criticise without interference from the government or anyone else. It

[श्री चन्द्रजीत यादव]

is properly a right claimed by the editor, who should be known to the public as responsible for the truth of the news he presents, and for the fairness of his criticism and comment. This freedom is based on the argument that truth can only be discovered by open enquiry ; that governments abuse power unless they are subject to control by public opinion, and that intelligent public opinion can only be formed on the basis of honest information".

श्रीमन्, इससे यह बात स्पष्ट है कि जो जनमत है उसका भी प्रभाव पड़ता है और हमें पब्लिक ओपीनियन को भी जानना होता है। जब प्रेस कोई अपनी अभिव्यक्ति करे, कोई टीका टिप्पणी करे तो उसे भी हमें जानना होता है। और इस सदन के अन्दर हम भी इस बात को सोचते हैं कि जो जनमत है उसके अनुरूप ही हम अपना काम यहाँ करें। तो केवल यही नहीं कि प्रेस अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करता है, बल्कि जनमत को नियंत्रित करने के लिये, सदन को नियंत्रित करने के लिये भी ऐसा काम करता है जिससे समाज के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा हो कि उसका विकास उचित रूप से हो सके।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जैसा कि मैंने निवेदन किया—जनतंत्र के लिये यही आवश्यक नहीं होता कि हमारी परम्परा ऐसी हो कि हम सजग और सचेत हों। जनतंत्र के लिये दो तीन बातें आवश्यक हैं। कम से कम ऐसी तीन चीजें हैं जिनसे जनतंत्र की स्थापना करने में हमें सहायता मिल सकती है। पहली चीज तो यह कि हम अपने इन सदनों के द्वारा विधान मंडल जो हैं इनके जरिये जनता अपने ग्रीवांसेज, अपनी शिकायतें कह सके, इसकी आजादी पूरी होनी चाहिये। दूसरी चीज फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन है जिसके अन्तर्गत हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रेसों के द्वारा सभा सोसायटी के द्वारा कर सकें जिसकी सुविधा हमें संविधान के द्वारा दी हुई है।

श्री अध्यक्ष—यह आप कहां से पढ़ रहे हैं या यह आपका अपना विचार है ?

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन् यह किताब है "पालिटिक्स ऐंड दि प्रेस" बाई एसपिनेल, इसे मैं आपके पास भेज दूंगा।

तो श्रीमन्, इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं आपसे इतना ही अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थिति हमारे सदन के अन्दर उत्पन्न हो गयी थी उस पर अपनी टीका करते हुये "नेशनल हेराल्ड"ने जिन बातों को लिखा है उससे हमारे विशेषाधिकार को कोई ठेस नहीं लगती और न हमारे सदन की मान मर्यादा को ठेस लगती है। बल्कि हमें तो ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति के लिये प्रेसों को प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे जो जनवादी परम्परायें हैं वे देश के अन्दर विकसित व सुदृढ़ हों।

श्री अध्यक्ष—(श्री चैतन्य राज सिंह का नाम पुकारने के उपरान्त)

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि जो बातें कही जा चुकी हैं, उनके अतिरिक्त किसी को कुछ कहना हो तो कहें, और ५ मिनट से ज्यादा मैं किसी को नहीं दूंगा।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने पहले कहा था कि यह बड़ा मौलिक प्रश्न है और इसके ऊपर हम लोगों को गम्भीरता के साथ विचार करना है और विचार करना चाहिये, इसी संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि अभी आपने आदेश दिया कि रेपिटीशन नहीं होना चाहिये, मैं रेपिटीशन नहीं करना चाहता। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने बतलाया कि एडीटोरियल में "बेडलम शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसके माने भी उन्होंने बतलाये, उसमें तो मैं नहीं जाता। मैं तो सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस आदरणीय सदन में या हाउस में यहां के किसी मेम्बर के ऊपर भी टिप्पणी की गयी है तो वह तो विशेषाधिकार का प्रश्न है

ही, लेकिन जहां चेयर पर रिफलेक्शन हो, वह उससे भी ज्यादा विशेषाधिकार की अवहेलना है। "बैडलम" शब्द का प्रयोग करने से स्पष्ट रूप से यह जाहिर होता है, आप माफ करें, कि वह आप की इनएफेशियेन्सी थी। क्योंकि अध्यक्ष ही इस हाउस को कन्ट्रोल करता है। यानी अगर अध्यक्ष इनएफीशियेन्ट है तभी तो बैडलम हुआ। उसका साफ अर्थ यही है कि आप हाउस को कन्ट्रोल करने में समर्थ न हुए। इसलिये इसके द्वारा आपके ऊपर तथा माननीय नेता विरोधी दल के ऊपर यह रिफलेशन है, इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

कौन सा अखबार किसके द्वारा पेट्रोनाइज होता है, इस प्रश्न पर मैं नहीं जाऊंगा। यह जाहिर है कि हमारे देश के अखबार न केवल किसी के माउथपीस ही होते हैं, बल्कि हमारे आई-ओपनर भी होते हैं, लेकिन कोई भी अखबार अगर किसी सेक्शन आफ दि सोसाइटी पर गलत रिफ्लेक्शन डालता है तो वह चीज गलत है। फर्ज कीजिये किसी सदस्य ने शोर मचाया, लेकिन वह कहता है कि जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी ने अपने आपको डिस्टिंग्विश किया, तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अब यह आप रिपीट कर रहे हैं। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने यही तो कहा था कि "डिस्टिंग्विशिंग देम सेल्फ से यह रिफलेक्ट होता है कि मेलाफाइडी है।"

श्री चैतन्यराजसिंह---मैं यह कह रहा था कि जनसंघ अथवा सोशलिस्ट पार्टी के किसी मेम्बर ने अगर शोर मचाया तो आप उसे प्वाइन्ट आउट करते, लेकिन किसी एक सेक्शन आफि दि सोसाइटी को जो सरकार से भिन्न विचार धारा रखता है उसके बारे में प्रेस मासेज में अगर यह बतलाये कि वे गलत विचारधारा के आदमी हैं, या हाउस में जनसंघ के सदस्यों ने हुल्लड़ मचाया, यह रिफलेक्शन हुआ और मैं समझता हूं कि यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

मैं मानता हूं कि फेअर क्रिटिसिज्म होना चाहिये। पर यह कह कर कि यह सारा शोर शुबारा क्यों हुआ, क्योंकि एक सेक्शन आफ दि सोसाइटी चाहता है लैंड टैक्स बिल न आये।

श्री अध्यक्ष---यह आप ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इससे आप कान्ट्रेडिक्शन में घुस जायेंगे। पहले तो आपने मेरी इनकाम्पीटेंसी बतायी, लेकिन अब आप कहते हैं कि सरकार ने यह किया। मैं इसको इरेलेवेन्ट समझता हूं। आप कृपया इस संबंध में और कुछ न कहें।

श्री चैतन्य राज सिंह---इसलिये मेरी राय है कि इसको प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है क्योंकि प्रिविलेज का क्वेश्चन है। इस हाउस और सदस्यों के प्रिविलेज के बारे में आर्टिकिल १९४ और पार्ट थर्ड का आर्टिकिल १९ (२) का संघर्ष है। इसमें सिर्फ प्रिविलेज का क्वेश्चन है, और कोई प्रश्न नहीं है। रही इसकी शब्दावली की बात, यह दूसरा प्रश्न है, इसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं तो केवल लीगल आस्पेक्ट पर ही इस समय जाऊंगा। क्योंकि मुझसे ज्यादा आप काम्पीटेंट हैं और सब समझते हैं और इसलिये यह तो मैं आप पर ही छोड़ता हूं।

संविधान के आर्टिकल १९४ में हम लोगों के जो कांस्टीट्यूशनल प्रिविलेज हैं वह सब दिये हुये हैं और राइट्स और फ्रीडम के बारे में भी २ नजीरें सुप्रीम कोर्ट की हैं और उनके अलावा अभी तक कोई तीसरी नजीर नहीं हुई है। एक तो गुरुपति काशीराम रेड्डी की रिट पर होमी मिस्त्री का केस है सन् ५४ का, १९५४ ए० आई० आर० सुप्रीम कोर्ट के पेज

[श्री दीपनारायण सिंह]

६३६ पर दिया है जब कि आर्टिकल ३२ में होमीमिस्त्री को छुड़ाने के लिये रिट दायर किया गया था। उसमें यही होल्ड किया गया था कि यह पार्ट ३ का उल्लंघन है और अनुच्छेद १९४ पार्ट ३ से कन्ट्रोल है। लेकिन उसके बाद एक रूलिंग, लेटेस्ट आई सन् १९५९ में सुप्रीम कोर्ट की जो ए० आई० आर० के पेज ३९५–३९७ पर है जिसमें मेजारिटी आफि दि जजेज ने यह होल्ड किया कि जो प्रिविलेज अफि दि हाउस हैं वह सबजेक्ट टु बि प्राविजन्स आफ पार्ट ३ नहीं हैं। हाउस सुप्रीम है और हाउस के प्रिविलेज को प्रेस के प्रिवलेज कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें यह भी कहा गया है कि जुडिशियरी के अधिकार प्रेस की या जनता की भाषण स्वतंत्रता और जो हाउस के प्रिविलेज हैं इन तीनों का कानफ्लिक्ट नहीं होना चाहिये। यह एक तरह का जनरल रूल आफ ला है। श्रीएम० एस० शर्मा की जो उक्त लेटेस्ट रूलिंग, १९५९ की सुप्रीम कोर्ट की है, इस सम्बन्ध में उसी पर हम आधारित करते हैं। सदन के कन्डक्ट पर एक फेयर कमेन्ट ही विदिन लिमिट्स हम या प्रेस वाले कर सकते हैं, वह राइट है मगर वह गलत तरीके से प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। किसी ने किसी के खिलाफ कोई अनुचित बात कही तो वह आप एक्सपंज करा सकते हैं और अगर फिर भी कोई छाप दे तो अपमानित व्यक्ति ५०० आई० पी० सी० में जा सकते हैं। और उसमें कहा गया है कि जो राइट्स पार्ट ३ के हैं वह हम को कंट्रोल नहीं करते। इतना ही सवाल है। हर माननीय सदस्य को, सत्तारूढ़ दल के या अपोजीशन के, सब को बैलेन्स कर चलना चाहिये। इसी पर हमारे देश का और प्रदेश का भविष्य निर्भर है, लेकिन यहां मैं समझता हूं कि नेशनल हेराल्ड की ओर से जरा सा अतिक्रमण हुआ है। बाकी अब विशेषाधिकार में दंडित किया जाय या न किया जाय वह बात दूसरी है। यह गलत है कि पार्टिजन व्यू लेकर कभी इस दल को ले लिया या कभी मुख्य मंत्री पर हमला कर दिया। उसे अपने दायरे के अन्दर ही रहना चाहिये। यह कहना कि हाउस हुड़दंगा बन गया है ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि गलतियां तो इधर से और उधर से दोनों ओर से हो जाती हैं, आपने बहुत सी चीजों को एक्सपंज भी कराया। सीमा से बाहर कमेन्ट करना जरा वाजिब नहीं था, यह मेरा अपना खयाल है। इस दृष्टि से आप मुझ से ज्यादा उस पर ध्यान रखेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आर्टिकिल १९४ और १९ का खयाल रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरसेन जी, जो बातें माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने न कही हों वही कहियेगा, ५ मिनट हैं।

लघु उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री वीरसेन)—मैं नई बात ही कहूंगा। प्रिविलेय का अगर कोई प्रश्न आये, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, उसके लिये कुछ टेस्ट्स हैं जिनको एप्लाई करना चाहिये। जो प्रश्न आया वह इस भाव को या शब्दों को लेकर आया है कि जो कमेन्ट्स "नेशनल हेराल्ड" ने किये हैं वे हाउस की प्रोसीडिंग्स में आबस्ट्रक्ट करते हैं। अब कोई भी प्रश्न जो प्रिविलेज का उठाया जा सकता है उसका एक इन्टीगरल पार्ट होना चाहिये। उसका ताल्लुक उस बात से है जो वाकई में सदन की कार्यवाही को आब्स्ट्रक्ट करती है कि नहीं। उधर के सदस्यों ने जोर दिया है वह आब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। लेकिन मैं समझता हूं असल बात यह नहीं है। आब्स्ट्रक्शन कब होता है उस पर जरा विचार करना चाहिये। इस सदन का काम क्या है? सदन का काम है जो यहां पर प्रश्न आयें उन पर विचार करना, बहस करना और किसी फैसले पर आना। और अगर कोई काम ऐसा हो या टिप्पणी ऐसी हो जो सदन के कार्य में बाधा डालती हो विचार करने में, बहस करने या किसी फैसले पर आने में, या मैं और जोड़ दूं किसी सदस्य की ऐसी टिप्पणी हो जो किसी सदस्य पर इस प्रकार का प्रभाव डाले कि वह सही तौर पर जो स्वतंत्रता पूर्वक इस सदन में अपने विचार व्यक्त न कर सके तो ऐसी सारी टिप्पणी सब की सब प्रिविलेज का इश्यू हो जायगी। अब देखने की बात यह है कि जो प्रश्न उठाया गया है वह आब्स्ट्रक्शन में आता है कि नहीं?

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया प्रश्न यह है कि जो सदन का कार्य है, जो मैं अर्ज कर चुका हूं, मैं नहीं समझता किसी प्रकार से जो कमेन्ट्स "नेशनल हैराल्ड" ने किये हैं वह सदन के काम में बाधा डालते हैं। मेरी राय इसके खिलाफ है और वह यह है कि एक साधारण सिद्धान्त है कि टू निगेटिव्ज मेक ए पोजिटिव (Two negatives make a positive) जब कभी कोई ऐसा काम हो जो अवरोध पैदा करता है अगर उसको रोकने का कोई काम करे तो वह पोजिटिव ऐक्शन हो गया। इस तरीके से जो नेशनल हैराल्ड ने काम किया है वह उस अवरोध को जो सदन में हुआ, जो सदन के विचार में अवरोध हो रहा था, उसके रोकने के लिये जो कमेन्ट किया वह निगेटिव को निगेटिव करने का मतलब हुआ। यानी पाजिटिव हो गया। "नेशनल हैराल्ड" का जो कमेन्ट है वह पजीटिव ऐक्शन है . . .।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि यहां पर जो बात हो रही थी वह कार्यवाही में बाधक हो रही थी। उस पर जो उसने कहा वह इस मंशा से कि यहां पर बाधा न पड़े।

श्री वीरसेन—जी हां। तो इस तरह से यह ऐक्शन पाजिटिव हुआ और सदन के कार्य में सहायता देने के लिये हुआ। मैं समझता हूं यह किसी माने में प्रिविलेज का इश्यू नहीं बन सकता। इसे आब्स्ट्रक्शन के माने कभी नहीं दिये जा सकते।

अब दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रश्न में पार्लियामेंटरी प्रोसीजर का सिद्धान्त यह है कि अगर किसी की नीयत खराब हो, मैलाफाइडी हो किसी बारे में, प्राइमा फेसी यह मानते हुए कि कोई काम ऐसा हुआ है तो उसमें उसकी इंटेंशन देखना जरूरी है। और इस आर्टिकिल को देखें तो उसमें यह ऐंग्जाइटी सारे के सारे आर्टिकिल में जाहिर होती है कि इस प्रजातांत्रिक ढंग की हिफाजत के लिये क्या-क्या करना चाहिये। मैं आपकी इजाजत से उसे पढ़ देना चाहता हूं।

"It is unfortunate that legislatures, about whose privileges everyone is zealous, should be brought down to such a level by such members as to be so described with impunity".

जाहिर है कि उनको खुद इस बात का अफसोस है कि इस तरह की कार्यवाहियां सदन में हो रही हैं। इसके नीचे फिर इसी पैरा में आखिर में लिखा है।

"to save parliamentary democracy, which is the only possible democracy, from reckless wreckers."

तो जाहिर है कि उनका इरादा यह है कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को सेव करने के लिये यह आर्टिकिल लिखा गया है। अब जो कांक्लूडिंग पैरा है उसे आप देखें :

"If freedom of discussion is not respected in the House, there will be no freedom of assembly, freedom of elections, freedom of discussion, or other freedoms outside."

इसमें भी आप देखेंगे कि उनका इरादा यही है कि जो भी काम सदन की कार्यवाही के सिलसिले में हो रहा है उसमें बाधा न डाली जाय। कोई कार्यवाही में व्यवधान डालने अथवा अवरोध करने का इरादा नहीं है। इंटेशन को देखना होता है।

एक बात और कहना चाहूंगा। पेंडोमोनियम और बेडलम शब्दों पर भी एतराज किया गया है।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में वीरसेन जी को सारा पैसेज देखना होगा।

"The extent of the damage done can be seen from newspaper reports of the "Pandemonium" and "Bedlam" in the House. "Pandemonium" is Milton's word for the capital Hell containing the council chamber of the evil

[श्री अध्यक्ष]

spirits, and "Bedlam" derived from St. Bethlehem's Hospital, means a mental home. It is unfortunate that legislatures, about whose privileges everyone is zealous, should be brought down to such a level by some members as to be so described with impunity. Apart from Congress member, who are in a majority and hold office, the Communists and the Praja Socialists alone seem to be interested in the day's agenda."

तो सारा पैसेज आपको देखना पड़ेगा ।

श्री वीरसेन--मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रिविलेज का मोशन उठाया है उन्होंने उसमें से कुछ हिस्से निकाल लिये हैं । जब तक सारे के सारे कांटेस्ट को आप नहीं देखेंगे तब तक सारे आर्टिकिल का अर्थ लगाना निरर्थक हो जायगा । तो जाहिर है कि सारे आर्टिकिल में इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में अवरोध डालने की मंशा नहीं है, बल्कि मदद करना है ।

पैंडेमोनियम जैसा कि इस आर्टिकिल में लिखा है वह मिल्टन की "पेराडाइस लास्ट" में इस्तेमाल किया गया है । किन चीजों का पेंडोमोनियम का जिक्र उसमें किया गया है ? यह तब किया गया है जब एंजिल्स और ईविल स्प्रिट ने आपस में बहस की है कि खुदा से बदला किस तरह से लिया जाय ? उस बहस में....

श्री अध्यक्ष--उसमें ज्यादा न घुसिये क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री वीरसेन--मैं यह कहना चाहता हूं कि इन शब्दों का प्रयोग कोई गलत नहीं है । मैं इस बात को जोर देना चाहता हूं दो मानों में । एक बात तो यह है, जैसा कि आपने प्वाइंट आउट किया कि इसमें तो सिर्फ कोट किया गया कि दूसरे पेपर्स ने पैन्डेमोनियम और बेडलम शब्दों का इस्तेमाल किया । फिर भी मैं इन शब्दों का अर्थ लगा कर बताना चाहता हूं कि वह सही क्रिटिसिज्म है या नहीं । जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि पैंडोमोनियम एक बहस है जिसमें इस बात के बारे में निश्चय किया जा रहा था कि ईश्वर के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय । उसको अगर आप पढ़ने का कष्ट करें तो वह इतनी रेगुलेटेड और डिगनीफाइड बहस हुई है कि उसको उस माने में जिसमें पैंडोमोनियम शब्द का इस्तेमाल यहां किया गया है, असल में पैन्डेमोनियम का अर्थ है मिसगाइडेड डिबेट । तो यह शब्द ऐसा नहीं है जो सदन की डिगनिटी को कम करता हो । लेकिन बेडलम शब्द जो इस्तेमाल किया वह जहां पर रीजन का इस्तेमाल न हो और काम ऐसे किये जायं कि उन सारे कामों को हम पागलपन के काम कह सकें (लाल बत्ती जलने पर) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--आप जरूरी प्वाइंट्स कहें । आप तो बेडलम और पैन्डोमोनियम की व्याख्या कर रहे हैं ।

श्री वीरसेन--मैं दो सेन्टेंस में खत्म कर दूंगा । यह सदन रीजन का स्थान है । यहां पर रीजन प्रिवेल करना चाहिये और मैं समझता हूं कि उस दिन के कामों का ताल्लुक रीजन्स से अपील करने का नहीं था और न अपने प्वाइंट को इम्प्रेस करना था । इसलिये अगर बेडलम शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो कोई गलत बात नहीं की । इस सिलसिले में मैं दूसरी पार्लियामेंट्स की नजीरें पेश करना चाहता हूं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--एक चीज जानना चाहता था । पैन्डोमोनियम के बारे में आपने कहा कि कुछ लोग इकट्ठा होकर खुदा के खिलाफ कांस्पीरेसी कर रहे थे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां खुदा कौन है ?

श्री अध्यक्ष--इसी वजह से मैंने उनसे कहा कि आप पैन्डोमोनियम और बेडलम की व्याख्यान न करें ।

श्री वीरसेन—जर्नल आफ दि सोसायटी आफ क्लार्क्स के १०वें वाल्यूम के पृष्ठ १८४ को आप देखें। उसमें इसी तरह का एक प्रश्न था जिसमें यह माना गया कि कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिन्हें बार्डर लाइन केसेज कहा जा सकता हैं, यानी जिनमें यह खयाल किया जा सकता है कि यह प्रिविलेज इश्यू है और यह भी खयाल किया जा सकता है कि यह प्रिविलेज इश्यू नहीं है। तो अगर ऐसे केसेज हों तो बेनिफिट जिसके खिलाफ बात कही गयी हो उसको देना चाहिये।

इसी तरह से हाउस की प्रोसीडिंग्स के बारे में यूनियन आफ साउथ अफ्रीका का मैं हवाला देना चाहता हूं जैसा कि आपने और एक दूसरे माननीय सदस्य ने भी दिया। जर्नल के २० वें वाल्यूम के पृष्ठ २४३ पर आप देंखे। प्रिविलेज के बारे में उन्होंने लिखा है—

"If pressed they would tend to impair rather than enhance the dignity of a parliament".

"It seems to me that the article complained of should be judged to be a breach of privilege. News Papers should be necessessarily circumscribed in their desire to offer legitimate criticism of matters pertaining to the public affairs of this country."

जाहिर है कि ऐसे सवाल जो पब्लिक मैटर्स से ताल्लुक रखते हों उनके बारे में प्रेस को अधिकार है कि वह फेयर क्रिटिसिज्म कर सके, लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म कर सके। इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, वाल्यूम २४ है जो फ्रीडम आफ प्रेस के बारे में है। इसके पृष्ठ ९१ पर इस प्रकार दिया हुआ है —

"The simple historic fact is that the modern protection of the freedom of Parliament and theequally modern freedom of the press have gone hand in hand. One cannot exist adequately without the other. Parliament makes no challenge to the right of newspapers or citizens to criticize Members of parliament closely or even bitterly".

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह होल्ड किया है कि प्रेस को क्लोजली और बिटरली क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं कि इस आर्टिकिल से इस आदरणीय सदन के काम में कोई अवरोध नहीं हुआ है।

इसी प्रकार से श्रीमन्, प्रिविलेजेज डाइजेस्ट है। इसके पृष्ठ ४९ पर देखिये इसमें भी इसी तरह की रिपोर्ट के बारे में जिक्र है। इसमें कमेटी ने फैसला किया है कि—

"The Committee were of the opinion that it was not consistentwith the dignity of the House that penal proceedings for breach of privilege should be taken in every case of defamatory statement which might constitute a contempt of Parliament".

यानी कोई भी केस पार्लियामेंट के प्रिविलेज का इश्यू हो सकता है यह मैजूं नहीं है।

"The Committee thought it important that, on the one hand, the Law of Parliamentary Privilege should not be administeredin a way which would fetter or discourage the free expression of opinion or cirticism",

इस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जो प्रेस की फ्रीडम को किसी तरह से बांधे।

"however prejudiced or exaggerated such opinions or criticism might be and that, on the other hand, the process of Parliamentary investigation should not be used in a way which would give importance to irresponsible statements"

मेरे कहने का मतलब यह है कि फेअर कमेंट्स का अधिकार प्रेस को है और मैं समझता हूं कि इस आर्टिकिल से न तो प्रोसीडिंग्स का अवरोध होता है और न प्रिविलेज का इश्यू ही बनता है।

श्री यादवेन्द्रदत—अध्यक्ष महोदय, म आप का केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं गलती मेरी है। मैंने एक किताब मंगाई थी जो देर से आई। माननीय वीरसेन जी ने जरनल आफ दि सोसाइटी आफ क्लार्क्स ऐट दि टेबिल इन एम्पायर पार्लियामेंटस् को कोट किया है। उन्होंने वाल्यूम २० और २४ कोट किये हैं। मैं वोल्यूम २२ के पृष्ठ १३३ को कोट करता हूं। बम्बई में भी ऐसा ही पैरेलल केस हुआ है। वहाँ भी एक माननीय सदस्य ने granting of liquor permits to magistnates and judges का प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री ने उसका उत्तर दिया। उस पर टाइम्स आफ इंडिया के एडिटर ने लिखा—

"Times of India published, on 28th March, an editorial in that newspaper under the caption "Contemptible", in which he criticised the conduct of the Members and Minister and cast aspersions on the House."

यह मामला कमेटी को भेज दिया गया।

"The Committee, in a Report dated 13th April, held that the criticism in the editorial exceeded the bounds of descency, reason and fair comment, as it attributed motives to the Member in particular, and also of the House in general, and was calculated to undermine the prestige and the dignity of the House"

श्रीमन्, इसको भी अपने ध्यान में रख लें। केवल आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था।

†उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६१ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—माननीया श्रद्धादेवी अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुलतानपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। १-१०-१९६२ को विकल जी बोलने के लिए खड़े हुए थे। कृष्णानन्द राय जी खड़े नहीं हुये थे . . .

श्री अध्यक्ष—एक बात सुन लीजिये। व्यवस्था का प्रश्न उस समय उठाया जा सकता है जब माननीया श्रद्धादेवी खत्म कर लें। आप तब उठाइयेगा। माननीया श्रद्धा देवी कल से बोल रही हैं। उन्हीं को बुलाया है।

श्री श्रीपत मिश्र—केवल एक बात सुन लें। वह जो कुछ भी हो रहा है उसी सम्बन्ध में चल रहा है। जिस चीज पर मैं व्यवस्था चाहता हूं, अभी वह जारी है। चूंकि वह चल रहा है इसलिए उसके विषय में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह व्यवस्था मैं दूंगा, लेकिन माननीया श्रद्धादेवी खत्म कर लें तब।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—आदरणीय अध्यक्ष जी, कल मैं आपके द्वारा निवेदन कर रही थी कि माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने जो कहा कि गरीब गरीब हुआ बस वर्ष में, और अमीर अमीर हुआ है, इसके विपरीत गरीब कुछ ऊपर उठा है। इसके पक्ष में मैंने कुछ आँकड़े दे कर बताया कि यहाँ के ग्रामीण आदमी की गुरबत कुछ कम हुई है। ऐसा मैंने सिद्ध किया।

इसके उपरान्त श्रीमन्, डिटेल में न जा कर मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश के ग्रामीण व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कम नहीं है।

---

†४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*१५ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—हम उठते हैं और अब दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

कुमारी श्रद्धा देवी—उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री उपाध्यक्ष—एक जरा सी आप से अर्ज है। बहुत टाइम हो गया है। अब कम से कम टाइम आप लीजिये।

कुमारी श्रद्धादेवी—जितनी आप की आज्ञा होगी, उतने ही में मैं समाप्त कर दूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अब तक निवेदन किया था कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से बहुत आगे नहीं गया तो बहुत पिछड़ा भी नहीं है जिस पर कि हमें शर्मिन्दगी हो। अब श्रीमन्, अन्य पिछड़े हुये देशों ने किस प्रकार उन्नति की, उनके विकास के इतिहास में जो भूलें और सफलतायें हैं, उनसे हमें सबक लेना चाहिए। समय सभी तरह से सीमित किया गया है, इसलिए और छोड़ कर मैं एक ही देश को लेना चाहूंगी। मैं सदन का ध्यान रूस के इतिहास की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जहाँ पर प्लान का आरम्भ हुआ और जहाँ पर प्लान का प्रथम परीक्षण हुआ। मान्यवर, हमने दस वर्षों में कितनी प्रगति की और रूस ने पन्द्रह वर्ष में कितनी की, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी और हमारी दस वर्षों में कितनी बढ़ी, हमारी खेती की आय कितनी बढ़ी और रूस की कितनी बढ़ी यह मैं बताना चाहती हूं। रूस की प्रगति सन् १९१६ से १९३२ तक पीछे गयी। हमने १९५०–५१ से करीब करीब हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रगति की, कई में आगे बढ़े हैं और एक दो क्षेत्र में पिछड़े हैं।

तो मान्यवर, प्रश्न यह है कि रूस, धनकुबेर अमेरिका को चुनौती देने वाला रूस, चन्द्रलोक में दुनिया बसाने की महत्वाकांक्षा रखने वाला रूस, विज्ञान और युद्ध की सज्जा में सब से अग्रणी रूस की शक्ति का रहस्य क्या है? उसने अपने नियोजन के साधन कहाँ से जुटाये, यह प्रश्न हमारे सामने है। मान्यवर, अपनी अविकसित अवस्था में रूस के किसान ने ही सब से पहली आहुति दी, पहली ही नहीं सब से बड़ी, महान् आहुति दी है। उसने अपनी कृषि की उपज का ७० प्रतिशत नियोजन में दिया। मान्यवर, रूस की राष्ट्रीय आय का सन् १९२८ से १९३७ तक १८ प्रतिशत नियोजन पर खर्च हुआ। १९३८ से १९४० तक २५ प्रतिशत और १९४० से और भी ज्यादा। कुछ आँकड़े मैं छोड़ दूंगी। रूस के किसान ने टर्न ओवर टैक्स कितना दिया—१९२८ में ३७.४ परसेंट, १९४७ में ३५१ परसेंट और १९४८ से १९५० तक १८२.८ परसेंट। खाद्यान्नों पर टर्न ओवर टैक्स १९२८ से १९५० तक—गेहूं ८८ प्रतिशत, राई ८८ प्रतिशत, नमक ८० प्रतिशत, चीनी ७३ प्रतिशत, कपड़ा ७५ प्रतिशत, मक्खन ६७ प्रतिशत। डी० पी० फिल अर्थशास्त्री ने कहा है इस टैक्स के कारण रूस का जन जीवन भारी मंहगा और अत्यन्त कठिन हो गया। मान्यवर, सन् १९५० तक यानी ३३ वर्षों में रूस की जनता के पास कन्ज्यूमर्स गुड्स की कितनी कमी थी इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूं। रूस जिसका क्षेत्रफल दुनिया का १/६ भाग हो, जिसके पास अखंड और प्रचुर प्राकृतिक साधन हों, और जिसकी आबादी हमसे आधी हो, और इतने पर भी वह रूस जहाँ पर निरंकुश शासन हो, वहाँ पर डाक्टर स्वाट ने कहा है कि सन् १९५० में स्वीडन में एक सूट बनाने के लिये ७८ घंटे का श्रम यानी डेढ़ सप्ताह की कमाई देनी पड़ती थी। स्विटजरलैंड में एक सूट बनाने के लिये ६१ घंटे यानी एक सप्ताह एक दिन की कमाई देनी पड़ती थी। अमेरिका में २८ घंटे का श्रम यानी ४ दिन की कमाई देनी पड़ती थी। रूस में श्रीमन्, ५८० घंटे का श्रम अर्थात् एक वर्ष की कमाई देनी पड़ती थी तब जा कर एक सूट बनता था। इसी तरह से आप जूते के लिये लें कि रूस में एक जूते के लिये १०७ घंटे का श्रम अर्थात् २॥ मास की कमाई देनी पड़ती थी। अगर एक परिवार का जूता बनाया जाय और उस परिवार में ५ आदमी हों तो उनके जूतों के लिये उनको १ वर्ष की कमाई खर्च करनी पड़ती है। इसी प्रकार से १ किलोग्राम

[कुमारी श्रद्धादेवी]

रोटी के लिये एक दिन के वेतन का एक बटा आठ वेतन देना पड़ता। १ किलोग्राम चीनी के लिये १ दिन के वेतन का दो बटा तीन भाग देना पड़ता था।

मान्यवर, १५ वर्षों में १७ से ३२ तक यानी प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक रूस में पर कैपिटा इन्कम का क्या हाल रहा है वह मैं आप के सामने रखना चाहती हूं। मैं सन् १९१३ से लेती हूं। सन् १९१३ में रूस में पर कैपिटा आय १०२ थी। १९२० में ५७ हुई १९२५ में ९० हुई। १९२८ में ७९ हुई और १९३२ में ९५ हुई यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ७ प्रतिशत गिरी। पंचवर्षीय योजना का जहां से आरम्भ होता है यानी २८ से ३२ तक प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक बराबर घटी अर्थात् १९१३ से भी ७ रुपये पीछे रह गई। जापान में भी आय घटी। जापान की १९१३ में ४६ थी। वह पर कैपिटा इन्कम जापान में १९२० में ७२ हो गई। १९२५ में १०२ हो गई और १९३२ में ११३ हो गई। रूस से जापान की आय ज्यादा थी। जर्मनी की आय भी रूस से ज्यादा थी। हमारे राष्ट्रीय आय १० वर्ष के अन्दर ९ रुपया बढ़ी है, लेकिन इस पर भी कोई गर्व नहीं कर सकते, परन्तु यह कह सकते हैं कि निरंकुश शासक रूस से हम आगे रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—आप अब ५ मिनट में समाप्त कर दें तो अच्छा है।

कुमारी श्रद्धादेवी—यह तो मेरे साथ ज्यादती होगी। मुझे मालूम न था कि इतना सीमित समय है। १५ वर्षों में कृषि उत्पादन में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक रूस में खेती का उत्पादन सन् १९१३ से भी पीछे चला गया है। सन् १९१३ में गेहूं २६२ मिलियन सेन टन था। १९२८ में २१९। १९२९ में १८८। १९३०–३१ में २०५ और १९३२ में २०२। यह ४० प्रतिशत घट गया। राई २१३ थी १९१३ में, १९२८ में १९३। १९२९ में २०३। १९३०–३१ में २१९ और १९३२ में २०२। यह ११ प्रतिशत घट गई। जै की पैदावार १९१३ में १०७ मिलियन टन। १९२८ में ५६ रह गई। १९२९ में ७२ हो गई। १९३०–३१ में ५१ ही रह गई। और १९३२ में ५० ही रह गई। यह ५७ प्रतिशत घटी। इसी प्रकार से ओसारटस् की पैदावार १९१३ में १५४ मिलियन टन। १९२८ में १६४ हुई। १९२९ में १५७ हुई। १९३०–३१ में १०९ हुई और १९३२ में वह ११२ हो गई। यह ४२ प्रतिशत घटी। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में खाद्यान्न की पैदावार का लक्ष्य ३५ प्रतिशत बढ़ाने का रखा गया था। सन् १९२८ में ७ करोड़ ३० लाख टन का उत्पादन था, लेकिन वह १९३२ में आ कर ६ करोड़ ९० लाख टन ही केवल रह गया। एक करोड़ २१ लाख टन घटा ५ सालों में और २८ से पहले रूस का उत्पादन और भी पीछे गया। लोहा श्रीमन्, सन् १९२८ में १ लाख टन था, १९३२ में ५० लाख टन रह गया। ५० लाख टन घटा। कोयला प्रथम योजना में, सन् १९२८ में ७ करोड़ ५० लाख टन था, १९३२ में ६ करोड़ ५० लाख टन रहा, एक करोड़ टन घट गया। श्रीमन्, यह ध्यान देने की बात है कि १९३८ तक रूस में कंट्रोल रहा है।

मान्यवर, माननीय गेंदासिंह जी राष्ट्रीयकरण पर बड़ा जोर दे रहे हैं। मैं यह कहन चाहती हूं कि आप देखें कि रूस में कितने दिनों में राष्ट्रीयकरण हो पाया है। लेनिन साहब ने सह अस्तित्व की भावना पर बहुत बल दिया है, समय नहीं है, किन्तु यह इतिहास की बात है और उसे सब लोगों ने पढ़ा होगा। श्रीमन्, सन् १९१७ से १९२० तक वहाँ राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया। सारी इंडस्ट्रीज को राष्ट्रीय करण द्वारा कब्जे में करने की कोशिश की गयी और यह भी एक बड़ा कारण था कि वहाँ सन् १९२१ में एक बड़ा भारी अकाल पड़ा। २६ नवम्बर, सन् १९२२ को श्री लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद की पद्धति को समाजवाद में बदलना एक साथ संभव नहीं है। यह एक दिन में नहीं होगा। इसमें कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। इसके बड़े दुष्परिणाम भी हो सकते ह और हमें उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में जल्द-बाजी नहीं करनी चाहिये। लेनिन साहब बहुत ही होशियार थे। वह किसानों को, मजदूरों

को भी साथ रखना चाहते थे और पूंजीवाद को भी इतनी जल्दी नहीं खत्म करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने एक आर्डिनेन्स सन् १९२२ में निकाला जिसका नाम था वर्क्स कंट्रोल आन इंडस्ट्रीज। यह बात मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट आफ रशा से कह रही हूं। (व्यवधान) आप चाहेंगे तो मैं यह आप लोगों को पढ़ा दूंगी। कारीगरों की संतुष्टि के लिये उन्होंने हिसाब-किताब में देखभाल का उनको अधिकार दिया, किन्तु लेनिन साहब ने उत्पादन का संचालन तथा प्रशासनात्मक निर्णयों में और उद्योगों के उत्तरदायित्व में सब से बड़ा हाथ मिल मालिकों का ही रखा। लेनिन साहब ने अमरीका से बहुत बड़ा कर्ज लेकर सन् १९२४ में तमाम निजी उद्योग पनपाये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीयकरण की नीति में काफी समय लगा। उसके बाद जब सन् १९२८ का विध्वंस हुआ तो सन् १९३० में जोरों से कलेक्टिव फार्मिग हुयी और फल यह निकला कि सन् १९३१ में अकाल पड़ा। जब रूस की प्रथम पंच वर्षीय योजना को असफल बतलाया गया तो रूस की १७वीं कॉन्फ्रेन्स में स्टैलिन साहब ने ने कहा था कि इस असफलता के कारण हैं: एक तो राष्ट्रीयकरण में जल्दी करना और इसे उन्होंने सब से बड़ा कारण बतलाया था। दूसरा कारण बतलाया गया उद्योगों को चलाने का अनुभव न होना। तीसरा कारण बतलाया जनसंख्या की वृद्धि —१ ००० पीछे ४४ की वृद्धि जब हम जन संख्या की वृद्धि की बात कहते हैं तो हमारी हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन उन्होंने इसे असफलता का एक कारण माना था। उस के बाद उन्होंने सारे रूस के स्कूलों और कालेजों में टेक्निकल एजूकेशन को कम्लपसरी कर दिया। हम सहकारिता के आधार पर पब्लिक सेक्टर में मिलें लगा रहे हैं। राष्ट्रीयकरण एक दिन की बात न थी और न है। हम मिश्रित एकोनामी को ले कर चल रहे हैं उद्योगों में, और यह कोई नयी बात नहीं है। हम अनुभव के आधार पर चल रहे हैं।

अब अंत में मान्यवर, सुदूर भविष्य में आशा की किरण हमें नजर आ रही है। पथ में नदी और पहाड़ हैं और विपत्ति और विघ्न रूपी काँटों की बाढ़ है, चारों ओर जलती फूट ज्वाल है, और हमारी सीमाओं पर हिंसक और भयंकर दहाड़ें हैं। परन्तु इसके बीच में फिर भी हम आत्मविश्वास के साथ दृढ़ संकल्प के साथ, समाजवाद में विश्वास रखने वाले सहयोगियों के साथ सद्भावना के आधार पर जनता जनार्दन की सहानुभूति और प्रेम तथा आशीर्वाद के आधार पर हम आप के सहारे उसकी सद्भावना के सहारे प्रगति की ओर जा रहे हैं। जहाँ हमारे कदम डगमगाएं जहाँ हम आजादी के लिये थके हुए सिपाही थक कर बैठ जायें, वहाँ समाजवाद में विश्वास रखने वाले आप सभी माननीय सदस्य वहाँ से अपनी यात्रा आरम्भ कर दें। समाजवाद की यात्रा और जन कल्याण की यात्रा आरम्भ कर दें। आपको अपना प्रशस्त पंथ बनाने के लिये, अपनी लम्बी यात्रा पूरी करने के लिये, आपको आँशिक रूप में कर लगाना पड़ेगा और आप को इस कर लगाने की भावना को, संकल्प को मानना चाहिए और इसका आदर करना चाहिए। इस यज्ञ दान को स्वीकार करना चाहिए तथा समर्थन करना चाहिए। एक छोटे से जज्बात में आकर विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी सभी सम्मानित और मननशील सदस्यों से प्रार्थना एवं निवेदन है।

श्री श्रीपत मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था। उस समय यह कहा गया था कि जब श्रद्धा देवी जी बोल चुकेंगी तब आप व्यवस्था देंगे। आपने माननीय विकल जी को बोलने के लिये टाइम नहीं दिया बल्कि और दूसरे सदस्यों को दिया। पहली तारीख को जब विकल जी खड़े हुए और उसके बाद माननीय कृष्णानन्द राय जो भी खड़े हुए तो माननीय विकल जी को बोलने का मौका नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वह किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का मौका दे सकते हैं। दूसरे दिन फिर विकल जी खड़े हुये और दूसरे सदस्य भी खड़े हुए परन्तु फिर भी उन को न बुलवा कर दूसरे सदस्य को बुलाया गया। तीसरे दिन जब आप यहाँ पर उपस्थित थे तो आपने कहा कि मेरे पास लिस्ट है और उसी से मैं बुलवा रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि सदन में बोलने के लिये, आप का ध्यान आकर्षित करने के लिये जो तरीका है वह यह है कि कोई भी माननीय सदस्य खड़े होंगे,

[श्री श्रीपत मिश्र]

जिसको आप देखेंगे, उसको आप बोलने का मौका देंखेंगे। अगर एक ही खड़े होंगे तो आप उनको बुलवायेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरी तरह से आप सदन में किसी को बोलने की आज्ञा नहीं देगें। अबतक ऐसी परम्परा रही है। मैं चाहता हूं कि यह कायम रहे। न कि जैसा कहा गया कि यदि माननीय सदस्य बैठे रहें फिर भी बुलवाये जा सकते हैं। यदि कोई लिस्ट वगैरह की बात हो तो वह भी हम लोग दे दिया करें। तो यह किस तरह से तय होगा मैं इस पर आपकी व्यवस्था निश्चित रूप से चाहता हूं। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़े होने के अलावा कोई और भी तरीका है या यही है ?

श्री उपाध्यक्ष—मेरा निवेदन यह है कि इसमें शक नहीं कि किसी को बोलने देने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को ही है। लेकिन हम अपने अधिकार को किस तरह से बरतते हैं, इसके लिये हम को कई खयाल रखनें पड़ते हैं। एक खयाल हमें यह रखना पड़ता है कि जितने दल हैं यहां पर सभी के सदस्य अपनी-अपनी चिट हमको भेजते हैं और हम उसमें भी यह देखते हैं कि कौन माननीय सदस्य इम्पारटेन्ट हैं इस आदरणीय सदन के। ऐसा न हो कि वे छूट जांय। हम हर तरफ से देखकर यह कोशिश करते हैं, साथ ही खड़े होने वालों का बराबर खयाल करते हैं। सब बातों का खयाल रख कर हम बुलाते हैं। यही परम्परा रही है, लोक सभा में भी रही है और यहां भी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण की जरूरत आपकी व्यवस्था से पैदा हो गयी। क्या आप माननीय सदस्य विकल जी को अन-इम्पार्टेंट समझते हैं, ज्यादा इम्पार्टेन्ट नहीं समझते हैं—इस पर प्रकाश डालें ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मेरी बात सुन लें कि कोई गलत परम्परा हमारी पड़ जाय यह उचित नहीं होगा। मैं यह दावा तो नहीं करता कि मेरी समझ सबसे ऊंची है, लेकिन जो कुछ भी कहा गया है कि कोई सदस्य बैठा हुआ है और उसको बुलाया जाय, और खड़ा हुआ न बुलाया जाय, यह मेरी समझ में आने लायक बात नहीं है। आपने माननीय विकल जी को बुला लिया है तो माननीय श्रीपत जी से भी कहना चाहता हूं कि वह बात पुरानी हो गयी। माननीय स्पीकर की तरफ से उसपर एक रूलिंग हुई है और अगर हम यह कहें कि आप उस रूलिंग को गलत कहें तो जरा दिक्कत मालूम होती है कि आप उसको स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वह सोलहों आना गलत मालूम पड़ती है। तो कोई बीच का रास्ता, मैं समझता हूं, उचित होगा और उसपर सोचा जाय, आप भी सोचें और हम भी सोचें। माननीय श्रीपत जी उस प्रश्न को प्रेस न करें और विकल जी को बोलने दें तो हम भी सोचें, समझें, वह भी सोचें तब शायद कोई रास्ता निकले।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—हमारा नाम आया है, हमें भी कुछ कहना है। मैं स्पष्ट करूंगा कि मैं तो बार उस दिन खड़ा हुआ और अध्यक्ष महोदय का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ था, इसलिये जब एक सदस्य बोले तो उसके बाद उन्होंने हमारा नाम पुकार लिया था। यह आरोप करना कि मैं खड़ा नहीं हुआ और मुझें बुला लिया, यह सत्यता से परे है।

श्री श्रीपत मिश्र—यह कोई सवाल नहीं है कि खड़े हुये थे या नहीं, लेकिन यही व्यवस्था दी गयी थी कि अध्यक्ष बैठे हुये को भी बुला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह किसने दी थी।

श्री श्रीपत मिश्र—यह माननीय अध्यक्ष ने कहा था। आप प्रोसीडिंग को देख सकते हैं—पहली तारीख की प्रोसीडिंग में है।

एक सदस्य—क्या इस तरह का कोई प्राविधान है, कांस्टीट्यूशन में कि सदस्यों में भी वर्ग हों और उनमें इम्पार्टेंट और अन इम्पार्टेंट और ज्यादा और कम क्वालिटी के सदस्य हैं, क्या यह पार्लियामेंटरी पद्धति है ?

श्री उपाध्यक्ष—हमारे लीडर्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं इनके लिये हम खास तौर से खयाल रखते हैं और अगर वह खड़े होते हैं तो दूसरों को नहीं बुलवाते हैं। इसी तरह से कुछ माननीय सदस्य चिट भेजते हैं उनका भी खयाल रखते हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य खड़े होते हैं उनमें से चूज करके बुलवाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। मुमकिन है कोई इंसीडेंस ऐसा हो गया हो, जैसा कि कृष्णानन्दजी ने कहा कि वह खड़े हुये थे और बाद में उनको बुलवाया। मैं नहीं कह सकता कि माननीय अध्यक्ष ने उस दिन क्या कहा था।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूं कि पहली तारीख से आज तक परिश्रम करने के बाद और कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने के बाद मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि इस सदन की मान्यताओं और परम्पराओं को अगर हमें स्वस्थ बनाना है तो इस पर हमें विचार करना होगा। हमारे प्रदेश में इन दिनों कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है और उससे हमारे प्रदेश की बाहर बदनामी भी हुई है। इसमें दो राय नहीं हैं। उन स्वस्थ परम्पराओं के लिये जिनसे हमारे प्रदेश की बदनामी हुई है उसके लिये अकेले विरोधी दल ही दोषी नहीं है, उसके लिये कुछ हम और आप भी दोषी हैं और उसके ऊपर हमें गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा। यह सवाल अहम हो गया है। मुझे इस सदन में रहने का, उपाध्यक्ष महोदय, यह ११वां वर्ष है और इन वर्षों में आप जैसे बुजुर्गों की सेवा करने और शिक्षा ग्रहण करने का भी मुझे अवसर मिला है। अक्सर स्वर्गीय टंडन जी की यहां याद की जाती है। मुझे यह जानकारी है कि स्वर्गीय टंडन जी के समय में उनके कमरे में जाने का कोई भी व्यक्ति साहस नहीं करता था, और आज इस चेयर से बार-बार यह मांग की जाती है कि हमारे कक्ष में आओ, कमरे में आओ, चिट दो, सिफारिश लाओ आदि आदि। मैं यह सब नहीं कर पाता था और इसीलिये मुझे अब तक बोलने का समय नहीं मिला। मैं यह समझता था कि कभी समय आएगा, मुझे अवसर मिलेगा, और मैं उस विषय पर अपनी बात करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज इस सदन के सम्मुख है एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरी राय यह है कि यह विधेयक इस देश के रक्षक किसान और अन्न दाता किसान के साथ विश्वास-घात करने वाला है और मेरी आत्मिक राय यह है कि यह विधेयक वापस होना चाहिये। (विरोधी पक्ष से तालियां) उपाध्यक्ष महोदय, यह क्यों वापस होना चाहिये, इस संबंध में मैं कुछ अपने तर्क आपके सामने उपस्थित करूंगा।

मैंने किसान को इस देश का रक्षक कहा है। आज इस देश पर संकट का समय है। मैं स्वयं १७ हजार फीट की ऊंचाई और १८ हजार फीट की ऊंचाई पर, इस देश की सीमाओं, पर, गया हूं और वहां की स्थिति को देखा है। वहां पर वही किसान के लड़के बर्फ पर सीना ताने, देश की रक्षा के लिये बैठे हुये हैं। मैं नहीं सोच पाता कि उस किसान के साथ इस तरह का विश्वासघात क्यों है। और ऐसा करके सरकार कौन सा न्याय कर रही है। (विरोधी पक्ष से—शेम शेम की आवाजें) मेरा दुर्भाग्य है कि इस समय माननीय माल मंत्री जी यहां नहीं हैं, मेरा यह भी दुर्भाग्य है कि इस समय माननीय नेता सदन, जो इस विधेयक के लिये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, वह भी इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। फिर भी मैं कुछ तथ्य और तर्क आपके सामने रखूंगा। मैं जब इस विधेयक को वापस लेने की बात कहता हूं तो, इसलिये कहता हूं कि इतना लम्बा विवाद होने के बाद भी, अब तक सरकार कुछ निश्चित राय नहीं कर पायी है, और इस कारण मेरे लिये भी यह मुश्किल है कि मैं कोई निश्चित बात कह सकूं। अखबारों में जरूर सुना जाता है कि फलां बात हो गयी, लेकिन जहां तक विधेयक हमारे सामने है वह अनिश्चित है और फिर मैं भी अनिश्चित हूं कि मैं क्या कहूं इस विधेयक के संबंध में।

[श्री रामचन्द्र विकल]

खाली यह कह देना कि यहां लगान की वृद्धि नहीं है, यह टैक्स है, यह तर्क कुछ ऐसा ही है जो बुद्धिमान लोग दे दिया करते हैं या कचहरी में वकील जिस बात को सिद्ध करना हो उसके लिये तर्क दे दिया करते हैं। लेकिन यह दलील वास्तविकता से बहुत दूर है। इसलिये मैं भी अनिश्चित हूं और बड़ी दुविधा में यह विधेयक चल रहा है। जब आज तक सरकार ही स्वयं निश्चित नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, तो मैं सोचता हूं कि ऐसा अनिश्चित विधेयक वापिस हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कुछ ऐसी बातों के लिये भी, कुछ कम पढ़ा-लिखा होने के कारण, कुछ गांव का होने के कारण, कुछ ऐसे शब्द हों जो व्यक्गित किसी को से पहुंचाने वाले हों, उनके लिये मैं आपके द्वारा क्षमा चाहूंगा। मैं इसलिये भी इस विधेयक को वापस कराना चाहता हूं कि इस पर पुलिस के पहरे में बहस हो रही है। यह शोभा की बात नहीं है। इस ११ वर्ष के असेम्बली के अनुभव में इतनी पुलिस इस काउन्सिल हाउस के अन्दर और बाहर कभी मुझे देखने का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जब सदन में विचार करने के लिये इतनी पुलिस, मालेवाली, लाठीवाली, और बन्दूकवाली यहां हो जिसके पहरे में विचार हो रहा है, तो जनतांत्रिक प्रणालियों में और प्रजातंत्र में यह सोचने का विषय है। इस पर, उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीरता से सोचा जाय। जब इस पर जनता में अमल होगा, तब क्या होगा, इस पर मुझे सन्देह है। तो अगर कहीं यह विधेयक, जिसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण विधेयक कहता हूं, अमल में लाया जायगा, तो शायद कुछ अच्छे रिजल्ट न निकलें। यह मेरा सन्देह हो चला है यहां की हालत को देखते हुये। इसलिये मेरी बहुत विनम्र शब्दों में यह राय है कि अच्छा हो कि हमारी सरकार इस पर ठन्डे दिल से सोचे। विषय एक ही है जो बहुत तरफ से आता रहा है, कि योजनाएं चलानीं हैं, उनके लिये पैसा चाहिये। यह रोज का गीत है। सुनना चाहिये लोगों को। योजनाओं में मेरी आस्था किसी भी माननीय मंत्री से या सदस्य से अधिक न हो सकती तो कम भी किसी से नहीं है, किसी से भी एक इंच कम मेरी आस्था नहीं है। सिर्फ सवाल यह है, जिसको मैं हमेशा कहता आ रहा हूं और आज भी थोड़े से शब्दों में कह देना उचित समझता हूं, कि योजनारूपी जो गाय बताकर, उसके नाम पर हमारी सरकार और उसके कर्मचारी और प्रचारक टैक्स का जो बोझ जनता पर डाल रहे हैं यह कहां तक उचित है। जिन लाखों गायों के, अर्थात् किसानों के, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है उन्हे अन्धाधुन्ध टैक्स लेना कहां तक जायज है, जबकि योजनाएं बनाने वाले जीपों में और हवाई जहाजों में स्टेटमेंट देते हुये भागे फिर रहे हैं ? पहली पंचवर्षीय योजना में, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत प्रचार किया गया, दूसरी में किया गया और अब तीसरी चल रही है। सरकार टैक्स लगा रही है बहुत तेजी के साथ। ब्लाक की कमेटियों में हर माननीय सदस्य जाता होगा, मैं ही नहीं जाता हूं। वहां यही मांग होती है कि सीमेंट नहीं है, ईंट नहीं है, कोयला नहीं है। मैं नहीं समझता कि योजनाओं के लिये सामग्री जुटाई नहीं और टैक्स जुटा रहे हैं बहुत पहले। विदेश से जो मशीनरी आई है योजनाओं के लिये, उसका मुझे बहुत कम ज्ञान है। मैं सिर्फ ब्लाक स्तर की बात कहता हूं जो बुनियादी आधार है। जब योजनाओं के लिये सामग्री नहीं है और टैक्स बराबर लादते जा रहे हैं, तो क्या योजना रूपी गाय का कोई विरोध करे। हम योजनाओं में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि योजनायें चलें और सफल हों। लेकिन जब ब्लाक स्तर पर ही योजनाओं के लिये सामग्री नहीं है तो यह भारी टैक्स का बोझ जनता पर किस लिये है ? इसका जवाब होना चाहिये सरकार की तरफ से। बड़ी मशीनरी का और बड़े कारखानों का मेरा ज्ञान कम है। इसलिये मैंने ब्लाक स्तर पर शुरू किया।

उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं के जरिये से फजूलखर्ची की हमेशा चर्चा हुई। सब माननीय सदस्य अपने-अपने हल्कों से आते हैं। उन्होंने भी देखा होगा और मैंने भी देखा कि योजनाओं पर काम कम हुआ, कम योजनाएं बनी, और बोर्ड ज्यादा बन गये, ब्लाक के धन्यवाद का बोर्ड, ब्लाक में घुसने पर आपके स्वागत का बोर्ड। मैं समझता था कि यह मेरे ही जिले में हो रहा है,

लेकिन सब जगह यही हाल है। चूंकि मशीनरी वही और सोचने का तरीका सब जगह एकसा है। इन बोर्डों में फजूलखर्ची कितनी हुई ? मेरे पास एक उदाहरण साधन सहकारी समितियों का सुल्तानपुर का है। ३२ रुपये फी बोर्ड में ९,००० से ज्यादा बोर्ड बने, साधन सहकारी समितियों का, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके जिले में निरीक्षण किया, जब में वहां एक कमेटी में गया था। जो बोर्ड गांव का लुहार ८ आने में बना सकता है वह ३२ रुपये में कौन ठेका देता है इन योजनाओं के नाम पर बोर्ड बनाने का ?

श्री उपाध्यक्ष--कितने हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल--माफ करेंगे मुझे, ९०० हैं, ९,००० नहीं। ९०० साधन सहकारी समितियां हैं और ३२ रुपये फी सोसाइटी उसका बोर्ड बना। ये शायद प्रदेश के सभी जिलों में बने होंगे। हिसाब फैला लिया जाय। ब्लाक के दफ्तरों में आपको भी बोर्ड टंगे हुए नजर आये होंगे और आंकड़ों का जाल भी देखा होगा लम्बा-चौड़ा। किसी माननीय मंत्री जी को या किसी माननीय सदस्य को ब्लाक में घुसने की जरूरत नहीं है। बस, उन बोर्डों को पढ़ लें और विकास का अन्दाजा लगा लें, और इसलिये टैक्स दो। यह बात मैंने एक उदाहरण के लिये कही।

कुछ आंकड़े भी नोट किये थे मगर मेरी कठिनाई बढ़ गई। यह विधेयक सीधा य० पी० के किसान से वास्ता रखता है, मगर मैंने यहां इस प्रदेश के बाहर के और दुनिया के अन्य देशों के आंकड़े भी सुने। मैं भूल गया वे आंकड़े। नवलकिशोर जी का भाषण मैंने २ दिन तक सुना। जो कसर आंकड़ों की नवलकिशोर जी ने कुछ रख ली होगी, वह माननीया श्रद्धाजी ने पूरी कर दी रूस, चीन, जापान और अमेरिका के आंकड़े देकर। तो मेरे जैसे बेपढ़े आदमी से जो नोट करके लाया भी, वे भी नहीं पढ़े जा रहे हैं। एक उदाहरण जरूर दूंगा। मैं उस सरकारी कर्मचारी का नाम तो नहीं बताऊंगा, वरना उसकी नौकरी पर आ जावेगी। लेकिन बहुत बड़ा जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी है। एक दफा उसने कहा कि साहेब, हम क्या करें, फील्ड वर्क पर जाने का हम लोगों को मौका ही नहीं, लखनऊ से फोन आते हैं या चिट्ठी आती है, और दफ्तर में ही जोड़-घटा-कर आंकड़े भेज देते हैं। तो मेरा आंकड़ों में बहुत विश्वास नहीं है। प्रदेश की कुछ वास्तविक घटनाएं मैं ऐसी रखूंगा कि उनके लिये आज भी मंत्री या सदस्य चाहें तो मेरे साथ चलें। मैं वह सत्य सिद्ध करके दिखा दूंगा। इन कागजी आंकड़ों में उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की माल-दारी का आंकड़ा भी बहुत जोरों से पेश किया गया। मुझे उन आंकड़ों का इसलिये और भी दुःख और अफसोस है कि अब तक इस सदन में यह परम्परा रही है कि जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उसको उस विषय पर बोलने के लिये विशेषता मिलती है, लेकिन इस बार हमारी तरफ से जो लोग बोले उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिन का खेती और किसानों से कोई वास्ता ही नहीं है। उनको लिखे हुये आंकड़े मिल जाते हैं और वे उनको पढ़ देते हैं जिनका उन्हें स्वयं सही ज्ञान नहीं होता, वास्तविकता से उनका कुछ भी वास्ता नहीं होता। मेरा तो वैसे आंकड़ों में पहले भी कोई विश्वास नहीं था लेकिन इधर जो यह आंकड़ों की धुंआधार हुई उससे मेरा विश्वास और डिगा है, जमा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिफेन्स विभाग की ओर से एक जी० ओ० निकला है जिससे उन लोगों की मालदारी पर प्रकाश पड़ता है। फौज में भरती के लिये केन्द्रीय सरकार की यह शर्त थी कि वह २० वर्ष का नौजवान होना चाहिये, उसका वजन १२५ पौंड होना चाहिये, ऊंचाई ५ फुट ६ इंच होनी चाहिये, सीना फुलाकर ३४ इंच और वैसे ३२ इंच होना चाहिये। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग नहीं मिले जिसको घटा कर केवल उत्तर प्रदेश के लिये वजन ११५ पौंड किया गया, लंबाई ५ फुट ४ इंच की गयी सीना ३२ और ३४ इंच के बजाय ३१ और ३३ इंच किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किसानों की मालदारी का एक उदाहरण है। अगर किसानों की हालत अच्छी होती तो दिन प्रति दिन जवानों की लम्बाई, सीना और वजन क्यों कम होता जाता। बावजूद इसके कि मलेरिया के मच्छर मार दिये गये हैं, गृहलक्ष्मी गांव-गांव में भेंज दी गयी है। यह मैं इसलिये

[श्री रामचन्द्र विकल]

कह रहा हूं कि जो देश के रक्षक किसान हैं उनके साथ इस विधेयक के द्वारा न्याय नहीं होने जा रहा है। सूचना मंत्री जी अवश्य इस बारे में जानकारी प्राप्त करें।

किसानों की मालदारी का दूसरा उदाहरण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने, सन् ५८ में एक कमेटी बस्ती जिले के लिये बैठायी। मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शहर और गांव की दृष्टि से नहीं सोच रहा हूं, जो वास्तविकता है, उसको कह रहा हूं। उस रिपोर्ट में लिखा है कि ७० प्रतिशत आदमी को अपनी मां के दूध के बाद दूध नहीं मिलता है। इसके अलावा बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ आदि के जो पश्चिमी जिले हैं और मालदार कहे जाते हैं उनकी सुन लीजिये। बस्ती, देवरिया आदि पूर्वी जिलों में तो दूध हैं नहीं मवेशियों के कमजोर होने से, फसलों के कमजोर होने से या जमीन की कमी होने से, या जो भी कारण हो, मवेशी नहीं हैं तो दूध कहां से आवे, लेकिन पश्चिम के मेरठ, बुलन्दशहर और अलीगढ़ के जिले जो मशहूर हैं इस बात के लिये कि वहां के किसान बहुत मालदार हैं और वहां बहुत दूध होता है, उन जिलों की हालत को माननीय सूचना मंत्री जी जानने की कोशिश करें कि असलियत क्या है। वहां दूध जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ७० फी सदी आदमियों को वहां दूध होने के बावजूद भी नहीं मिलता है। सारा दूध दिल्ली चला जाता है, इसकी जांच माननीय मंत्री जी करा लें। और वहां से बदले में आता है क्या खुजली का मरहम जो पनवाड़ी तक के यहां मिलता है। वहां के किसानों को दूध और मट्ठा के बदले में मरहम मिलता है। वहां के कितने डाक्टर खुजली के मरहम से मालदार हो गये हैं और उसकी बिक्री पनवाड़ियों की दूकान पर बड़ी तेजी के साथ होती है। यह उदाहरण मैंने पूरब और पश्चिम के किसानों का इसलिये दिया कि पूरब के किसानों की तो मजबूरी है कि वहां जमीन की कमी है, मवेशियों की कमी है जिससे उनको दूध नहीं मिल पाता, लेकिन जहां दूध अधिक पैदा होता है वह दूध बेच दिया जाता है। इसलिये आज जवानों का सीना कम हो रहा है, उनकी लम्बाई कम हो रही है और फौज के लिये यह घटाना पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही हालत किसानों की रही और सरकार ने यही अन्दाजा लगाया तो आप अन्दाजा नहीं लगा सकते कि इस देश के जवानों की, और इस देश ही सुरक्षा की क्या हालत होगी। यह सोचने का विषय है कि किसान कहां तक मालदार हुये हैं। कहीं यह न हो कि सरकार के आंकड़े तो हवाई हैं ही, सरकार भी हवा में न रह जाय। किसानों की हालत से जरा आप तुलना करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहता हूं कि क्यों उत्तर प्रदेश पीछे है, क्यों किसान पीछे हैं? दैवी आपदाएं जितनी भी होती हैं, चाहे ओला पड़े, चाहे पाला पड़े, चाहे सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे हवा से फसल खराब हो जाय, चाहे मवेशियों की बीमारी हो, चाहे टिड्डियों का हमला हो, चाहे मनुष्यों की बीमारी आ जाय, सभी का सीधा सा असर किसानों पर आता है। दुर्भाग्य तो यह है कि जब इस देश में कोई महामारी आती है तो उस समय सरकार की तरफ से तकावी, बीज, खाद के रूप में किसानों को जो भी सहायता दी जाती है, लेकिन मुसीबत के वक्त में भी किसानों पर सरकार टैक्स लादती जाती है और सरकार जो किसानों को कर्जा आदि देती है उसका मुनाफा कमाती है। किसानों को जो बीज मिलता है उसका सवाया उससे वसूल किया जाता है। इस तरह से मुसीबत के वक्त भी किसानों के साथ सरकार व्यापारिक दृष्टि से डील करती है। मुसीबत के वक्त भी सरकार किसानों पर रहम करने का कोई खयाल नहीं रखती, इस तरह से सरकार की नीयत भी बराबर कुछ गलत धारणाओं की तरफ चलती जा रही है।

मैं समझता हूं कि किसानों पर दैवी आपदाएं आती रहती हैं इसलिये वह गरीब है। उसकी गरीबी का क्या लक्षण है? मैं सरकारी आंकड़े से ही याद दिलाता हूं कि सरकार के सहकारी और कृषि विभाग के बहुत बड़े-बड़े बीज गोदाम खुले हुये हैं गांवों में। योजना के पहले वहां कोई बीज गोदाम नहीं थे। बहुत तादाद में बीज गोदाम का खुलना ही सरकार समझती है कि यह किसानों की मालदारी की अलामत है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह किसानों की गरीबी की

अल मत है क्योंकि कोई भी किसान गरीबी की हालत में मजबूर होकर ही सरकारी बीज गोदामों से बीज लेता है और बाद में उसे सवाया अदा करना पड़ता है और और तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसलिये किसानों द्वारा बीज गोदाम से बीज लेना यह उसकी मालदारी की अलामत नहीं है बल्कि गरीबी की अलामत है।

श्रीमन्, मेरे यहां से कुछ किसान आये हुये हैं जिनसे बनारस के माननीय गिरधारीलाल जी कुछ सवाल कर रहे थे कि मैंने सुना है कि पश्चिम के किसान तो बड़े मालदार हैं, आप अपनी बात बतलावें। वह समझ नहीं रहा था उनकी बात को लेकिन उन्होंने उस से कहा कि पश्चिम के किसान तो बड़े लखपति लोग हैं। उस किसान ने कहा कि जरूर लखपति हैं। पहले तो २०-२५ नाम ही लखपतियों के सुनते थे अब हैं या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन आज सरकार का कर्जा हर गांव के ऊपर लाख रुपये से ज्यादा है, इसलिये वह लखपति हैं, इस तरह की परिभाषा उस ने बतायी। आज सहकारी समितियों का और तमाम तरह का दूसरा कर्ज गांवों पर है यह हमारे किसानों की मालदारी का नकशा है और यह सरकार के आंकड़ों का अन्दाजा है। सहकारी समितियों का ज्ञान जितना मुझे है शायद आप को और माननीय सदस्यों को सबको होगा। बहुत कोशिश हो रही है कि सहकारी समितियां उद्योग की और साधन समितियां खेती की चलाई जायं लेकिन क्या यह सही नहीं है कि उन की तादाद गांवों में बढ़ी है केवल कर्जा लेने और देने के लिये ज्यादा और बाकी दूसरे कामों के लिये नहीं ? तो यह तमाम कोआपरेटिव सोसाइटियां कोई उसकी खुशहाली की अलामत नहीं हैं इनके जरिये से उस पर कर्जे का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और उसका नतीजा यह है कि किसान को जो खूराक लेना चाहिये वह नहीं ले पा रहा है।

अब मैं आप को क्या बताऊं, अब से १५-२० साल पहले हमारे यहां गांवों में जो औरतें होती थीं, जो हमारी सब की मां बहिनें हैं, जब उन का प्रसव काल होता था तो गांवों में १०-१५ और २० सेर घी बच्चा होने पर औरत खा लेती थी और प्रसव की क्रिया गांव की भाषा में पुनर्जन्म औरतों का कहलाता था, लेकिन आज उस मौके के लिये भी पश्चिमी जिलों तक में औरतों को घी नसीब नहीं होता। आज २ बच्चे होने के बाद गांव की औरतें खून की कमी के कारण सफेद हो जाती हैं और उस वक्त सफेद हो जाती हैं जब हर प्रकार की सुखसुविधा इतने सालों से प्लान्स के जरिये से पहुंचाने की बात कही जा रही है। मैं एक बार दिल्ली गया तो वहां पर इसी प्रकार का एक समारोह था जिस में श्रीमती इन्द्रा जी का भाषण हो रहा था। उन्होंने बताया कि हम एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं कि एक ब्लाक लेकर हम जब से स्त्री गर्भिणी हो उसको हर प्रकार की सुख सुविधा दी जायगी, १६ लाख की यह योजना हमारी होगी और उस से गर्भिणी स्त्री फल दूध वगैरह हर तरह की समुचित खूराक पावेंगी। यह सब वहां उन्होंने बताया। हमारे गांवों की औरतें जिन जिलों को कि मालदार बताया जाता है वहां की बेचारियों को किसी किसी को तो खेतों में और घरों में काम करते करते कभी तो बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा होने के दिन तक उनको मेहनत से फुरसत नहीं मिलती ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मंत्री जी चाहें तो उन्हें या माननीया श्रद्धा जी चाहें तो उन को चलकर दिखा सकता हूं कि दस दिन के बच्चे मांस के लोथड़े को खेत की मेड़ पर छोड़कर किसान की औरतें निराती हैं, पानी फेरती हैं, चारा काटती हैं, भैंसों का दूध निकालती हैं और उन को चारा देती हैं। आज उन को प्रसव काल में भी घर में बैठकर खाने की गुंजायश नहीं है और फुर्सत नहीं है। आज उनको घी मयस्सर नहीं है। मैं उन को ऐसी औरतों की लिस्ट कुनबेवार निकाल कर बता सकता हूं जो औरतें चाहें जाकर देख लें। जब यह हालत है तो फिर जवान तगड़े कहां से मिल सकते हैं। यह मैं किसान की मालदारी की बात कह रहा हूं।

बड़ी दुहाई दी जाती है कि किसानों पर साइकिल हो गई। आज से २० साल पहले की मैं बात कहता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं था जहां ज्यादातर किसान घोड़ी न रखते हों घोड़ा सुरक्षा के लिये अच्छा होता था, स्वास्थ्य के लिये अच्छा होता था, शानशौकत के लिये अच्छा होता था। और यह भी सत्य है कि पहले क्या अब भी एक घोड़े की कीमत में ५ साइकिलें आ

[श्री रामचन्द्र विकल]

सकती हैं। किसान ने अपनी शानशौकत अपना स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा जो साइकिल पर कम होती है सब छोड़ दिया, रोज वह छिन जाती है, विषय दूसरा हो जायगा उस पर नहीं जाऊंगा, घोड़े जान बचा लेते थे संकट के समय। इसलिये कोई साइकिल मालदारी की निशानी नहीं है वह तो एक मजबूरी है, और मजबूरी इसलिये कि आर्थिक संकट है। और यहां कहा जाय कि मालदार हो गया किसान, क्योंकि उसके पास साइकिल आ गई। तो मैं किसान की उस हालत को कह रहा हूं जो पहले थी वह आज नहीं है।

एक चर्चा हुई कपड़ा बहुत किसान पहनता है। मैं तो अपने इलाके की जानता हूं एक एक औरत पर ७५, ८० गज का लहंगा होता था, पुरानी किसी बुढ़िया पर अब भी होगा। आज ढाई गज की सलवार सिलवाई बस चल दिये। ८० गज का लहंगा खत्म हो गया। और ज्यादा फैशन में आ गये तो एक साड़ी ले ली और कहने लगे कि किसान मालदार हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गांव में एक गाना आज भी गाया जाता है, औरतें ही गाती हैं, "सोने का लोटा गंगा जल पानी" आज भी औरतें गाती हैं। इसमें कुछ सच्चाई है।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---यह और बता दो कि लहंगे में कौन-सा कपड़ा लगता था?

श्री रामचन्द्र विकल---माननीय हरीसिंह जी कुछ रिश्ते में हमसे ऊंचे हैं हमने इनको ब्याह दिया इसलिये वह ऐसी बात कर सकते हैं मैं उनको बाद में बताऊंगा।

तो म जो कह रहा था कि जो गांवों में गाना गाया जाता था "सोने का लोटा गंगाजल पानी" उसमें कुछ यथार्थता थी, वास्तविकता थी, आज चाय के प्याले पहुंच गये जरूर गांव में। एक तो दूध नहीं मिलता उसकी मजबूरी और उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में सोना नहीं रहा। आपके पास बहुत आंकड़े होंगे जितना पहले जमाने में गांवों में सोना रहता था वह आज नहीं रहा। मैं २० साल पहले की बात कह रहा हूं। और कब गांव में सोना नहीं रहा जब सरकार कहती है कि तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं। उल्टी तरक्की हो रही है। अच्छे बरतन जो पहले फूल और तांबे के होते थे वे भी खत्म होते चले जा रहे हैं। अब फैशन में प्याले और प्लेट पहुंच जायं इसको किसान की मालदारी कहा जाय तो ठीक है। मैं तो नहीं मानता। मैं सभी वे बातें बताने के लिये तैयार हूं किसान की मजबूरियों की जिनसे किसान की हालत बढ़ी नहीं कम हुई है। और फिर टैक्स कितना बढ़ता चला जा रहा है किसान पर। इसमें कोई संदेह नहीं बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं योजनाएं बढ़ी, सड़कें बढ़ीं, अस्पताल बढ़े, ठीक है। लेकिन १३ करोड़ का जो सन् १९३७ में बजट था वह अब बढ़ कर १ अरब ९१ करोड़ का हो गया। तो जिस निस्बत से बजट बढ़ा उस निस्बत से काम नहीं बढ़ा, जो काम जितना काम होना चाहिये, उतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुझे बहुत ज्ञान तो नहीं, सूचना मंत्री जी सामने हैं, मैं माफी चाहूंगा उ हीं का नाम बारबार आता है और उनसे मेरा सम्पर्क भी है। जिले का जिलाधीश साइकिल पर चढ़ते देखा अंग्रेजी राज्य में और अंग्रेज कलेक्टर। अंग्रेजी राज्य में अंग्रेज कलेक्टर साइकिल पर कचहरी जाता था और उसकी शान नहीं बिगड़ती थी। आज कलेक्टर की बात तो दूर रही, इंजीनियर, ओवरसियर और बी०डी०ओ० वगैरह के लिये सरकारी गाड़ियां हैं। लेकिन किसान नहीं खरीद रहा है, पश्चिमी जिले का नहीं खरीद रहा है कार, अ र मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दें। कुछ बड़े सरकारी कर्मचारी या वह व्यापारी जो कोटा, परमिट या एजेन्सी लिये हैं या ठेकेदार हैं उनको तो जरूर फायदा हुआ, लेकिन किसान को जिस पर योजनाओं का बोझ पड़ रहा है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। योजना तो कमजोर हुई, ठेकेदार मालदार हुये, इंजीनियर मालदार हुये, कार और जीप उनके पास हो गई, कुछ व्यापारियों पर और कोटा परमिट वालों पर हो गई, बाकी शहर में भी अच्छी हालत नहीं है, ८० फीसदी जनता वहां भी गरीब रहती है और २० फीसदी मजे में है।

तो यह योजनाओं का स्वरूप हो क्या रहा। मैंने जिलाधीश का उदाहण दिया। आज शान जरूर बढ़ गयी। मोटर पर वह जरूर चढ़ता है। मोटर साइकिलें तो अनगिनत हैं। आप लोग उन्हें रखने लगे। नई-नई किस्म की बन गयी हैं, नाम भी मैं नहीं जानता। योजनाएं जा कहां रही हैं, यह मैं कह रहा था। योजनाओं के नाम पर सरकार भीख मांगती है। किस का दिल मुलायम नहीं होगा और उसकी झोली में भीख नहीं डालेगा? देखता हूं। कि "दाता के घर पर फूस नहीं और भिखमंगे के महल अटारी हैं" भीख देने वाला जो किसान है आज उसके पास छप्पर तक नहीं है और जो भीख मांगने वाला है वह मजे करता जा रहा है। यह हालत है योजनाओं की जिनके लिये टैक्स की अपील की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी निवेदन करना है कि सरकार की तरफ से कई दफा कहा गया और एक परम्परा सी पड़ गयी है और हमारे मिश्र जी (बृजबिहारी मिश्र) अक्सर कहा करते हैं "निन्दक नियरे राखिये"। लेकिन में उनसे कहता हूं कि अब यह विषय सोचने का हो गया। इस पर वह गंभीरता से नहीं सोचते। निन्दक का पास रहना तो जरूरी है, मैं मानता हूं। लेकिन निन्दकों की बात पर अमल करना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं करती एक बात और वह सोच लें सरकार कि निन्दकों की तातद इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इस पर वह सोचें क्यों बढ़ रही है। यह आप मुगालते में हैं कि निन्दक नियरे रखिये, कहीं इतने नजदीक न पहुंच जायं कि आप निन्दक बन जायं। तो यह सोचने का विषय है। क्यों नहीं अमल हो रहा है? उनको किसी आलोचना पर गंभीरता से जवाब नहीं मिलता। जबाब मत दो, हम जवाब लेने के आदी नहीं हैं। लेकिन कुछ सुधार कर लो। यह मैं आपके हित में कह रहा हूं। सुधार तो करो जो निन्दक लोग कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जैसे आदमी को भी प्रेरणा मिल गयी, मिश्र जी से, मैं भी निन्दक बन चला। क्या करूं मैं? जब उनका सुधार ही इस बात से होता है तो मैंने सोचा कि सरकार का कल्याण निन्दक बन कर करना चाहिये। मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि इन आलोचनाओं पर विचार किया जाय। हवाई आंकड़े ज्यादा दिन काम देने वाले नहीं हैं। आंकड़े की वही हालत है जैसे लेखा "ज्यों का त्यो कुंबा डूबा क्यों" मैं यह कह रहा था कि आज ऐसी स्थिति है प्रदेश की कि जब शहरी टैक्स यहां पेश था तो कुछ लोगों ने कहा कि गांव पर लगना है, इसलिये शहर पर भी लगना चाहिये। अब कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि शहर पर लग गया तो गांव पर जरूर लगना चाहिये। यह तर्क सरकार को सहन नहीं करना चाहिये, अच्छी परम्परा नहीं है शहर के सामने गांव का नाम लेना और गांव के सामने शहर का नाम लेना,पूर्व के सामने पश्चिम का नाम लेना और पश्चिम के सामने पूर्व का नाम लेना। जब हम राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता की बात करते हैं तो कदम-कदम पर फूट डालकर और उस फूट से फायदा उठाना देश के हित में नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा फूट डालकर राज्य करने की मनोवृत्ति की धारण करना प्रदेश के हित में नहीं है। आज अंग्रेजों से पीछा छट चुका है। उस पुराने इतिहास की जिसके लिये हम बुजुर्गों को दोषी ठहराते थे पुनरावृत्ति न करें। में पढ़ा लिखा, जैसा मैंने कई बार कहा, बहुत कम हूं, विचार सुनने का शौक मुझे बहुत शुरू से रहा और बहुत बड़े-बड़े आदमियों के मैंने विचार सुने हैं और जब मैं इस सदन से लेकर गांव के स्तर तक फूट डालकर राज्य करने की मनोवृत्ति देखता हूं तो सोचता हूं कि आप उस इतिहास की पुनरावृत्ति न करें जिसके लिये आज तक हम बुजुर्गों को कोसते रहे हैं। पूर्व, पश्चिम, शहर देहात, आज इस विधेयक में भी इसकी गंध आती है। यह एक ऐसा विधेयक आ गया हमारे सामने जिस पर गम्भीरता से हर दृष्टि से सोचने की जरूरत है। आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय में माननीय नेता विरोधी दल को एक बात के लिये जरूर कहूंगा कि जो ग्राम बीर आपके चले आ रहे हैं इसका श्रेय आपको नहीं है, इसका श्रेय हमको और हमारी सरकार की अदूरदर्शिता को है। वह अभी तक इस बात को सोच नहीं पायी है वरना जनसंघ की स्थिति को मैं भी जानता हूं। हमारे कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि वह शहर से किराये के पकड़े हुये हैं। मैंने इसकी जांच की और कुछ लोगों से पूछा कि कहां से आये हो, कौन गांव है। सचमुच यह एक ऐसी बात है जो हमारे और सरकार दोनों के लिये सोचने का विषय है और इसलिये में यह बहुत गम्भीरता

[श्री रामचन्द्र विकल]

पूर्वक कह रहा हूं कि इस विधेयक पर सरकार को सोच कर इसे वापस लेना चाहिये और जैसा कि मैंने पहले कहा, जब इस पर अमल होगा तब मैं नहीं सोच सकता कि क्या प्रतिक्रिया होगी। पर अभी मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं अन्य विरोधी दल के नेताओं से, श्री गेंदासिंह जिन्होंने चुनौती दे रखी है मगर सोच रहे हैं गम्भीरता से, वह शायद देश हित में है, यह मैं मानने के लिये तैय्यार हूं, सरकार को समझा बुझा कर राहे रास्ते पर कर सकें यह अच्छा तरीका है, बुरा नहीं है।

एक बात किसान के विश्वास के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं हमारे माल मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी इसका कम एहसास करते हैं, लेकिन जब दसगुना वसूल किया जा रहा था गावों में, उसको एक आन्दोलन की संज्ञा दी गयी थी और कांग्रेस संस्था का छोटे से छोटा वालंटियर इसको देशसेवा समझ कर इसमें लग गया। सरकार ने बड़ी बड़ी सभाओं में विधेयक में तो आश्वासन है ही, लेकिन बड़ी बड़ी सभाओं में यह आश्वासन दिया था कि ४० वर्ष तक हम कोई किसान पर लगान नहीं बढ़ायेंगे। और उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का एक पुराना प्रस्ताव और आजकल की धारण यह थी कि लगान कुछ कम किया जायगा चाहे वह अलाभकर जोतों से हो या जो भी हो। लेकिन आज इस विधेयक से उसका उल्टा हो रहा है। कम करने के बजाय आज टैक्स की शक्ल देकर लगान बढ़ाया जा रहा है। एक तो मैंने मोटा सा उदाहरण दिया, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से किसान की आमदनी बढ़ी नहीं है। पता नहीं नवलकिशोर जी कहां से आंकड़े पढ़ते हैं। उन्होंने मूंगफली, सिंघाड़ा और पता नहीं किन किन चीजों के आंकड़े दे दिये जैसे तोल ताल कर लाये हों। मैं भी किसान हूं और जैसा माननीय बी० बी० शरण जी उस रोज भाषण दे रहे थे कि उजाली रात में हल चलाया, तो मैंने भी हल चलाया है—

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—इधर बीस साल से नहीं चलाया है।

श्री रामचन्द्र विकल—लेकिन मैं किसान जरूर हूं और हल को मैंने बहुत दिनों से चलाया नहीं है लेकिन अभी भी चला सकता हूं, अभी मैंने हल चलाना छोड़ा नहीं है। जिस दिन चाहें मैं सूचना मंत्री जी के मुकाबिले में हल चला दूंगा। मुझे अभी भी हल चलाने का पूरा अभ्यास है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा किसान हूं। यह कहना उचित तो नहीं है लेकिन मैं सत्य को सिद्ध कराना चाहता हूं। मेरे एक बाबा थे उनको थाली में दूध नहीं मिलता था तो फेंक देते थे। मुझे बचपन में दूध जरूर मिलता था लेकिन अब गाहे बगाहे मिल जाता है। नियम से नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बच्चों की हालत मुझ से भी खराब है। चोटी बढ़ने का नाम लेकर मेरी मां मुझ को दूध पिलाया करती थी। मेरे बच्चों के पास साइकिल नहीं है, घड़ी नहीं है रेडियो नहीं है। मैं कह रहा था कि खेती होती है लेकिन मुझे सरकारी वजीफा भी मिलता है, जो सभी माननीय सदस्यों को भी मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय बी०बी० शरण जी उजाली रात में १७ से लेकर २३ वर्ष की उम्र में हल चलाते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग किसानों के सम्पर्क में जायें उसकी असलियत को देखें। वे कहते हैं कि लगान कम करने का वायदा किया था और जो किसानों का ४० करोड़ रुपया जमा है उसके सूद के हिसाब से भी लगान कम नहीं हुआ। जब विरोधी दल के लोग तर्क दिया करते थे तो हम अंध विश्वास में उसको काट देते थे। अगर ये लोग रुपया फिक्सड डिपोजिट में भी जमा करते तो कितना सूद मिलता। हमारे यहां के किसानों ने कर्जा लेकर दस गुना दिया। वह भी छोड़िये उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिले के किसानों ने बताया कि हमारे यहां दस गुना का आन्दोलन इतनी तेजी से चला कि हमने रुपये को बारह आने के सूद पर लेकर दिया। ४० करोड़ रुपया किसानों का उत्तर प्रदेश की सरकार के पास जमा है और उसके सूद के बराबर भी लगान कम नहीं हुआ। हम उस समय किसानों से कहते थे कि तुम रुपया दे दो क्योंकि तुमको जमीन पर मालिकाना हक मिल जायगा। उस मालिक की परिभाषा किसान को मैं सरकार को बताना चाहता हूं, लोगों ने मालिक बनने की धुन में जेवर

रखकर, बर्तन बेचकर रुपया दिया। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं कि किसान मालिक नहीं बना जिन किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है वे मालिक नहीं हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यह विधेयक किसानों को दीवानी जाने से रोकता है, उस मालिक को रोकता है जिसका ४० करोड़ रुपया जमा है। किसान जमीन का मालिक कैसे हुआ यह गाजियाबाद के किसानों से जाकर पूछो। जो बढ़िया बाजार में सिंघाड़ा, बेर, सोंठ मेथी बेंचती है तो यह उस सौदे की मालिक है, चाहे जिस भाव दे, दो आने सेर में दे, चार आने सेर में दे, आठ आने सेर में दे, लेकिन किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं है। सरकार किसानों से जमीन अक्वायर कर लेगी और मिल मालिकों को जो महंगी खरीद सकते हैं, सस्ती दे देगी और किसान को यह नहीं बताया जायगा कि तुम कहां बसोगे। किसान मालिक नहीं हुआ। रुपया ४० करोड़ जमा है। उसके सूद के अनुपात में लगान कम नहीं हुआ। भूमिधर की जमीन को ५० गुना मालियत निकाली गयी और सीरदार की २० गुना और शिकमी को साढ़े १२ गुना। उस वक्त विरोधियों की बात कड़ुई लगती थी। लेकिन मैं सरकार से पूछता चाहता हूं कि क्या तर्क है इस बात के देने में किसान को मालिक भी नहीं बनाया जिसने दस गुना जमा किया और ५० गुना वैल्यू निकाली उसकी जमीन की और सीरदार की २० गुना वैल्यू निकाली, तो वह मुनाफे में रहा। यह हिसाब किसानों के साथ हो रहा है योजनाओं के नाम पर। उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन गम्भीरता से सोचने के लिये भले ही योजनाएं रोकनी पड़ें जब तक सामग्री नहीं है, तब तक रोक लें, पर इस बात पर गम्भीरता से सोचें। मैं दिल खोल कर कहता हूं और बहुत से किसानों की तरफ से कहता हूं कि किसान का दस गुना वापस कर दें, हमें मालिकाना अधिकार चाहिये ही नहीं क्योंकि वह अधिकार अधिकार है ही नहीं। उस कसौटी पर कस कर देखें कि हाई कोर्ट में जा कर किसान की सुनवाई है ही नहीं।

एक निवेदन और कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय। इस देश का, इस कांग्रेस और सरकार का मैं यह सौभाग्य समझता हूं, अभी गाजियाबाद में ५ सितम्बर को उन किसानों की बुढ़िया औरतें और गरीब किसान दस हजार जमा थे, जिनकी जमीनें ली जा रही हैं, जिनको दस गुना लेकर मालिक बनया गया था। कभी कभी मैं सरकार से कहता रहा हूं, लेकिन असर नहीं होता। निन्दकों की किसी बात को सोचा नहीं जाता। वहां पर मेरा आंखों में आंसू आ गये। उस वक्त मैंने रोकर कहा कि इस भीड़ में मेरे बजाय किसी मंत्री को बुलाते तो शायद कुछ काम होता मेरे कहने से आप का काम नहीं होगा। मेरे किस लिये आंसू आये? सारे गांव की औरतें और किसान तमाम तिरंगे झंडे लिये हुये थे। उस तिरंगे झंडे ने नीचे खड़े होकर सरकार से निवेदन करते हैं। उनकी कितनी बड़ी आस्था है। इसपर सोचें कि प्लानिंग के नाम पर कितने क्वार्टर सरकारी कर्मचारियों के बने हैं। जमीन की अदला-बदली में मेरी जानकारी में कितने अफसर लखपती बन गये हैं। ऐसा मैं डरके नहीं कहता हूं। किसान डर की वजह से लूटा गया कि तुम्हारा खेत निकाल दिया।

इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसान की हालत कमजोर है, गरीब है। किसान को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सका। जमीन की कमी है। किसान की फौजदारी के मुकदमे बढ़े हैं, उसकी गरीबी बढ़ी है, क्योंकि जमीन कम है। नहर की आबपाशी बन्दी में किसान लड़ गये और घायल हो कर अस्पताल चले गये। क्यों लड़ते हैं डोलबन्दी के लिये? सिर्फ इसलिये कि उसकी आर्थिक हालत खराब है। जमीन के अलावा कोई और साधन सोच नहीं पाता। और आबादी का बोझा बढ़ता चला जाता है, इसलिये डोलबन्दी के लिये, नहर की वारबन्दी के लिये मुकदमों को ले कर अदालतों में जा रहा है। यह उसकी गरीबी की अलामत है, मालदार होने की अलामत नहीं है। अगर वह मालदार हुआ होता तो लड़ाई नहीं लड़ता। मेरे इलाके में सतलेपुर एक गांव है। वहां भैंस का दूध तोड़ लेने के ऊपर आपस में लड़ाई हो गई, आठ आदमी अस्पताल में पड़े हैं। अभी परसों का वाकया है। तो यह झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिये कि किसान मजबूर है। इस लड़ाई झगड़े से सरकार

[श्री रामचन्द्र विकल]
समझती रहे कि किसान मालदार है, तो वह समझ सकती है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि किसान मालदार नहीं है, किसान आज मजबूर है।

मैं यह कह रहा था कि जिस चकबन्दी का बहुत कल्याणकारी कानून सरकार ने इस प्रदेश में लागू किया क्या इस विधेयक की जो अब तक की रूपरेखा है उससे क्या किसान तकसीम नहीं करेगा, क्या वह बटवारा नहीं करेगा? जरूर बटवारा करेगा और जब बटवारा करेगा तो चकबन्दी का कानून और उस पर किया हुआ खर्चा व्यर्थ गया या नहीं? छोड़ दीजिये, किसान ने रिश्वत कितनी दी चकबन्दी में, मजबूरी में दी या चाहे जैसे दी, लेकिन दी है, चाहे जहां जांच कर लें। लेकिन उसकोभी छोड़ दीजिये। जो सरकारी खर्चा हुआ है और जो परेशानी हुई है और फसल का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि किसान इस अदलाबदली में दिल लगाकर न खाद डालता है, न जुताई करता है, इस प्रकार जो देश को नुकसान हुआ और जो किसान का नुकसान हुआ, अगर वह फिर तकसीम करताहै इस कानून के द्वारा तो चकबन्दी का इतना बड़ा स्टाफ उसका इतना बड़ा खर्चा सब व्यर्थ गया। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि यह विधेयक न किसान के हित में है न हमारे कांग्रेस संगठन के हित में है और न सरकार के हित में है। इस पर सोचा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कुछ लोगों ने उठायी किसान के टैक्सों की। तो मैं यह कह रहा हूं कि वह कौन-सा टैक्स है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो किसान पर नहीं जाता। कुछ टैक्स तो ऐसे हैं जो केंद्रीय सरकार के हैं जिनका हिस्सा आपको गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलता है जैसे तम्बाकू का है और बहुत से हैं, जंगलात का है। उसके आंकड़े अगर सरकार के सही हैं तो ऐसी रकम करीब ७५ करोड़ के बतायी जाती है। लेकिन बाकी ६० करोड़ के लगभग जो टैक्स है चाहे वह मालगुजरी से हो चाहे सेल्स टैक्स से हो, चाहे आबकारी से हो, चाहे मोटर टैक्स हो, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन का हो, गन्ने का हो, वह सब टैक्स किसान पर जाकर पड़ता है। हां, एक टैक्स है जिसको कुछ किसान नहीं देते, कुछ देते हैं, लेकिन सब नहीं देते हैं, यह है सिनेमा का टैक्स। किसान इसको अभी अधिक नहीं देता है, लेकिन शहरों के पास जो रहते हैं उनमें से कुछ दिल चले नवजवान आजकल सिनेमा जाने लगे हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन वह सिनेमा वाला टैक्स किसान पर कम पड़ता है। पूरब के जिलों के जो लोग खेती छोड़कर के शहरों में आकर रिक्शा चलाते हैं, उन पर यह सब टैक्स पड़ता है। मैंने उन पर रिक्शा चलाने वालों से बहुत बातें की हैं। उनकी वह सब बातें मैं इस समय इसलिये नहीं कहना चाहता कि वह विषय नहीं है। वह बेचारे सब बातें बताते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो गरीब आदमी होता है दुनिया में वह अपनी गरीबी की ओर और सारी बातें सच्चे दिल से बतलाता है। तो मैं यह कह रहा हूं कि जो किसान खेती छोड़कर रिक्शा चलाते हैं उन पर यह सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स पड़ते हैं। और कुछ टैक्स ऐसे हैं जैसे जोंक होती है, वह हमारी भैंस और भैंसों को बहुत लगती है, उसके मुंह में तेजाब का माद्दा होता है जो भैंस के चमड़े पर वह जमा देती है। मालूम नहीं होता है भैंस को, लेकिन खून बहुत निकल जाता है। यह टैक्स, जो खामोशी से जोंक की तरह से किसान को चूसता है, मालूम नहीं पड़ता है। यह अप्रत्यक्ष टैक्स जितने हैं वह सब किसान को देने पड़ते हैं। मालगुजारी के अलावा भी ये टैक्स किसान को देने पड़ते हैं किसी न किसी शक्ल में। और फिर बराबर बोझ बढ़ता चला जाय क्योंकि वह मालदार हो गया है तो वह सरकार का मुगालता दूर नहीं होता।

एक उदाहरण मैंने सन् १९५२ में इसी सदन में दिया था वह आज घटित होता है। मैंने कुछ घटानएं सुनाईं उस समय मुख्य मंत्री सदन में नहीं थे। वह किसानों की गरीबी की घटनायें थीं। मैंने एक घटना सुनाई थी सरकार के मुगालते की कि सरकार को किसान की मालगुजारी का वहम हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा जिले की घटना है। वहां पर एक लड़के की ससुराल थी तो वह ससुराल में चला गया। बज और मथुरा में हंसी

का माहौल कुछ ज्यादा है बनिस्बत और जगह के। वह लड़का ससुराल में था। वहां पर उसकी साली भी थीं। उन्होंने कहा कि चलो जीजा जी जमुना में स्नान कर आयें। जीजा जी बुद्धू थे वह मान गये। जवान लड़का था सालियों के साथ जमुना में स्नान के लिये चला गया। जमुना में जब स्नान होने लगा तो मजाक तो था ही, उस मजाक में वह लड़कियां कई थीं और ताकतवर थीं, उन्होंने उस जीजा जी को पानी में डुबो दिया और उसके ऊपर बैठ गईं और जीजा जी के प्राण पखेरू जमुना में ही उड़ गये। इत्तफाक से उस मजाक में ऐसा रहा कि पानी के अन्दर जीजा जी के रहते भी दांत दिखाई देते रहे और दांत चमकते रहे। जब वह उसके ऊपर से हटीं तो उसके दांत चमकते रहे। वह कहने लगीं कि जीजा जी तो अब भी हंस रहे हैं, तो वह सारी लड़कियां फिर उसके ऊपर बैठ गईं। वह जीजा जी मर चुके थे मगर फिर दोबारा वह उसके ऊपर बैठ गईं। मरे हुये के ऊपर फिर दोबारा बैठ गईं। पता नहीं उनको कितनी देर के बाद निकाला गया तो पता चला कि यह तो बड़ी घटना हो गई। मैंने किसानों की कुछ घटनाएं सुनाईं। मैं मुख्य मंत्री जी को वास्तविक स्थिति का अवलोकन कराने के लिये ले चलने को तैयार हूं और दिखाने को तैयार हूं कि किसान कितने मालदार हो गये हैं। सरकार की निगाह में आज किसान की हालत उसी जीजा जी जसी हो रही है। किसान के दांत तो जरूर निकल रहे हैं लेकिन वह मर चुका है। सरकार फिर उसके ऊपर बैठना चाहती है। सरकार मुगालते में है और उसको मालूम हो रहा है कि किसान हंस रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---इसका क्या मतलब।

श्री रामचन्द्र विकल---इसका मतलब है कि अभी जीजा जी हंस ही रहे हैं। (हंसी) मैंने कहा कि उदाहरण ऐसा था, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है। वास्तव में यह हंसने की बात नहीं है, यह किसान की वास्तविक हालत है। पूर्वी जिलों में अभी भी किसान टेस्ट वर्क मांगते हैं। मैंने इस बात को जांचने की कोशिश की कि और काम वह क्यों नहीं मांगते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने यह समस्या बहुत आती होगी। वह इसलिये मांगते हैं, मेरी सूचना यह है कि दो आना रोज, तीन आना रोज और चार आना रोज देते हैं और एक लोटा शीरा उनको मिलता है। वह इस पर काम करने के लिये तैयार हैं। टेस्ट वर्क में ७ आना रोज मिलता है और ६ आना रोज मिलता है। वहां के लोग समझते हैं कि टेस्ट वर्क में जो मजदूरी मिलती है उसमें हमें ज्यादा आमदनी होगी और इसलिये पूर्वी जिलों के नुमाइन्दे टेस्ट वर्क की ज्यादा मांग करते हैं। मैं किसान की हालत कहां तक गिनाऊं।

सरकार के विश्वासघात और वायदाखिलाफी की चरचा मैंने की। सौभाग्य से इस समय मुख्य मंत्री जी विराज रहे हैं। मैं उनको एक घटना याद दिलाता हूं। सन् मुझे सही याद नहीं है, लेकिन लार्ड कार्नवालिस के जमाने में बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर और शायद आजमगढ़ का भी एक परमानेंट सेटिलमेंट हुआ था ९ आने एकड़ के हिसाब से किसानों के साथ। १५ अगस्त, १९४७ तक कांग्रेस ने उस वायदे को तोड़ा नहीं, चाहे जमीन की पैदावार बढ़ गयी हो या किसान की हालत सुधर गयी हो। उस ९ आने एकड़ के लगान को उसने बढ़ाया नहीं इसलिये कि कोई आदमी वायदा कर गया है। लेकिन यह हमारी सरकार है। हमारे मुख्य मंत्री जी उस वक्त भी थे जिस समय जमींदारी विनाश विधेयक पेश हुआ था और उसमें किसानों पर लगान न बढ़ाने का वायदा था। सौभाग्य से जो इस समय माल मंत्री हैं उस समय भी वही माल मंत्री थे और जमींदारी उन्मूलन का सारा श्रेय हमारे माल मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को जाता है। हम भी खुश थे उस समय कि चलो जमींदार जा रहे हैं, किसान को अधिकार मिल रहा है। लेकिन आज हुआ क्या? उन दिनों जमींदार कहा करते थे कि अभी तो हमारा नम्बर है, एक दिन किसानों, तुम्हारा भी नम्बर आयगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विधयक द्वारा उन दिनों की जमींदारों की बात को सही

[श्री रामचन्द्र विकल]

साबित कर दिया इस सरकार ने और अपने में किसानों का जो विश्वास था उसे डिगा दिया है। यह बात सच हुई कि किसानों का नम्बर आ गया है। आज किसान साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद नहीं सकता, आपने सीलिंग कर दी। बावजूद तमाम प्रस्तावों के, भाषणों के, आश्वासनों के, आप किसी और क्षेत्र में सीलिंग नहीं कर पाये। इस मामले में अपने या केंद्रीय सरकार की नीति एक-सी ही है करीब करीब। हम किसान के अलावा न तो व्यापार पर ही सीलिंग कर सके और न उद्योगों पर ही, न बड़ी तनख्वाहों पर ही सीलिंग हो सकी और न शहरी जायदाद पर कोई सीलिंग हुई। सब को छूट है चाहे जितना कमा लें और एक उद्योगपति तो रोज एक नया कारखाना खोलता जा रहा है। मैं मोदी को गिनाया करता हूं, क्योंकि मैं उसकी बात जानता हूं। लेकिन ऐसे ही उदाहरण अनेक हैं, और उन पर कोई सीलिंग नहीं है। किसान पर सीलिंग हो गयी। हमारा विश्वास था कि यदि समाजवाद के नाम पर दूसरे क्षेत्रों में भी सीलिंग लगा दी जाय तो क्या दिक्कत हो सकती है और आज हमारा नम्बर है तो कल दूसरों का भी आयेगा, लेकिन वह हुआ नहीं। इसमें ८ एकड़ की बात है, संभव है ६ एकड़ हो जाय, हम अभी निश्चित नहीं है। लेकिन मान लो कि ८ एकड़ ही हो जाय, तो किसान का यह विश्वास कि सीलिंग साढ़े १२ एकड़ की या ४० एकड़ की रहेगी, डिग जायगा। मैं बराबर कहता हूं कि किसान बहुत बड़ी संख्या में इस प्रदेश में और देश में है और यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उनकी बदौलत ही यह सरकार यहां बनी हुई है। मैंने एक उदाहरण दिया कि गाजियाबाद के किसानों की जमीन छीनी जा रही है। आप उनका अपने में विश्वास इस जनतंत्र के युग में और इस संकट काल में जब देश गुजर रहा है, ऐसे समय में न डिगायें। सरकार के लिये उनका विश्वास प्राप्त करना अवश्यक है। वह सरकार के साथ बंधा रहना चाहिये और यह सरकार के हित में है। जैसे यह बात किसान के हित में है वैसे ही यह सरकार के हित में भी है कि उसका विश्वास सरकार के साथ बंधा रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह इसलिये कहा कि यह बहुत जरूरी है कि जिस किसान से आपने वायदा किया, उसका विश्वास हम पर है। उस पर यह टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। आखिर अन्य प्रांतों में भी किसान लगान देता है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता था, परन्तु आंकडे तो और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने पेश कर दिये हैं इसलिए मैं मोटे तौर पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में लगान अन्य प्रांतों से अधिक है, उसकी दरें ज्यादा हैं। पंजाब का मैं उदाहरण देता हूं जो कि पड़ोसी राज्य है जिसकी चर्चा यहां पर बहुत हुई। परन्तु आप उसकी आबादी के अनुपात को भी तो ध्यान में रखें। जो काम पंजाब में हो रहा है वह तो आपने देखा नहीं। आप देखें कि पंजाब से आबपाशी की दरें ठीक दुगनी हैं और लगान भी पंजाब से ज्यादा है। करीब सवा दो गुना है। माननीय गेंदासिंह जी तो आंकड़े के पंडित हैं। उनका कथन है कि सारे हिन्दुस्तान से हमारे यहां लगान की दरें ज्यादा हैं। परन्तु इतने पर भी संतोष नहीं है और उसके बाद भी वह बढ़ाया जा रहा है। एक तर्क इस विधेयक के वापस लेने में यह भी आता है कि हमको अपने पड़ोसी प्रदेशों से सबक भी लेना चाहिये। आप देखें कि बिहार में अभी इस विषय पर वहां की सरकार सोचने लगी है। यह मैं नहीं कहता हूं कि यह वापस हो गया है और इसी लिये मैं अपने प्रदेश की सरकार को भी सोचने को ही कह रहा हूं। बिहार में इसको पेश करने के बाद, रोक दिया गया और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी इस विधेयक को लेकर यहां से वहां दौड़ रहे हैं। अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। एक साथ प्रान्त में यह समस्या उठी और उठकर खामोश हो गई। परन्तु हमारे प्रदेश में स्थिति कुछ दूसरी ही है। यह तो सब चिल्लाते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, यह तो यह सरकार भी कहती है कि यह प्रदेश पिछड़ा है, परन्तु उसी पिछड़े हुये किसान और प्रदेश पर और ज्यादा टैक्स लगाना कहां तक उचित है, यह एक विचारणीय तथ्य है? यह न्याय की बात तो कभी कही ही नहीं जा सकती है।

एक बात और कहूंगा कि यदि किसान पर सरकार का कुछ बकाया हो और किसान शहर में चीज लेने आया हो और तहसीलदार को मालूम हो जाय तो वह बेचारा भरे बाजार में से पकड़वा के बुलवा लिया जाता है। उसे बन्द करवा दिया जायगा और वहां गांव में उसके बीवी बच्चे और जानवर सब ऐसे ही पड़े रहेंगे। परन्तु उद्योगपतियों से आज सरकार क्यों नहीं इतनी सख्ती बरतती है और इतनी कड़ाई से क्यों नहीं बकाया रुपया वसूल करती है। यह तर्क सभी लोग देते हैं, परन्तु सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। निन्दक की बात का कोई अमल ही नहीं है।

एक बात और कहूंगा कि आज हमारे देश में किसानों की कदर नहीं है। यह कदर होती यदि आज गांधी जी जीवित होते। यह जो आज १५ अरब रुपये का गल्ला अमरीका से मंगा लिया जाता है संकट का मुकाबला करने के लिये तो इन्हीं सब कारणों से आज किसान की कद्र नहीं है। किसान बेचारा यह कहता है कि यदि हम पैदावार बढ़ा भी लें तो कीमत गिर जाती है। किसान को जो भाव मिल रहा है वह सही नहीं है, वह न्यायसंगत नहीं है। उद्योगपतियों के कारखानों में तो मजदूरी, मेहनत हर वक्त जोड़ी जाती है, नफा और घाटा निकालने के लिये। परन्तु यदि इसी प्रकार से आप किसान की भी मजदूरी लगायें उसकी मेहनत का भी हिसाब लगायें तो आप देखेंगे कि आज खेती मुनाफे की नहीं रही है। इस बात का मैं तर्क उपस्थित करूंगा कि इस प्रदेश में सरकारी नुक्सान वाले फार्म बहुत चल रहे हैं। सरकार की बीज, खाद, पानी, अच्छे अच्छे सलाहकार, सारे साधन मुहइया हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक फार्म देखने की कमेटी का मैं भी मेम्बर था, कुछ सूबे के फार्म मैंने देखे। वहां सब अफसरों की तनख्वाहें भी लग जाती है, लेकिन किसान की मेहनत लगती ही नहीं। तो बावजूद इन साधनों के सरकारी फार्म घाटे में चल रहे हैं, वह नमूना सरकारी है और किसान मालदार है। जमीन अच्छी, खाद अच्छी, पानी अच्छा, बीज अच्छा, सलाहकार अच्छे, बैल बढ़िया फिर भी सरकारी फार्म घाटे में। और क्या एक ही साल से घाटे में हैं? नेकराम जी कह रहे हैं कि लगान सरकार को नहीं देना पड़ता तब भी घाटे में फार्म चल रहे हैं, लेकिन किसान को कहा जाता है कि वह मालदार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह दूं कि हमारे कुछ मंत्रियों को खेती का शौक लगा—केन्द्र के भी और इस प्रदेश के भी और अन्य राज्यों में भी लगा। उन्हें मुगालता हो गया कि किसान बड़ा मालदार मालूम पड़ता है। सरकार से सारे साधन लिये। ट्यूबवेल जल्दी बन जायगा, बिजली जल्दी मिल जायगी, बीज गोदाम का सुपरवाइजर नियुक्त हो जायगा—मंत्री जी के नाम से बहुत सुविधा होती है और वह मंत्री बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बिना सरकारी, साधन व सहायता के खेती कर ली हो। लेकिन इन साधनों के बावजूद मंत्री लोग घाटे में हैं और किसान को मालदार समझ रहे हैं। यह तो तथ्य हैं, जिनको दिल खोलकर इसलिए कह रहा हूं कि सच्चाई पर तर्क से पर्दा न डालें, क्योंकि वह ज्यादा दिन तक डाला नहीं जा सकता। मैं क्या बतलाऊं। चुर्क सीमेंट फैक्टरी बनेगी तो सीमेंट सस्ता होगा, हमें भी मिलेगा, यह बड़े दिन से सुनते आते थे, लेकिन अभी तक चुर्क का सीमेंट हमारे यहां नहीं पहुंचा। ऐसी बातों का विश्वास एक साल, दो साल लोग कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान की बात कहता हूं। हमारे ब्लाक में एक बड़े आदर्श फार्म के लिए जमीन अक्वायर होने लगी। चर्चा हमारे गांव में भी पहुंच गयी ऊदल जी की विचारधारा की। तो एक बढ़े बूढ़े किसान ने आकर कहा कि जमीन बहुत घेर रहे हो, होटल-वोटल जल्दी खुलवा दो। और एक ही दफा छीन लो, थोड़ी थोड़ी क्यों ले रहे हो? तो जनता के अन्दर विश्वास सरकार के प्रति कम होता चला जा रहा है इन कामों से। सरकार किसानों के बारे में जानकारी भले ही न रखे कि क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या उनकी भावनाएं हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बराबर जारी है।

[श्री रामचन्द्र विकल]

हमारे यहां, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने इस विधेयक को जनमत को भेजने की मांग की है। मेरा अपना विश्वास यह है कि जैसा मैंने कहा कि योजनाओं के ऊपर टैक्स मांगने में हमको खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, लेकिन एकदम सारे टैक्सेज लगते चले जा रहे हैं शहर क्या और गांव क्या। हर तरफ यही हाल है, विद्यार्थियों की फीस तक बढ़ा दी गयी। चुनाव के फौरन बाद टैक्सों की भरमार से जनता का विश्वास आपने हिला दिया और लोग तंग आकर यह कहने लगे कि जमीन रह गयी है, जमीन ही ले लो जब काम ही चलाना है। लोगों को सरकार की नीयत पर अविश्वास हो गया है क्यों कि चुनावों के तुरन्त बाद गांव और शहर में टैक्स लगाकर एक आतंक फैला दिया है। अभी इसी तरह की एक घटना है हापुड़ की, मैं सदन में नहीं कहना चाहता। वह हापुड़ के एक किसान की बात है, कहना यहां ठीक नहीं होगा, किसी भी मंत्री को मैं अलहदा से सुना दूंगा कि क्या धारणा इन टैक्सों के बारे में बन चुकी है।

तो मैं यह कह रहा था कि जनमत में इसको भेजने की जरूरत नहीं है, पूरा जनमत इसके खिलाफ़ है। (विरोधी पक्ष से—मेज थपथपाना)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार एक संगठन द्वारा चलाई जाती है और उसकी चर्चा इस सदन में भी हुई है, वह इस विषय से बाहर है, अन्य किसी दिन, अगर मुझे समय मिला तो मैं उस पर बोलूंगा। हां इतना कहना चाहूंगा कि इस समय की कांग्रेस का जो संगठन है प्रदेश का और जिलों का वहां से भी उनकी राय इस लैंड टैक्सों के विरोध में आयी है। वहां से बहुत से प्रस्ताव इस टैक्स के विरोध में इस सरकार को मिले हैं और उपाध्यक्ष महोदय, यह बात निर्विवाद सत्य है, कल जिसकी चर्चा हुई, माननीय नेता सदन को जो व्हिप लाना पड़ा उसकी, वह भी, मैं यह कहूंगा कि एक विशेष परिस्थिति में लाना पड़ा। काश वह व्हिप हटा दिया जाय तो मेरा तो यह निश्चित विश्वास है कि सदन का बहुमत इसके खिलाफ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल से हमारे पार्लियामेंट के मेम्बरों का भी वास्ता है। उत्तर प्रदेश के जो पार्लियामेंट के मेम्बर यहां से चुन कर गये हैं, उनमें से भारी संख्या में, लोगों ने लिख कर प्रधान मंत्री को दिया है कि यह विधेयक वापस होना चाहिये, और मेरी यह सूचना सही नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी लिख कर आया है, लेकिन यह सूचना सही है कि उन्होंने प्रधान मंत्री को लिख कर यह दिया है कि यह विधेयक वापस लिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पेश करने के संबंध में माननीय सम्पूर्णानन्द जी की बहुत चर्चा की गयी है और यह सारी बातें उन पर टाली गयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनका एक ख़त मेरे पास है और अगर कोई वैधानिक आपत्ति न हो तो मैं उसे पढ़ दूं....

कई सदस्य—पढ़ दीजिये।

श्री बनारसीदास—उसको पढ़वा दें।

श्री उपाध्यक्ष—उसको आप पूरा पढ़ दें।

श्री रामचन्द्र विकल—उस खत का मजमून यह है—"आपका पत्र मिला। वहां की स्थिति का थोड़ा बहुत पता समाचार पत्र तथा दोस्तों के खतों से मिलता रहा है। मैं देखता हूं कि गुप्ता जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वह जो नया टैक्स लगाने जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुश्किल तो यह है कि इस संबंध में मैं किसी से बहस तो कर ही नहीं सकता, फिर भी ऊब कर मैंने उनको एक पत्र भेजा है और उसकी एक प्रतिलिपि पंडित कमलापति त्रिपाठी के पास भी भेज दी है। उससे संभवतः स्थिति कुछ स्पष्ट होगी, यद्यपि मेरे लिये बहस में पड़ना अनुचित है।" यह इस विधेयक से संबंधित अंश है।

तो मैं यह कह रहा था कि जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, इसकी जिम्मेदारी बहुत कुछ उनके ऊपर डाली जाती रही। मेरा खयाल है कि जब से यह खत आया तब से वह चर्चा कुछ बन्द हुई है। अब जो जोर दिया जाता है वह प्लानिंग कमीशन, प्रधान मंत्री जी और श्री लालबहादुर जी शास्त्री, इन तीन नामों पर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है और हमारे प्रदेश से वे संबंधित हैं, इस देश को चलाने की उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि यह सरकार उनको अपने प्रदेश की हालत को कभी समझा पायी है या नहीं। प्लानिंग कमीशन के बारे में जरूर यह कहा गया कि बिला लिहाज इसके कि हम कितना रुपया टैक्सेज के द्वारा वसूल करते हैं, वे ३५० करोड़ रुपया हमको देंगे। प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी की बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वह इस बात को कहती रही है कि यह सम्पूर्णानन्द जी का कसूर है या प्लानिंग कमीशन का कसूर, हमारी राय तो ऐसी थी नहीं।

माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में सरकारी कर्मचारियों की उम्र ५५ से ५८ कर दी गयी थी जो वर्तमान सरकार ने फौरन बदल दी, उस पर पार्टी की राय भी नहीं ली। जिला परिषदों के चुनावों के बारे में भी उस सरकार ने एक निर्णय लिया था उसको भी बदल दिया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं कि पुरानी कैबीनेट ने जो बात तय की थी वह बिना पार्टी की सलाह लिये ही बदल दिया गया। अव्वल तो मैं यह मानता नहीं हूं कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन अगर यह मान भी लिया जाय तो मैं नहीं समझता कि और निर्णयों की भांति उस निर्णय को बदलने में इस सरकार को क्या कठिनाई थी और उनके नाम की दुहाई देने की क्या आवश्यकता थी। अब योजनाओं का नाम लिया जाता है। बात यह है कि यह सरकार उसके दोष से बचना चाहती है।

इस सदन में, और सदन के बाहर इस विधेयक का विरोध रहा है। ब्लाक कमेटियों के द्वारा, जो सरकार की कमेटीज हैं, इसके विरोध में प्रस्ताव पास करके भेजे गये हैं, बहुत सी जिला परिषदों से भी प्रस्ताव आये हैं, जबकि उसके हक में कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं आया। इसलिये यह साफ है कि जनमत इस बिल के विरुद्ध है। ३ हठ प्रसिद्ध है---राज हठ, त्रिया हठ और बाल हठ। बाल हठ का प्रभाव तो बालक और उसके माता-पिता तक ही सीमित होता है, त्रिया हठ का प्रभाव उस बेचारी स्त्री, उसके पति और कुछ परिवार वालों तक सीमित होता है; लेकिन इस राजहठ का प्रभाव पूरी प्रजा पर तथा राजा पर भी पड़ता है। यह मुझे कुछ राज हठ मालूम पड़ रहा है। इसे सरकार को वापस लेना चाहिये। जनतंत्र में यह राज हठ बरदाश्त नहीं हो सकता। जनतंत्र में तो एक हठ और होना चाहिये और वह है जन हठ। जनता का जो हठ है, वह होना चाहिये, राज हठ नहीं रहना चाहिये। जनता के बारे में मैंने थोड़े से उदाहरण दिये, जनता की यह मांग है कि सरकार जब तक योजनाओं में किफायतशारी न करे, सही रूप से उनको न चलाए, किसानों के विश्वास को न समझावें जो कि आज उखड़ गया है, मैं सरकार के हर मंत्री को यह दावत देता हूं कि अगर उन्हें जनता के हठ का पता न लगा हो, मेरे कहने के बावजूद और इस प्रस्ताव के बावजूद भी, तो वे कहीं भी मीटिंग कर लें और इन योजनाओं के नाम पर भीख मांग लें और फिर भी माननीय मंत्री जी कामयाब हो जायं तो मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करूंगा और इस विधेयक का स्वागत करूंगा। मुझे कोई बाल हठ नहीं है। हमारी सरकार में बड़े-बड़े बुजुर्ग लोग हैं और वे सब मेरे बुजुर्ग है। मैं तो बालक हूं और जनतंत्र में बालहठ नहीं चलना चाहिये। मैं रास्ते से हट जाऊंगा आप जहां चाहें चलें, और देश विदेश के जितने भी आंकड़े रख सकें जनता के सामने रखें और वास्तविकता को थोड़ी-सी जांच कर लें तो सरकार के ये मंत्री जो राजहठ में पड़े हुए हैं वे जरूर अपनी राय बदल देंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। थोड़ा पुलिस का पहरा कम हो, ब्लाक आफिसरों की मीटिंग पहले न बुलायी जाय, कलेक्टर, एस० पीज० साथ में न चलें और उनकी बुलायी हुई मीटिंग न हो बल्कि सीधे कांग्रेस मंडल द्वारा मीटिंग बुलायी जाय। अंग्रेजों के जमाने में भी सरकारी कर्मचारी और अमन सभाई बहुत दिनों तक सरकार को मुगालते में रखे रहे, जबकि देश हाथ से निकलता जा रहा था। उसी तरह की धारणा आज की इस सरकार की भी है कि जनता से उसका संबंध

[श्री रामचन्द्र विकल]

घनिष्ठ होने के बजाय दूर होता जा रहा है जो उसके लिये हितकर नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप जनता के हठ को पहचानें और जनता के हठ की खातिर, जनतंत्र की खातिर इस विधेयक को वापस लें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा--मैं क्षमा चाहूंगा कि सरकार को मैंने वास्तविक घटनाएं बतलायीं, जनता की गरीबी का कारण बतलाया जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जवानों का सीना कम हो गया है, उनकी लम्बाई कम हो गयी है, उनकी खुराक, कपड़े कम हो गये हैं, उनके घोड़े भी कम हो गये हैं, इस तरह से जितनी भी बातें मैंने अपनी स्पीच में बतलायीं, उन सब की जांच मैं खुले दिल से कराने के लिये तैयार हूं, मेरे साथ माननीय मंत्री जी चलें।

एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि आज के वातावरण में किसानों के साथ कोई भी मंत्री जी बैठ लें तो मेरा खयाल है कि दिल रखने वाला कोई भी मंत्री किसानों के बीच से उनकी हालत को सोचसमझ कर बगैर आंसू बहाये नहीं आ सकता। इस उत्तर प्रदेश में जिसके विषय में सब लोगों को मुगालता है जैसा कि पहले भी मैंने कहा--कि वह मुगालता इस वजह से है कि किसी ब्लाक के चार्ट के आंकड़े को पढ़ कर ही माननीय मंत्री जी समझ लेते हैं कि इस ब्लाक का आर्थिक विकास हो गया और हमारी योजना सफल हो गयी। मान्यवर, बहुत-सी योजनाएं ऐसी हैं जहां बड़ी फिजूलखर्ची है। मैं माननीय बी० बी० शरण के दिये हुए आंकड़े ही आपके सामने रखना चाहता हूं जिन्होंने अपनी स्पीच में कुछ योजनाओं को कम करने की प्रार्थना की है और उनको बेकार कहा है। हमारी बात को सरकार न मानें लेकिन माननीय बी० बी० शरण जिन्हें किसानों का भी अनुभव है, उनके ही आंकड़े को मान लें। उन्होंने कुछ योजनाओं को कम करने के लिये सरकार से कहा है क्योंकि उनमें फिजूलखर्ची है। बी० बी० शरण की ही योजना को कम करने की बात को अगर मान लिया जाय तो न शहर में और न गांव में कहीं भी किसी टैक्स लाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जो गांव और शहर को टैक्स के मामले में लड़ाया जा रहा है इसकी जरूरत न होगी। अब आप छोड़ दीजिये श्री बी० बी० शरण को, हमारी जो आडिट रिपोर्ट है वह सब लोगों ने पढ़ी होगी, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। यह सरकारी आडिट रिपोर्ट है जिसमें आप देखें कि बिना एस्टीमेट के ही ५२ करोड़ और ४७ करोड़ के काम हो गये, कितनी ही योजनाएं फेल हो गयीं और कोई अन्दाजा सरकार को इन योजनाओं का नहीं है। हैजे के मरीज को मलेरिया का मिक्सचर पिलाया जा रहा है। न योजनाएं ठीक है न उनके कोई ठीक एस्टीमेट्स हैं न वह कामयाब हो रही हैं और न उनमें जनता को कोई भरोसा है, यहां तक कि प्लानिंग कमीशन का भी अब उनमें विश्वास कम हो गया है। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि योजनाएं जितनी सफल होना चाहिये थीं उतनी सफल नहीं हो रही है। जो मेम्बर कमीशन के बाहर हो गये हैं, वैसे तो कायदा यह है कि जो भी पद से बाहर हो जाता है वह सही बात कहता है। जब तक कोई सरकार के मंत्रिपद पर रहता है उसकी राय दूसरी होती है और वहां से हटते ही उसकी राय बदल जाती है। इस मंत्रियों की कुर्सी में ही यह दोष है कि उस पर आते ही दिल व दिमाग दोनों बदल जाते हैं। माननीय नवलकिशोर जी को मैं मंत्री बनने से पहले भी सुना करता था, आज उनके सारे आंकड़े उलट गये आज वह दूसरे आंकड़े पेश करने लगे। सरकार के रात के आंकड़े और हैं और दिन के और हैं। मंत्रिपद पाने से पहले उनके आंकड़े और थे यह तब्दीली उनकी मेरे समझ में आई नहीं। मंत्रिगण जो आंकड़े पेश करते हैं उन पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके मंत्री बनने से पहले की राय और अब की राय में अन्तर हो गया है। आज यह जनतंत्र का और देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य हो गया है कि कुर्सी की खातिर मंत्रिगण सही मंत्रणा और राय नहीं दे पा रहे हैं और वह सही राय से और जानकारी से सरकार को अंधेरे में रखते हैं यह भी मैं जानता हूं कि कुछ मंत्री ऐसे हैं कि जो बेचारे साहस करते हैं और असली बात कहते हैं, लेकिन अकेले में कहते हैं। मैं नाम लूंगा तो मतभेद हो जायगा। मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे भी बहुत से मंत्री हैं कि जो ईमानदारी की राय कुर्सी से ऊपर उठ कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि जनता में या सदन में वह राय दें, अच्छा है गोपनीयता की शपथ ली है तो वह अपने बंद कमरे में ही राय दें, पर सही

मशविरा दें। यह तो दुर्भाग्य होगा जनतंत्र का, देश का और प्रदेश का कि मंत्रिगण सही राय न दें, सही राय निर्भीकता से कम से कम वह कैबिनेट में तो दें।

माननीय श्री प्रकाश जी केन्द्रीय सरकार में भी रह चुके हैं, वह राज्यपाल भी रह चुके हैं, मेरी बात क्या है मैं तो नया कांग्रेसी हूं, मैं तो १७ रुपए का प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, मैं कोई पुराना कांग्रेस का सिपाही नहीं था। मैं सन् ४८ से पहले का था तो मेरे बुजुर्ग तो सन् ५७ के शहीद हैं। वह सदस्य जो उधर बड़े बेचैन हो रहे हैं उनकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि मेरे बुजुर्गों ने सन् ५७ से राजनीतिक क्रान्ति की है। मैं तो एक छोटासा आदमी हूं, नया आदमी हूं आप ४८ या ५६ या ६२ को भी न मानें तो मुझे एतराज नहीं है और न मैं दावा करता हूं। न मैं यह दावा करता हूं कि इसमें बहुत शोभा समझता हूं। बहुत चर्चा करते हैं लोग....

श्री उपाध्यक्ष—समय बहुत हो गया है। मेरी प्रार्थना है कि पौने दो घंटे हो गये हैं और थोड़ा सा बोल कर....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—दो दिन से लगातार जो बोले उनको तो आपने टोका नहीं, अतः आप इनको भी न टोकिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने सब को टोका है। बोलने को मैं मना नहीं करता, सिर्फ मैंने यह कहा कि जरा समाप्त करने की कोशिश कीजिये।

श्री रामचन्द्र विकल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा।

मैं कह रहा था कि माननीय श्री प्रकाश जी पुराने कांग्रेसी हैं, उनका परिवार भी पुराना कांग्रेसी है उनको केन्द्रीय सरकार, प्रदेशीय सरकार तथा राज्यपाल के पद पर रह कर सरकार चलाने का मौका प्राप्त हुआ है, उत्तर, दक्षिण, सारे देश का अनुभव है, कभी उनकी राय को सरकार ने पढ़ा है गम्भीरता से? इसीलिये यह मैंने याद दिलाया कि मेरे ऊपर कुछ आक्षेप करते हैं। सरकार पुरानों की ही राय मान ले अगर नये लोगों की राय नहीं मानती है। मैं इस सदन के अन्दर और इसके बाहर बहुत से लोगों से पुराना कांग्रेसी हूं और उन साम्प्रदायिक लोगों से पुराना हूं जिन्होंने नमालूम किन किन पार्टियों में काम किया होगा, जो लोग बहुत बड़े तीसमारते खां बनते हैं मैं उन सब को भी जानता हूं।

आज इस प्रदेश में सरमायेदारी और साम्प्रदायिकता राजनीतिक तौर पर बढ़ायी जा रही है। उसका दोषी कौन होगा? और उस समय में जब हमको सब को खतरा है देश की रक्षा का, सीमाओं का, तो इस देश में शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिये, किसान में बेचैनी रोकने के लिये और विरोधी दलों के लाल पीले झंडों को रोकने के लिये आवश्यक है कि फिलहाल सरकार इस विधेयक को वापस ले ले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़े नोट किये हैं। इस समय जो टैक्स बढ़ाये हैं वही अगर वसूल हो जाय तो उससे काम सरकार का चल सकता है और देश हित में, कांग्रेस के हित में, सरकार के हित में और जनतंत्र के हित में यह विधेयक वापस होना चाहिये, यह मेरी राय है। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा उन शब्दों के लिये जिनसे किसी भी माननीय सदस्य को तकलीफ हुई हो।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी विवशता थी जो मैं बोलना चाहता था, मैं नहीं बोल पाया इसलिये कि शुरू से ही कुछ लगाम कड़ी खींची गई। समय बड़ी मुश्किल से मिला, उस पर भी यह रहा तो मेरी तो वह हालत थी जैसे सवार लगाम को खींचे डंडा भी लगाये और चलने भी न दे, उस पोजीशन में मैं था। इसलिये मै आपके आदेशों का पालन करता हूं और मेरे उन तर्कों

[श्री रामचन्द्र विकल]

से जो सच्चे हैं अगर किसी को तकलीफ हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और फिर कहता हूं कि देश हित में, काँग्रेस हित में, जनतंत्र के हित में सरकार इस विधेयक को वापस ले, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक साधारण पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस है। जब कोई डाक्यूमेंट, पत्र या अखबार जिसकी चर्चा सदन के सम्मुख होती है और उसमें जिन बातों का रेफरेंस होता है तो वह डाक्यूमेंट भी सदन के सामने आना आवश्यक है। माननीय रामचन्द्र विकल जी ने अभी माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के एक पत्र की चर्चा की और उसमें स्पष्ट है कि माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है। तो मैं व्वयस्था चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री उस पत्र को सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनारसीदास का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—तीन, तीन काँग्रेस के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप शाँत रहिये।

श्री नेकराम शर्मा—तीन तीन सदस्य काँग्रेस की तरफ से बोल चुके हैं। आप पक्षपात करते हैं और इस तरह से संसदीय मान-मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण विधेयक है और परम्परा यह रही है कि विरोधी दलों को अधिक से अधिक समय मिलता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—पहले सब बैठ जायं। नेकराम जी को क्या कहना है ?

श्री नरसिंहनारायण पांड़ेय—व्वयस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—पहले आप बनारसीदास जी को तो बिठाइये।

श्री उपाध्यक्ष—सब लोग बैठ जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांड़ेय—मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि बनारसीदास जी आपके कहने के बावजूद भी नहीं बैठे।

श्री उपाध्यक्ष—उनका नाम मैने पुकारा है बोलने के लिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आपने नेकराम जी को पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बनारसीदास जी एक मिनट के लिये बैठ जायं।

(श्री बनारसीदास के बैठ जाने पर)

श्री नेकराम शर्मा—मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस हाउस की यह परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई तरीका नहीं है। जरा शाँति रखिये। १०, १२ लोग खड़े हो जाते हैं यह बेजा बात है।

श्री नेकराम शर्मा—मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस सदन की मर्यादा और परम्परा यह रही है कि एक विरोधी दल से और दूसरा काँग्रेस की तरफ से बहस में हिस्सा ले। श्रीमन्, आपकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वे बड़ी अनुपम होती हैं। आपने यहाँ तक किया कि बैठे हुये माननीय सदस्य को तो बुलाया और खड़े हुये को नहीं बुलाया। आज फिर आपने कुमारी

श्रद्धा देवी को कांग्रेस की तरफ से बुलाया और उसके बाद विकल जी और अब श्री बनारसीदास जी को बोलने के लिये निमंत्रण दिया। इस तरह से आप विरोधी दल के हकों को छीन रहे हैं। इसका सबत है कि आप कांग्रेस पार्टी के इशारे पर चल रहे हैं यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री कल्पनाथ सिंह—मेरी बात भी सुन लें। कल श्रद्धा जी को जब आपने पुकारा तो उसके पूर्व मेरी आप से बातचीत हुई और आपने यह कहा कि माननीया श्रद्धा जी के बोलने के बाद आप खड़े हों तो मैं आपको बुला लूंगा। लेकिन आज आपने विकल जी को मौका दिया और उसके बाद माननीय बनारसीदास जी को बुलाया। मैं समझता हूं कि आपने एक वायदा किया है। अगर यह बात सही है तो सही कहिये।

श्री नर्सिंहनारायण पाण्डेय—मेरी बात भी आप जरा सुन लें। आप विभिन्न पार्टी के मुख्य सचेतकों के द्वारा लिस्ट मांगते हैं और आप अभी तक इस परम्परा को कायम किये हुये हैं कि अगर एक शासक दल की तरफ से बोलेगा तो उसके बाद लिस्ट के मुताबिक आप विरोधी पार्टी को मौका देंगे।

श्री नर्सिंहनारायण पाण्डेय—आपने इस व्यवस्था के ऊपर क्या विचार किया कि आज दो कांग्रेस के सदस्य बोल चुके और विरोधी पार्टी के किसी भी सदस्य को आपने बोलने का मौका नहीं दिया? तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप किस नियम का पालन कर रहे हैं?

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने उठाया था पत्र के विषय में। उस पर आपने कोई निर्णय दिया नहीं। जब तक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है तब तक आप माननीय सूचना मंत्री को कैसे बुला सकते हैं? इस पर आप पहले व्यवस्था दें फिर आगे कार्यवाही करें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैंने भी आपसे निवेदन किया था तो आपने कहा था कि श्रद्धा जी के बाद मौका दूंगा। जब और लोग बतला रहे हैं तो मैं भी बतला दूं ताकि हमारा वलेम बना रहे।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीया श्रद्धा जी चार घंटे बोलीं, यह आप भी कल महसूस कर रहे थे। अगर उधर के लोगों को दस घंटे दिये जांय तो इधर के लोगों को भी कम से कम दस घंटे दिये जाने चाहिये। यों विचारधारा इस पक्ष में ज्यादा वजनी है क्योंकि फाइनल रेजोल्यूशन सरकार ने रखा है। तो आपकी समझ में अगर इधर की वजनी बातें आ जायं तो शायद आप मान लें और विधेयक को वापस कर लें। मैं भी चाहता था कि समय कुछ सीमित हो और उधर के लोगों ने जितना समय लिया है उससे ज्यादा ही इधर के लोगों को मिलना चाहिये।

माननीय विरोधी के नेता जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न रखा है और माननीय वित्त मंत्री जी के पास भी ऐसा सम्पूर्णानन्द जी का पत्र आया है वह विराजमान वित्त मंत्री के पास है और मुख्य मंत्री जी के पास भी पत्र आया है जिनका इसी विधेयक और इसी झगड़े से संबंध है और विवाद भी हो चुका है, १६ सितम्बर को भाषण भी मुख्य मंत्री जी ने दिया। उन्हीं की नीति के बारे में विरोध हुआ। इसलिये ये दोनों पत्र सदन की मेज पर रखने चाहिये। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—जहां तक पत्र का ताल्लुक है, गवर्नमेंट को कम्पेल नहीं किया जा सकता कि वह पत्र यहां पेश करे। लेकिन रामचन्द्र जी विकल अगर मेज पर रखना चाहें तो रख सकते हैं, उनको कम्पेल नहीं किया जा सकता। यह तो मेरी व्वयस्था हुई। (श्री यादवेन्द्रदत्त से) मैं समझता था कि आप प्रेस नहीं कर रहे हैं इसलिये मैंने कुछ कहा नहीं।

अब दूसरी बातें जो आपने फरमायी वह यह कि कल, परसों से जब विकल जी का नाम आया तो माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने और माननीय नेकराम जी ने, इन सब लोगों ने कहा कि

[श्री उपाध्यक्ष]

विकल जी को बोलवाइये। विकल जो जो बोले हैं वह सब के समक्ष है। जो विधेयक के माफिक बोले उनको एक दफा टाइम दिया। दूसरी दफा जो उसके विरुद्ध बोले उनको टाइम दिया। तो जो विधेयक के विरोध में बोले उनको मैंने टाइम दे दिया। इसलिये मैंने सूचना मंत्री को पुकारा है। अब सूचना मंत्री बोलेंगे। माननीय सूचना मंत्री (सदन में शोर)

श्री कल्पनाथ सिंह—आपने ये शब्द कहे या नहीं कहे इस बारे में आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं। मैं आपके उस आदेश के मुताबिक खड़ा हूं और नम्रता के साथ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपोजीशन का हक और खासतौर से पी० एस० पी० का हक अगर छीना जायगा तो आज मैं बैठने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी पार्टी की तरफ से माननीय बलवानसिंह जी मेरे कमरे मे गये और उन्होंने कहा कि माननीय विकल जी को बोलने दीजिये और फिर उन्होंने आपके लिये कहा कि उनकी ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से उनको नहीं बुलाया। सारे हाउस के सामने यह बात हुई और सारे हाउस ने जोर दिया कि बिकल जी बोलें।

श्री दीपनारायणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विकल जी कांग्रेस दल के सदस्य हैं। अब क्या उन्होंने विरोधी दल को ज्वाइन कर लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—मेरा कहना यह है कि अगर वे विधेयक के विरोध में बोलें तो मैं उसके पक्ष के आदमी को बुलवाऊंगा।

श्री भीखालाल—श्रीमन्, अभी तक इस सदन की परम्परा रही है कि एक कांग्रेस के सदस्य बोलते हैं तो उसके बाद विरोधी दल के सदस्य बोलते हैं। लेकिन आज दो कांग्रेस पक्ष के लोग बोले और तीसरा नाम आपने माननीय सूचना मंत्री जी का पुकारा है। आपने दूसरी परम्परा बतलाई है कि एक पक्ष में बोले और दूसरा विपक्ष में बोले। अभी विकल जी विपक्ष में बोल चुके हैं, अब आपने माननीय बनारसीदास जी को बुलाया है तो आपके पास कौन सा प्रमाण है कि वे पक्ष में ही बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—बोलने के बाद अच्छी तरह से मालूम हो जाता है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान अपनी व्यवस्था के प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो निवेदन किया उस पर आपने क्या विचार किया। मैंने कहा कि अभी आपने इशारा किया कि हम पार्टियों के सचेतकों से नाम इसलिये लेते हैं। (व्यवधान)

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्यक्ष महोदय के उन शब्दों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने आदरणीय सदन के सामने पेश किये हैं। उन्होंने कहा था कि समस्त पार्टियों की तरफ से नाम इसलिये मंगाये जाते हैं कि हम यह समझ सकें। (व्यवधान) अगर उपाध्यक्ष जी चाहें तो संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने यह फरमाया था कि विभिन्न पार्टियों से नाम मंगाये जाते हैं और उसके बाद हम कांग्रेस दल के और विरोधी दल के लोगों को बोलने का मौका देते हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं श्रीमन्, कि सोशलिस्ट पार्टी का मुझे छोड़कर एक भी सदस्य नहीं बोल पाया है। आज कांग्रेस की तरफ से तीन सदस्य बोल चुके हैं। माननीय श्रद्धादेवी, विकल जी और नवलकिशोर जी बोल चुके हैं और हमारे पक्ष का कोई नहीं बोल पाया है। आखिर हम लोगों से नाम क्यों मंगाये जाते हैं जब कि आपको हमारी पार्टी के लोगों के नामों पर विचार ही नहीं करना है। आप सक्षम हैं, आप स्वयं विचार करते हैं और निर्णय देते हैं,तो हम श्रीमान्, कैसे अपनी बात इस सदन में रख सकते हैं ? समझता हूं कि अभी तक श्रीमन्, इस सदन की यह परम्परा रही है कि सरकारी पक्ष ने बिल को सदन के समक्ष रख दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा समय

विरोधी दल को इसलिये मिलता है कि वे अपना विचार व्यक्त कर सके। लेकिन में वे खता हूं कि यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। मैं चाहता हूं कि सीधी गंगा बहायी जाय और हमारा हक छीना न जाय।

उपाध्यक्ष (श्री होतीलाल अग्रवाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक गलतफहमी मिटाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—अब वे अपना अधिकार सदस्य का इस्तेमाल कर रहे हैं तो करने दिया जाय। उन्हें बोलने का अधिकार है।

श्री होती लाल अग्रवाल—वही तो मैं करूंगा। मतलब यह है कि जो मेरे विरुद्ध बात कही जा रही है वह बिल्कुल गलत है। उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—(सदस्यों से) एक बात सुन तो लीजिये। किसी व्यक्ति को स्पष्टीकरण का मौका तो दें। (श्री होतीलाल अग्रवाल से) हां, बोलिये।

श्री होतीलाल अग्रवाल—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि मैं मांगता हूं चिटें यह बात गलत है। लोग अपने-अपने दलों की तरफ से चिटें दे जाते हैं। मैंने यह कहा कि जो साहब खड़े होते हैं उनमें से चिटों का खयाल करके मैं पुकारता हूं। उसमें यह कहना कि मैं मांगता हूं, मैंने कभी किसी से मंगाया नहीं। यह बिल्कुल गलत है। यह लांछन लगाना कि हम लोग चिट मांगते हैं, फिर उसमें से किसी को नहीं बुलाते, यह गलत बात है। चिट में जितने नाम होते हैं, उनको बुलाना नामुमकिन बात है। उनको बुलाया नहीं जा सकता। ४३० सदस्य हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिये। अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि वे बिल के पक्ष में एक आदमी बुलाते हैं और एक विपक्ष में बुलाते हैं। मेरा पांच वर्ष का जो अनुभव है वह यह है कि एक आदमी विरोधी दल से बुलाते थे तो एक आदमी कांग्रेस दल से बुलाते थे, चाहे वह विपक्ष में बोले या पक्ष में। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं दे दूं। जब माननीय जुगलकिशोर जी ने नो-कांफीडेन्स प्रस्ताव पर ९४ या ९८ लोगों के हस्ताक्षर पढ़े थे तो मंत्रिमंडल से डिफेंड करने के लिये कोई खड़ा नहीं हुआ था। उसके बाद फिर विरोधी दल का आदमी खड़ा हुआ था। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह परम्परा आज से समाप्त कर दी गयी? अब क्या उसके स्थान पर नवीन परम्परा लगायी जाने वाली है? यह मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मंत्री को बुलाया है। अब ऐसा हो सकता है कि उनको बोलने दीजिये। फिर दो उधर से बोल लेंगे।

(व्यवधान)

एक बात सुन लीजिये। मैं आप से बता दूं कि स्पीकर का यह कर्तव्य होता है कि वह सदन के अन्दर प्रस्तुत विषय पर हर शेड की ओपीनियन को बोलने का अवसर दे, विरोधी पक्ष के बोलें या कांग्रेस पक्ष के बोलें, अन्तोगत्वा प्रमुख चीज जो है यह नहीं है कि कौन पक्ष बोल रहा है, प्रमुख चीज यह है कि जो विषय प्रस्तुत है उसके ऊपर एक डिबेट चल रहा है, एक मर्तबा पक्ष और एक मर्तबा विपक्ष, इस तरह से डिबेट का प्रवाह रखना चाहिये ताकि सदन के सामने हर प्रकार की ओपीनियन आ जाय, सही दृष्टिकोण मेरी राय में यह है। सदन को चलना है। अभी क्लोजर मूव नहीं हो रहा है। यह तो होता नहीं है कि कोई पक्ष बोलने नहीं पायेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्लोजर नहीं मूव होगा। उस हालत में मेरा आपसे यह निवेदन था कि हमारी, आप सब की प्रतिष्ठा इसमें है कि उपाध्यक्ष महोदय ने एक आदमी को बुला लिया उसे बोलने दें।

(व्यवधान)

नेकराम जी, एक निवेदन मैं कर दूं। कल जब आप मेरे कमरे में बैठे थे,

[श्री अध्यक्ष]

आपने माननीय बलवानसिंह जी और खेमचन्द जी, उस वक्त मैं यह समझा कि आपने यह कहा कि विकल जी को बोलने दीजिये, हम में से कोई खड़ा ही नहीं होगा। इस प्रकार की बात हुई। तो वह ठीक था। ठीक इस माने में था कि इस सदन के समक्ष जो विषय है उसके ऊपर वाद प्रतिवाद का प्रवाह जारी रहे। तो अब अगर विकल जी इस प्रस्तुत विधेयक के विरोध में बोले हैं तो अब एक उसके पक्ष में बोले। अब सवाल सिर्फ यह रहा जो मैंने सुना कि इस बात का आप के पास क्या प्रमाण है कि जिन सदस्य को आपने बुलाया है वह पक्ष में बोलेगा। यह प्रश्न यहां पर उपस्थित हुआ था। अब जब कि उन्होंने मन्त्रि परिषद् के एक मन्त्री को बुला लिया है तो स्वाभाविक है कि हमें उस पर विश्वास हो और कदाचित् माननीय उपाध्यक्ष ने इसी विचार से उनको बुलाया हो कि एक विरोध में बोल गये हैं, एक कांग्रेस सदस्य विरोध में बोले हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाय कि जिसके बारे में निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि वह उस डिबेट के वातावरण को कायम रखेंगे....

(कुंवर श्रीपाल सिंह के खड़े होने पर)

राजाओं की शोभा इसी में है कि आप बैठ जायं।

कुंवर श्रीपालसिंह—आप आज्ञा देने के पहले मुझको सुन लें।

श्री अध्यक्ष—आज्ञा तो यह सदन देगा। मेरा सिर्फ कर्त्तव्य यह है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आप की इच्छा को हमें पूरा करना है। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहा था कि अगर कांग्रेस की तरफ से अब बुला लिया गया है तो दो आपकी तरफ से बोलेंगे तो आपका समाधान हो जायगा।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

कुंवर श्रीपाल सिंह बोलेंगे और सब माननीय सदस्य बैठ जायं।

कुंवर श्रीपालसिंह—एक बात मैं कह दूं। अगर आपकी यह इच्छा है कि माननीय बनारसीदास जी बोलें तो उनकी तरफ से काफी लोग बोल चुके हैं और इस विधेयक के पक्ष में जितना कुछ कहा सुना जा सकता था चाहे उसमें कोई तुक था या बेतुक था वह सब कहा गया। माननीय नवल किशोर जी तथा कुमारी श्रद्धादेवी जी ने बहुत कुछ कह दिया है। लिहाजा यदि आप चाहते हैं तो उनको २० मिनट का समय दे दिया जाय और उसके बाद हम लोगों में तीन आदमियों को बोलने का बराबर मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप एक बात हमारी सुन लें। समय का कोई सवाल नहीं है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी प्रकार से विरोधी दल के इस एतराज पर डिस्कशन बन्द नहीं करना चाहता। मैं आप को बतलाऊं कि कल मुझसे किसी ने क्लोजर के सम्बन्ध में कहा था, शायद लखपतराम जी शर्मा थे, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर क्लोजर मूव होगा तो मैं उस को ओवर रूल कर दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप मेरा विश्वास कीजिये अब माननीय बनारसीदास को बोलने दिया जाय।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष ने मेरा नाम लिया था कि मैं उनके चेम्बर में गया था। उपाध्यक्ष जी को हमने अपनी ख्वाहिश बतलाई थी कि विकल जी बोलें तो अच्छा है। उन्होंने उनको समय दिया। उसके बाद यह तय हुआ था कि नेकराम जी बोलेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश ऐसी है कि बनारसीदास जी बोलें तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है; लेकिन हमको यह डर है कि शायद १७ तारीख को इस पर क्लोजर मूव होगा।

श्री अध्यक्ष—वह मेरे अधिकार की बात है। मैं आप से कह रहा हूं। अगर मेरा विश्वास आप लोग नहीं करेंगे तो मेरे पास और कोई इलाज नहीं है। मैं आप से कह रहा हूं, आप इसको क्यों नहीं मानते हैं।

(श्री झारखंडेराय के खड़े होने पर)

अब आप बैठ जायं। आप पुराने तजुर्बेकार हैं।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—मैं आपसे मिला था। मैं बदकिस्मती से सस्पेन्ड हूं तो मेरा कोई स्थान इस सदन में बोलने का है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आप अब्बासी जी, आज सवेरे मुझसे मिले थे और मैंने आपसे कहा था कि आप को मौका दूंगा। मगर यह चाहें आप कि मैं आपको मौका आपकी तबियत के मुताबिक दूं तो यह जबर्दस्ती है। (व्यवधान) तो बैठिए अब आप। मैंने जो आप से कहा है वह पूरा करूंगा।

काजी जलील अब्बासी—मैं पहली तारीख से बराबर इन्तजार के बाद तब आज कह रहा हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीया श्रद्धा देवी के के भाषण के बाद माननीय विकल जी का नाम लिया गया। विकल जी एक विशेष पार्टी के के हैं और उन्होंने बिल का विरोध किया। यह उनकी आजादी है कि वह एक पार्टी में रहते हुए भी उस पार्टी की सरकार द्वारा लाये गए बिल का समर्थन करें या विरोध करें। उन्होंने यह भी कहा कि वह इसलिए चाहते हैं कि विधेयक वापस हो जाय कि अन्य झंडे वाले जनता पर हावी न हो जायं। तो श्रद्धा देवी के बाद विकल जी चूंकि बिल के विरोध में बोले, इसलिए बिरोधी पक्ष के किसी आदमी को टाइम न मिले यह अनुचित मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—मैं तो यह कह रहा हूं कि आपको दो मिलेंगे।

श्री झारखंडेराय—इसलिये मेरा आपसे अनुरोध यह है कि जब श्रद्धा देवी जी बोल चुकीं और विकल जी बोल चुके हैं तो नाम पुकारने के बाद तो कई बार तब्दील हो चुका है, आप किसी आदमी को इधर से बुला दें.....

श्री अध्यक्ष—देखिए हमारी और आप की सब की शोभा एक चीज में है और वह यह है कि माननीय उपाध्यक्ष ने माननीय बनारसीदास जी को बुला लिया है, कृपा कर के उनको बोलने दीजिए। और नेकराम जी और बलवान सिंह जी दोनों से मैंने प्रामिज किया है, वह बोलेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—हमें तो आपने घपले में डाल दिया....।

श्री अध्यक्ष—आप तो सब से बड़े विरोधी दल के एक प्रमुख व्यक्ति हैं आपको तो अधिकार है बोलने का और मैं अश्योरेंस के साथ कहता हूं .....।

श्री मुकुटबहारीलाल (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें। व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि विकल जी के बोलने के बाद माननीय दुबे जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया उपाध्यक्ष महोदय के सामने और उस व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देने के पहले ही उपाध्यक्ष महोदय ने बनारसीदास जी को पुकार दिया, तो क्या यह वैधानिक है ?

श्री अध्यक्ष—अब मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था (व्यवधान) माननीय नेकराम जी, आप कृपा करके बैठें, आपके लिए मैं स्वयं निवेदन कर रहा था।

श्री नेकराम शर्मा—आपने अभी माननीय होतीलाल जी को स्पष्टीकरण का आदेश दिया और कहा कि कल हम लोगों ने आप के कक्ष में यह कहा कि विकल जी को बोलने का मौका दिया जाय। हम लोगों ने यह कहा था कि माननीय सदस्य जो खड़े होते हैं उनको आप अवसर नहीं देते हैं और जो बैठे रहते हैं उनको आप बुला लेते हैं, यह अच्छा नहीं लगता इसलिए हम आप से प्रार्थना करते हैं कि जो माननीय सदस्य खड़े हों उनको आप मौका दीजिए। दूसरी बात यह है कि आप के सचिवालय के एक व्यक्ति हमारे पास आये और उन्होंने यह कहा कि विकल जी के बोलने के बाद आप को मौका मिलेगा। यह उपाध्यक्ष जी की तरफ से या आप के सेक्रेटरी की तरफ से यह सूचना आयी। तो माननीय बनारसी दास जी के ऊपर कोई रोक नहींहोनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए, वह बोलें, एक दिन बोलें, दो दिन बोलें, लेकिन मैं माननीय बनारसीदास जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस वक्त अपना भाषण न कर के अपोजीशन को बोलने दें, उसके बाद बोलें। एक दिन बोलें या दो दिन बोलें।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं निवेदन कर दूं। देखिये आपका प्रोटेस्ट हो गया, बड़ा बलिष्ठ प्रोटेस्ट हो गया, हमारे रेकार्ड में आ गया। अब आप उनको बोलने दीजिए।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की ताईद कर रहा हूं। मैं आप से सहमत हूं। लेकिन एक प्रश्न यह था कि माननीय दुबे जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, एक मिनट में आप उसका उत्तर दे दें। वह यह है कि विकल जी ने आपने भाषण में माननीय सम्पूर्णानन्द जी के एक पत्र का हवाला दिया है इस विधेयक के सम्बन्ध में और यह कहा है कि ऐसा पत्र मुख्य मंत्री जी के पास आया है और उसकी कापी वित्त मन्त्री जी के पास आयी है, वह सदन की मेज पर आ जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं उसे समझ लूंगा। माननीय बनारसीदास।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेताओं को कांग्रेस दल का आभारी होना चाहिये कि जब उनको अपने पक्ष में कोई नहीं मिला और उनके पास जब कोई दलीलें नहीं थीं तो उन्हें कांग्रेस पक्ष की शरण में आना पड़ा एक वकील की तलाश करने के लिये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—यह आर्गूमेन्ट है और आप को इसे एप्रीशियेट करना चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—फिसल पड़े तो हर गंगा हो रही है।

श्री बनारसीदास—कल मांग की गयी थी, श्री मैनेजरसिंह की तरफ से कि....।

श्री अध्यक्ष—आर्गूमेन्ट जो भी हो, उसे आपको सुनना चाहिये।

श्री बनारसीदास—तो श्रीमन्, आज भी माननीय मैनेजरसिंह ने कहा कि उनको और अधिक समय दिया जाय। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम उस पक्ष की बात को रखने के लिये इस तरफ की बुद्धि, इसी तरफ के तर्क और इसी तरफ के एक वकील की जरूरत पड़ी।

श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय जनसंघ के नेताओं और अन्य नेताओं की बात का जवाब देने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्य है कि मैं विकल जी के भाषण के बाद खड़ा हुआ हूं इस जोत-कर विधेयक के समर्थन में। विकल जी को मैं १४ सालों से जानता हूं और मुझे इस बात का भी फख्र है कि सार्वजनिक जीवन में उनको लाने में मेरी भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा रही। लेकिन जब उन्होंने जिले का जिक्र किया, वहां की घटनाओं का जिक्र किया, तो मैं यह कह सकता हूं कि वह भी इस बात का समर्थन करेंगे कि शायद जहां तक जिला बुलन्दशहर का सवाल है, वहां पिछले ३४ साल से मुझे उस जिले के कोने-कोने का कुछ ज्यादा अनुभव है और उस जिले की जो भी आर्थिक स्थिति है उस के बारे में

में यह दावा कर सकता हूं कि मुझे कम जानकारी नहीं है। जहां तक उस जिले का सम्बन्ध है मैं केवल एक बात उस सम्बन्ध में कह सकता हूं कि हमारे जिले में सन् १९४६ में केवल १० हायर सेकेन्डरी स्कूल्स थे, जो आज ६४ की संख्या में हैं और उस क्षेत्र में, जहां से विकल जी आते हैं, दादरी क्षेत्र में से एक कालेज के लिये, गूजर इंटरमीडियेट कालेज के लिये २ लाख रुपये से ज्यादा वसूल हो गया है। (व्यवधान) मैं यह समझता हूं कि यह संसदीय प्रणाली है कि यहां लोगों में सुनने का धैर्य होना चाहिये और यदि आप यह समझते हैं कि आप के पास कोई तर्क नहीं है और इस लिये आप इस प्रकार बीच में बाधा डाल कर ही अपने तर्क यदि आप पेश करना चाहते हैं तो उसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दूसरे की बात सुनने में ही सदन की मर्यादा है। मैं इसे ही ठीक समझता हूं। यह चीज अच्छी अनुकरणीय नहीं है कि इधर से जनसंघ के नेता खड़े हों, दूसरी तरफ से पी० एस० पी० के नेता खड़े हों और उसी प्रकार हमारी तरफ के लोग भी आपके बोलने में बाधा डालें। मैं आपकी इज्जत करता हूं और आपकी नेकनीयती पर शक नहीं करता, लेकिन जो यहां पर संसदीय प्रणाली है उसके अनुसार विधेयक पर विचार करने के लिये हम यहां पर जमा हुए हैं और इस विचार में दो मत हो सकते हैं।

मैं यह कह रहा था कि विधेयक के जो लक्ष्य हैं वह यह कि पहले तो हमें योजना के लिये धन प्राप्त करना है और दूसरा लक्ष्य है कि भूमिधरों को प्रोत्साहन देना। इस संबंध में विकल जी ने एक तर्क दिया कि किसानों की टैक्सेबिल कैपेसिटी नहीं है। जिले का जिक्र किया, दूध का जिक्र किया। मैं बधाई देता हूं उनको कि ३० फीसदी लोगों को ही उनके अनुसार दूध मिल जाता है। डाक्टर सीताराम की अध्यक्षता में गोसंवर्धन के सिलसिले में एक कमेटी मुकर्रर हुई थी और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हिन्दुस्तान का दूध का एवरेज कुछ तोले आता है। तो यह समस्या आज की नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिला बुलन्दशहर में, दादरी में, दनकौर में, दूध इकट्ठा होता है और वहां से दो हजार मन दूध दिल्ली जाता है जिसकी कीमत साल में डेढ़ करोड़ होती है। अभी कहा गया और कोई मिलटरी की रिपोर्ट पढ़ी गई कि यहां का कद गिर गया, यहां का सीना घट गया। पर मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे जिले बुलन्द शहर में अब भी पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भरती की संख्या सबसे ज्यादा है। वहां के लोगों का कद भी ५ फीट ६ इंच से ज्यादा होता है। डा० अहमद जो कि बड़े अर्थशास्त्री हैं और जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, उन्होंने इस सिलसिले में अर्ज किया कि योजनाओं में यहां बहुत-सी फिजूल खर्चियां हैं। जैसे मच्छर मारना आदि बंद किया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि आज से दस साल पहले इस देश के २० लाख लोग मलेरिया रोग से ग्रस्त होते थे जिसमें से २ लाख लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इस साल की रिपोर्ट भी निकल आई है, अब केवल ३ हजार लोग ही ग्रसित हुए हैं इस रोग से। आप यह भी देखें कि जहां आज से दस साल पहले हमारे देशवासी की औसत आयु ३२ साल थी। वह अब बढ़ कर साढ़े ४७ साल हो गई है। आज हमारी आयु तभी बढ़ी है जब कि हमारा जीवन-स्तर ऊंचा उठा है और मृत्यु संख्या घटी है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है "भारत दुर्दशा नाटक" उसमें मलेरिया रोग को हिन्दुस्तान में भेजने के लिये कहा गया था। आज उस सेनापति का पूरी तरह से बध कर दिया गया है। इस तरह से आप देखें कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है। यह कोई कम और थोड़ी बात नहीं है।

जहां बुलन्दशहर का जिक्र किया गया, वहां आप देखें कि १९३४ में जब माननीय टंडन जी और माननीय लाल बहादुर शास्त्री आदि की एग्रेरियन कमेटी बैठाई गई थी, उस वक्त क्या दशा थी य० पी० की और आज क्या दशा है। तो आप महान्तर पायेंगे। उस समय १९३७-३८ में मिनिस्ट्री का कई करोड़ रुपया बाकी था लगान का। जमीन हजारों एकड़ बेदखल होती चली जाती थी। एक-एक रुपये पर जमीन बेदखल होती थी। कोई जमीन का लेने वाला नहीं था। आज तो कहीं कोई जमीन बेदखल नहीं होती है। यह

[श्री बनारसीदास]

कहना कि किसानों की हालत नहीं सुधरी है और खराब है, यह कहां तक उचित है।

मैं अब कुछ अंश एग्रेरियन रिवोल्यूशन का पृष्ट ५० का पढ़ देना चाहता हू। श्री चरण सिंह जी कहते हैं—

"It was stated in the First Five-Year Plan and re-affirmed in the Second Plan that rate of rent exceeding one fourth or one fifth of the produce should be regarded as requiring special justification, and all rents should be brought down to that level. The level of rent or revenue payable to the State in Uttar Pradesh is however, much lower viz, Rs 2·4 per acse on the average in the case of a bhumidhar and Rs.5.4 in the case of a sirdar".

यह श्री चरणसिंह जी ने कहा कि यू० पी० का इन्सीडेन्स आफ रेव्येन्यू कोई ज्यादा नहीं है। किसान की गरीबी के बारे में इस तरफ से कोई मुगालता नहीं है और न दांत निकले हुए देखकर—जिन जीजा जी के दांतों को देखकर—माननीय नेकराम जी को तो मुगालता हो सकता है परन्तु हमको कोई मुगालता नहीं हैं। हम यह समझते हैं कि किसान की स्थिति के अन्दर कोई इतना अन्तर नहीं हो गया है कि जितना हम चाहते हैं। जिस वक्त मैं विरोधी पक्ष के लोगों के भाषण सुन रहा था मुझे ऐसा लगता था कि जनसंघ के आदेशों में, स्वतंत्र पार्टी के अन्दर बीसवीं सदी को छोड़कर चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदी उंडेलकर डाल दी गयी है। वह लड़ रहेहैं बीसवीं सदी के उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिये नहीं, बल्कि चौदहवीं सदी के उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिये। तो यह आदेश की लड़ाई है। इसलिये यह कहना कि बिल वापस किया जाय या कर नहीं लगाना चाहिये, इसमें किसी नैतिक बल की या साहस की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से अर्जुन के सामने एक समस्या थी, एक तरफ छात्र धर्म था और दूसरी तरफ परिवार का मोह, जिस तरह से शेक्सपीयर के डेनमार्क के प्रिंस हेमलेट के सामने एक दुविधा थी कि वह अपनी माता के प्रति कर्तव्य का पालन करे या राज्य के प्रति, तो इसी तरीके से हमारे नेता के सामने भी यह विकल्प और दुविधा थी। एक तरफ राजनीतिक स्वार्थ जिसकी वजह से हमारे दोस्त विकल जो और कुछ साथी काफी चिन्तित हैं, एक तरफ सन् ६७ के चुनावों की चिन्ता और दूसरी तरफ इस बात का विचार कि आइंदा आने वाली संतति, इतिहासकार हमारे लिये क्या कहेगा कि हमने डर करके प्रदेश के लिये कुछ भी नहीं किया। इसलिये श्रीमन्, हमने एक साहस के साथ फैसला किया कि हमारी पहली सीढ़ी जिसमें कि माननीय डा० अहमद, श्री गेंदासिंह और हममें से बहुत से लोग, श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह, जिनके राजनीतिक जीवन के २०–२५ साल बीत गये, उनकी जिन्दगी कमिटेड थी अपना खून बहाने और त्याग करने के लिये, नयी जनरेशन के लिये पसीना बहाकर अपने सरों के ऊपर भार लादने के लिये, तो श्रीमन्, यह परिस्थिति थी जिसमें कि हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया।

माननीय विकल जो और कुछ अन्य लोगों की धारणा है कि भूमिधर को इसमें बहुत नुक्सान हुआ और ज्यादा देना पड़ेगा। ५० गुना उसका वैलुएशन होगा और सीरदार का २० गुना होगा। सही बात यह है कि ठीक बिल को पढ़ा नहीं है। भूमिधर का अगर ५० गुना वैलुएशन होगा तो ६० प्रतिशत का उसमें रिबेट मिलेगा। तो अगर आज एक भूमिधर का लगान ढाई रुपया है तो वह बढ़कर पौने चार होगा ढाई के मुकाबले में जोकि ५ का आधा हुआ था। और सीरदार का ५ अगर है तो उसको भी ५ की जगह साढ़े सात रुपया देना होगा।

कहा जाता है कि यह बिल अनिश्चित है। स्पष्ट घोषणा की गयी कि ८ एकड़ तक के सारे काश्तकार माफ किये जायेंगे। यह कहना कि सीरदार लाभ में रहेंगे, भूमिधरों को नुक्सान होगा, तो सीरदारों के मुकाबले में आज भी भूमिधर का आधा होगा। तो इस बिल के अन्दर जैसी कि सरकार की नीति है, प्रोत्साहन दिया गया है भूमिधर बनने के लिये। एक तर्क यह दिया गया कि हमारी कोई आर्थिक तरक्की नहीं हुई। हमको कोई अधिकार नहीं है। जनता का विश्वास नहीं है। इस बिल को जनमत संग्रह के लिये भेजा जाना चाहिये। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि योजना तो स्वीकार है, लेकिन योजना चलाने के लिये इस बिल की आव-

क्षयकता नहीं है, एकोनामी की जा सकती है, प्लान को थोड़ा-सा कट किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि इस प्लान को काटने की जरूरत नहीं है, दूसरे साधन मोहइया किये जा सकते हैं। डाक्टर अहमद साहब ने शहर और देहात की भी बात कही। यहां शहर और देहात का सवाल नहीं है। यह भी कहा गया कि किसान की टैक्स देने की कैपेसिटी नहीं है, यह भी कहा गया कि ५ साल के अन्दर हमारे प्रदेश की आमदनी घटी है। तो श्रीमन्, जब आंकड़ों की बात कही जाती है, तो मुझे भी कुछ आंकड़े देने पड़ते हैं। महालनोविस एक कमेटी अभी केन्द्रीय सरकार ने मुकर्रर की थी यह जानने के लिये कि हिन्दुस्तान की आमदनी कहां गयी और क्या मालदार, मालदार होता गया है और गरीब, गरीब होता गया है। तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, यह ३० मार्च का ईस्टर्न एकोनामिस्ट है, देहली से पब्लिश होता है, इसमें उत्तर प्रदेश की आमदनी जिन लोगों की १९५५–५६ में १ रुपये से ५० रुपये तक थी रूरल एरिया में, उनकी संख्या ११.४३ थी, वह सन् १९६१–६२ में घटकर ७.४५ हो गयी, यानी पावर्टी लाइन ११ परसेंट से घटकर साढ़ेसात रह गयी। जिनकी आमदनी ५१ रुपये से १०० तक थी उनकी संख्या ३९.२२ से घटाकर २६ रह गयी, जिनकी १०० से २०० तक थी, वह ११ से बढ़ कर ४१ प्रतिशत हो गयी। २०० से ३०० तक की आमदनी वालों की संख्या ७ से बढ़ कर १८ हो गयी, जिनकी आमदनी ५०० तक थी, उनकी संख्या ०.५८ से बढ़कर साढ़े ४ परसेंट हो गयी, जिनकी ७०० रुपये तक थी वह ४.७४ से बढ़कर ६ हो गयी, १ हजार से ऊपर वालों की तादाद १ से बढ़ कर १.५ हो गयी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसको आप पावर्टी लाइन कहते हैं, उनकी संख्या ११ से घट कर साढ़े ७ रह गयी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।

श्री विकल जी ने कहा कि लोगों की हालत बहुत खराब है और गिरती चली जा रही है। आप अन्दाजा लगाइये कि सन् १९५१ में पर कैपिटा सीरिअल ११.५ औंस मिलता था वह १९६० के अन्दर १३.४ हो गया। सन् ६१ में हुई १३.८, यानी यू० पी० के प्रत्येक बाशिन्दे को २.३ औंस अधिक मिली। कोई बड़ा दावा तो नहीं है। सिर्फ इतना कहना है कि ११.५ से बढ़कर १३.८ पर आये। दाल मिला करती थी २ औंस और वह बढ़कर हो गई २.४। तो १० करोड़ की बढ़ी हुई आबादी पर इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है।

अब लोगों की पर्चेजिन्ग पावर को भी जरा देखा जाय। सन् ५० में हिन्दुस्तान के प्रत्येक बाशिन्दे का सालाना खर्च शुगर का था ७.५ पाउन्ड, ५९ में हुआ १० पौंड और ६१ के अन्दर १०.९ पौंड हो गया। चाय का खर्चा ७.१० औंस से बढ़कर ६१ में ९.६५ औंस हुआ। कौफी १.९७ से बढ़कर हुई ३.२५। बनास्पति .१५ से बढ़कर १.१० हुई। मिल मेड हैंडलूम पावर लूम सन् ५० में १४ गज से ६१ में १६ गज हुआ। कोल, यानी रोटी पकाने का डोमैस्टिक कोयला, ४३ में ९.३४ था और ६०–६१ में १३ पौंड हुआ। कैरोसीन आयल ३ पौन्ड के बजाय ८ पौंड है। बिजली १.१७ से बढ़कर ३.३३। कागज १.५२ से बढ़कर हुआ १.७८। साइकिलें १ लाख के पीछे सन् ४८ में थीं ९१ वे बढ़ कर २४५ हो गईं। सीने की मशीन जो कि १ लाख की आबादी पर २२ थीं, आज वे ७० हो गई। मोटर कार, कहते हैं कि बड़े मालदार हो गये लोग, सन् ४८ में १० लाख आदमियों के पीछे ५० थीं, जो आज घट कर ४८ रह गईं। रेडियो पहले ७२ थे, अब ६४३ हो गये सिगरेट १.६१ थी जो अब १.७४ हो गई। यह तमाम मुल्क का है।

डाक्टर अहमद साहेब ने कहा था कि .....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—सन् १९३९ और १९४२ के दर्मियान के भी आंकड़े पढ़ लें।

श्री बनारसीदास—१९३९ का वह जमाना है जबकि लोक-युद्ध हो रहा था और बंगाल में ४३ लाख आदमी मरे। उसकी चर्चा न कीजिये। वह अकाल का जमाना था।

श्री बलराम सिंह---इन आंकड़ों से तो बड़ी खुशहाली मालूम पड़ रही है, सूबे में खास तौर से । लेकिन एरल इनकम पर-कैपिटा पहले से बढ़ी है या गिरी है ? नम्बर १, और नम्बर २ यह कि कृषि की एवरेज ईल्ड इस सूबे में बढ़ी है या गिरी है ?

श्री बनारसीदास---माननीय अहमद साहेब ने कहा था कि या तो इस विभाग को खत्म कर दिया जाय या इनके आंकड़ों को गलत माना जाय। जिस पर हमारे कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता और सब लोगों को यकीन है, उस हमारे स्टैटिस्टीकल आर्गेनाइजेशन को ये फीगर्स हैं । तमाम हिन्दुस्तान के लिये मैं। पावरटी लाइन मदरास की सबसे ज्यादा है, ३४ प्रतिशत है । बिहार से भी हमारे यहां ज्यादा है, उड़ीसा से ज्यादा है, आसाम, पंजाब जरूर हमसे खुशकिस्मत हैं, वेस्ट बंगाल भी हमसे पीछे है ।

हमें अब देखना है कि ५ साल में आमदनी घटी है या बढ़ी है। इस बीच में देखना यह भी है कि हमारी आबादी १ करोड़ बढ़ गयी है देहात की। मैं केवल बहस के लिये माने लेता हूं कि हमारे देहात की आमदनी १९० पर कैपिटा थी वह उतनी ही है, लेकिन वह साढ़े पांच करोड़ की आमदनी का औसत था, लेकिन अब जो औसत है वह साढ़े छ करोड़ का है । मान लीजिये दो रुपया प्रति व्यक्ति कम हो गयी, हालांकि वह इस साल ज्यादा है, फिर भी जो १ करोड़ नए व्यक्ति आ गये उनको एक्स्ट्रा आमदनी हुई है। इस प्रकार से ३३६ करोड़ की आमदनी हमारी बढ़ी है । यद्यपि इसको हम सेटिसफेक्ट्री नहीं मानते हैं फिर भी मैं माननीय गेंदासिंह जी, झारखंडे राय जी और चन्द्रजीत जी से कहना चाहता हूं, जो पूर्वी जिलों से आते हैं, कि पूर्वी जिलों में उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो खेती पर निर्भर करते हैं । श्री चरणसिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि देवरिया के प्रति व्यक्ति के पीछे २.६० एकड़ जमीन है, मेरठ में २.५९ एकड़, मेरठ की पापूलेशन ज्यादा है । देवरिया गरीब इसलिये है कि उसके ८७ प्रतिशत लोग खेती करते हैं, बहराइच में ८४ प्रतिशत, बस्ती में ८४ प्रतिशत । मेरठ के मुकाबले में बस्ती में जमीन ज्यादा है, अलीगढ़ के मुकाबले में ज्यादा है, बुलन्दशहर से ज्यादा है, फिर वह गरीब क्यों है ? उसका कारण यह है कि मेरठ में ४३.२६ प्रतिशत लोग खेती करते हैं, मुजफ्फरनगर में ४५.५३ प्रतिशत लोग खेती करते हैं, बिजनौर में ४७.६५ प्रतिशत, बुलन्दशहर में ५६.९५ प्रतिशत लोग खेती करते हैं । यह माना हुआ सिद्धान्त है सारे संसार में कि जिस देश में किसानों की तादाद ज्यादा होगी वह गरीब होगा, वह गरीबी का इन्डेक्स है । फिर आपके देहात की आबादी हर साल १७ लाख बढ़ जाती है । आज देवरिया में ८७ प्रतिशत काश्तकार हैं वे ५ साल बाद बढ़ कर ९५ प्रतिशत हो जायेंगे । आजमगढ़ में आज प्रत्येक परिवार के पास ३.३४ एकड़ है जो ५ साल के बाद २.५५ एकड़ ही रह जायगी। अब सोचिए आज से ५ साल के बाद क्या हालत होगी ? इससे तो जमीन के ऊपर और भी ज्यादा भार बढ़ेगा ।

अभी विकल जी ने कहा कि मोदी और बड़ा हो गया है। यद्यपि मैं पूंजीपतियों का समर्थक नहीं हूं मैं चाहता हूं कि पूंजीवाद समाप्त हो, लेकिन एक्सपेंडिंग एकोनामी में हर जगह इन्डस्ट्रिलाईजेशन का स्थान होता है । दिल्ली से मेरठ को जो सड़क जाती है उसके आसपास आज से ३२ साल पहले वीरान था आज वहीं १० हजार मजदूर उसी पूंजीवाद की वजह से काम कर रहा है और मेरठ की काफी आबादी उसमें लगी हुई है । अगर यह न होता तो वह भी देवरिया और बस्ती की तरह से गरीब होता और अगर पहले वहां १०० आदमी खेती पर काम करते थे तो आज घट कर ४३ रह गये हैं । श्रीमन्, एक चीज मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस नियोजन के प्रति जो मिशनरी दृष्टि नहीं रखते हैं तो इसमें उन का कोई दोष नहीं है । कुछ आदमी इस चीज को बड़े शर्म के साथ, दुख के साथ पूरी तरह से अहसास करते हैं कि हमारा मंजिल बहुत दूर है । कौन इस बात को नहीं जानता कि किन विषम परिस्थितियों के अन्दर हमने इस सूबे का भार सम्भाला है । इस चीज को यहां बार बार बतलाया गया है कि यहां कोलम्बस की जरूरत नहीं है, जिससे नयी दुनिया का अविष्कार हो, यू० पी० के अन्दर गरीबी है, यहां स्टीवेंसन की जरूरत नहीं है । किसानों की गरीबी के साथ खिलवाड़

करना किसानों का अपमान करना है । जो राष्ट्र उठा करते हैं, राष्ट्रों का जब निर्माण हुआ करता है तो उसका एक दृष्टिकोण होता है । हमारे माननीय भानुप्रताप सिंह जी बड़े ही योग्य व्यक्ति ह, उनका मैं आदर करता हूं, उन्होंने उस दिन गांधी जी का नाम लिया, लेकिन मैं उनके साथ हमदर्दी रखता हूं कि उनके जैसे प्रशिक्षित नौजवान उस विचारधारा का शिकार हो जो हमें ले जाना चाहती है चौदहवीं सदी की तरफ । उन्होंने कहा—मैं उत्तर चाहता हूं कि ५०२ करोड़ के बजट में से ५६ करोड़ शहरों के लिये और उसी के अनुपात में २२७ करोड़ देहातों के लिये, यह अन्तर क्यों है ? यह भ्रमात्मक है । आज कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद को देखें जहां लैंड पर कम प्रेसर हो गया है अरबनाइजेशन की तरफ लोगों का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है । गोरखपुर के अन्दर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनने वाली है, वहां देहात की जमीन पर भी प्रेशर कम हो जायगा । अगर संसार के इतिहास को देखा जाय तो मैं बताऊं कि संसार के करीब २३ मुल्कों के आंकड़े को देखा जाय तो उसमें केवल जापान ही एक ऐसा मुल्क है जहां १०० में ५५ आदमी खेती के अलावा अन्य काम में लगे हुए हैं, वरना इंगलैंड में ५ प्रतिशत, नीदर लैंड में ८० प्रतिशत, नार्वे में ७४ प्रतिशत, फ्रांस में ७२ प्रतिशत, यू० एस० एस० आर० में ५३ प्रतिशत और इंडिया के अन्दर ७४ प्रतिशत आदमी खेती में लगे हुए हैं । श्रीमन्, अमेरिका में और यरोप के देशों में, जैसे नीदर लैंड में जापान के अनुपात में जमीन कम है, लेकिन वहां किसानों की संख्या घटी है । जिस अनुपात में वह संख्या घटी है, उसी मात्रा में मुल्क मालदार हुआ । तो क्या समस्या हमारे सामने है ? आप जरा अन्दाजा लगायें कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी आबादी में एक करोड़ ६ लाख का इजाफा हुआ है और अगले ५ साल में ८८ लाख का इजाफा होगा और उसके अगले ५ साल में वह वृद्धि बढ़ करके करीब ९७ मिलियन हो जायगी । यानी हमारी आबादी १९६७ के अन्दर करीब साढ़े ८ करोड़ हो जायगी और अगली पंचवर्षीय योजना में करीब ९ करोड़ और उसके बाद १० करोड़ हो जायगी और तमाम मुल्कों ने निश्चय किया है कि १९७७ तक प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी हो जानी चाहिये ५३० रुपये और जो क्रमशः बढ़ती चली जायगी । तो श्रीमन्, पता नहीं ५ साल के बाद इस सूबे का क्या हाल होगा और जब १९७७ तक यहां की आबादी १० करोड़ हो जायगी तब तक कितना बड़ा भार इस पृथ्वी पर बढ़ जायगा । जब आदमी मच्छरों और बिल्लियों की तरह से मरेंगे तो जमीन को जोतने वाला कोई नहीं होगा, यह एक बड़ी समस्या हमारे सामने है ।

हम आज समझते हैं और आज का नारा है कि प्लान और पेरिश । आज यह कहा जाता है कि या तो योजनाओं को सफल बनाओ या मिट जाओ । आज यह कहा जाता है कि दुनिया के कुछ देशों ने नियोजन नहीं किया और वहां भी आय बढ़ी है । अब प्रश्न यह है कि नियोजन कब होता है ? वह तब होता है जबकि देश के साधन सीमित होते हैं, जबकि करने के लिये बहुत से काम होते हैं और उन में हमें प्रायटी देनी होती है जिसे कहते हैं कि 'टेप आफ एकोनामी' जैसे कि हवाई जहाज जब उड़ान लेता है तो पहले वह धीरे–धीरे जमीन से उठता है और बाद में वह ऊपर पूरे फोर्स में आता है । हमारे यहां पर केपिटा आय ३ बढ़ी, यू० के० में ढाई प्रतिशत, स्वीटजरलैंड में ३.३ प्रतिशता केनाडा ३.९ प्रतिशत और वेस्ट जर्मनी में ५ बढ़ी, यह सब विकसित देश हैं, यू० के० की भी ३.३ बढ़ती है सालाना आय । ईरान के बारे में कहा गया, लेकिन वहां पर तेल के चश्मे हैं जिन से आय बढ़ जाती है और इसी तरह से बरमा का नाम लिया गया वहां पर ६ बढ़ी है, वहां पर भी तेलका भंडार है । तो आबादी कम है । किसी देश की आबजेक्टिव स्थिति पर वहां की आय निर्भर करती है । तो यह मिसाल देना कि हर जगह इंफलुएंजा का इन्जेक्शन दिया जाय, सब चीज़ का एक ही इलाज ठीक न होगा, हर जगह की स्थिति दूसरी होती है । हमारी आबादी ज्यादा है, हम ऐसे वक्त में आजाद हुये जबकि संसार के देश आगे जा चुके हैं । कहा जाता है कि अमरीका का और दूसरे देशों का का विकास हो गया । वहां पर कालोनियल एक्सप्लायटेशन को आधार बनाया गया, इंगलैंड के लोग आस्ट्रेलिया में जाकर बस गये, नई दुनिया अमरीका की खोज के बाद वहां के लोगों को वहां ले जा कर बसाया गया, लेकिन हमारे सामने कौन सा चारा है ?

[श्री बनारसीदास]

हम अपनी बढ़ती आबादी को कहां ले जायं, कहां हम अपनी दस करोड़ आबादी को भेज दें। माननीय विकल जी ने कहा कि अपने निन्दक को पास में रखना चाहिये। मैं उनका आदर करता हूं। हमने भी वह जमाना देखा है जबकि नमक के कानून को तोड़ा जाता था और त्याग और तपस्या की जरूरत थी, उस समय हमारा प्रगतिशील जिला था कि जहां मिसरिख के क्षेत्र में ४० में से केवल ७ ही सदस्य कामयाब हुये थे और यू० पी० के ५२ जिलों में केवल मेरठ ही एक ऐसा जिला उस वक्त था जहां कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। वह भी समय था जब इलाहाबाद नगरपालिका के पंडित जवाहर लाल अध्यक्ष बने और उनको स्तीफा देना पड़ा, माननीय टंडन जी को भी हटना पड़ा और माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त जी देश के और प्रदेश के निर्माता थे वह भी जब मान्टेगू चेम्सफोर्ड रिफार्म्स आये तो उनको भी पराजित हो जाना पड़ा पहाड़ से। जब कौंसिल बनी तो पहले १९ सदस्य चुने गये, लेकिन बाद में एक ही बचा, लेकिन इन असफलताओं से भी जन आन्दोलन कम नहीं हुआ।

आज जनमत की बात कही जाती है। जिस वक्त अमरीका में विलियम गैरिजन ने इमैंसिपेशन अखबार निकाला तो उसमें कहा था कि

"I shall be as harsh as you. I shall be as uncompromising as justice".

उसको पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बन्द कर दिया क्योंकि वहां का उस वक्त का जनमत चाहता था कि गुलामी की प्रथा को जारी रखा जाय और मिटाया न जाय। क्या वह उस वक्त गलती पर थे? वहां के राष्ट्रपति शहीद हो गये, लेकिन आखिर में गुलामी की प्रथा का नाश हुआ।

फिलाडेलफिया के वह गुलाम जिनको मुक्ति दी गई वे रोते थे, कहते थे कहां जायं। तो जनमत गुलामों के खिलाफ था। जिस समय मोहम्मद साहब ने हिजरत की थी तो अरब की जनता क्या उनके हक में थी? जिस समय सोक्रेटीज ने जहर का प्याला पिया था तो यह कहता था कि जनमत उसके खिलाफ है। जीसस के लिये जब यह कहा जाता था कि यह देश की जनता के लोगों के दिमाग को सोफिस्टीकेट करते हैं तो क्या जनमत उनके साथ था? जब सती प्रथा मिटायी गयी तब क्या जनमत चाहता था कि वह प्रथा मिटायी जाय? जब गांधी जी मंदिरों के प्रवेश के लिये चले तो क्या उनको काले झंडे नहीं दिखाये गये? जिस समय अम्बेदकर जी के साथ फैसला किया गया हरिजनों का संरक्षण किया जाय, देश उसे क्या चाहता था? गांधी जी ने कहा है सन्सार की बड़ी-बड़ी क्रांतियां मायनारिटी के द्वारा की गई हैं वह दिव्य चक्षु से ५० साल आगे की ओर देखती हैं। महर्षि दयानन्द को ज़हर दिया गया क्योंकि वह सामाजिक क्रांति करना चाहते थे, राजनीतिक क्रांति से सामाजिक क्रांति कठिन होती है। हमने २६ जनवरी, १९३० को प्रतिज्ञा की थी कि इस देश का आर्थिक नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पतन अंग्रेजों ने किया है उसको मिटायेंगे। एक प्रतिज्ञा पूरी हुई सियासी आजादी हमने प्राप्त की, लेकिन और प्रतिज्ञायें बाकी हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी की। यह अंग्रेजों का उजाड़ा हुआ मुल्क है जो सदियों तक गुलाम रहा है। माननीय झारखंडेराय रमेशचन्द्र दत्त की किताब पढ़ें, "फेमीन्स इन इंडिया।" करोड़ों आदमी यहां अकाल से मरे। हमें दुख है कि १५ साल के अन्दर देश को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके, लेकिन खुशी इस बात की है कि इन सालों के अन्दर हमारे देश में कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा।

श्री अध्यक्ष--अब आप कल बोलियेगा।

राज्य मद्य निषेध बोर्ड के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--मुझे एक सूचना यह देनी है कि राज्य मद्य निषेध बोर्ड के लिये ४ सदस्यों का निर्वाचन होगा। उसके लिये जो कार्यक्रम निश्चय किया गया है वह इस प्रकार से है--

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय १९ अक्तूबर, १९६२, सायंकाल

५ बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा, २० अक्तूबर १९६२ को १२ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में।) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय २५ अक्तूबर, १९६२ को सायंकाल ५ बजे तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

जन संघ के प्रदर्शनकारियों द्वारा सदस्यों के सदन में आने पर रुकावट डालने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—इसके अतिरिक्त, मुझे बहुत ही खेद से, दो सूचनायें इस आदरणीय सदन के सामने रखनी हैं। जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूं कि जहां किसी को भी अधिकार है कि वह किसी प्रकार का प्रदर्शन, आन्दोलन, प्रचार और प्रसार जिस तरह से चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके प्रचार और प्रसार और आन्दोलन में किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण होता है तो मैं समझता हूं कि यह सदन इसको सहन नहीं करेगा।

मेरे पास श्रीमती सियादुलारी का एक पत्र आया है, अभी मुझे उन्होंने करीब ४ और सवा ४ के बीच में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है,

"विधान सभा में आने वाले बाहर के गेटों पर जनसंघ के लोगों ने धरना धर रखा है और सदस्यों को अन्दर नहीं आने देते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाएं उनका धक्का खाकर अन्दर नहीं आ सकतीं। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे आने में बड़ी दिक्कत हुई। दो माननीय सदस्यों की सहायता से मैं मुश्किल से अन्दर आ सकी। पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। कृपया सदस्यों के आवागमन की सुविधा के लिये आप समुचित प्रबन्ध कराने का कष्ट करें।"

इसके समर्थन में श्री रामलाल चतुर्वेदी ने भी लिखा है, "आपका ध्यान विधान सभा के मुख्य द्वार पर जन संघ के स्वयं सेवकों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो इस समय रास्ता रोके खड़े हुये हैं। आने जाने का रास्ता बन्द है। पुलिस कोई व्यवस्था नहीं कर रही है।

आपका ध्यान विधान भवन के मुख्य द्वार पर जनसंघ के स्वयं सेवकों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो इस समय रास्ते रोके खड़े हैं। आने–जाने का रास्ता बन्द है। पुलिस कोई व्यदस्था नहीं कर रही है। मुझे, श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल तथा श्रीमती सिया दुलारी, एम० एल० ए० को पकड़ कर रोका था, तथा आधा घंटा तक हाथा पाई की। इस तरह हम लोगों के अधिकार में बाधा डालने का प्रश्न है। तत्काल इसकी व्यवस्थाकरें।"

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—मेरे साथ भी यही बर्ताव हुआ। मुझे भी नहीं आने दिया और मुझे पीछे के गेट से आना पड़ा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे साथ श्री रामलाल तथा श्रीमती सियादुलारी आ रही थीं। मैं भी बड़ी मुश्किल से आ सका।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—हाथ जोड़ने के माने अगर किसी को पकड़ कर रोकना होता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

एक सदस्य—मुझे भी यह कहना है कि जब सेशन एक बजे बन्द हुआ तो अपने मैं कमरे में जा रहा था। गेट पर मुझे भी ३० मिनट तक हाथा–पाई करनी पड़ी तब मैं वापस आ सका।

श्री अध्यक्ष—जिस प्रकार का कल बाहर प्रदर्शन हो रहा था और पिकेटिंग हो रही थी उसको देखकर मैंने बनारसीदास जी से निवेदन किया कि अगर इस प्रकार की पिकेटिंग

[श्री अध्यक्ष]

होती है तो उनको गिरफ्तार न किया जाय और यह मैं कुंवर श्रीपाल सिंह जी की सूचना के लिये कह रहा हूं। अगर किसी से प्रार्थना की जाय तो वह माने या न माने। माननीय सिया दुलारी जी ने मुझसे आकर यह कहा कि उनसे कहा यह गया कि वह अन्दर नहीं जा सकतीं। उन्होंने कहा कि वे कौन होते हैं तो इसपर उन्होंने कहा कि वे उनको इस शर्त पर जाने देंगे कि अन्दर जा कर वह इस विधेयक का विरोध करें। इस पर उन्होंने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है जो हमारे मन में है वह हम करेंगे। तो यह विनम्रतापूर्वक करना नहीं है। अतः मैं फिर यह घोषणा करता हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, अगर हमारे माननीय सदस्यों को अन्दर आने में किसी प्रकार की बाधा होगी तो मैं स्वयं अपने अधिकार से पुलिस से कहूंगा कि हमारे सदस्यों को आने-जाने के लिये पूरी सुविधा, इस सदन के अन्दर आने के लिये मिलनी चाहिये चाहे वे विरोधी पक्ष के हों या कांग्रेसी पक्ष के हों।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के १०½ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१६ अक्तूबर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५४ पर]

फैजाबाद जिले के ठेकेदारों के नाम

१—भरवेरुराम, श्री
२—रामनरेश, श्री
३—राम दुलारे, श्री
४—राम जगत राम आरत सिंह, श्री
५—राम आसरे राम दुलारे सिंह, श्री
६—जंग बहादुरसिंह, श्री
७—राम फैरसिंह, श्री
८—अनवारुल हक, श्री
९—प्रभू नाथ, श्री
१०—जै सिंह, श्री
११—जमना प्रसाद, श्री
१२—कलपनाथ, श्री
१३—रफाकत हुसैन, श्री
१४—राम अवध विश्वकर्मा, श्री
१५—बब्बन सिंह, श्री
१६—महाबीर प्रसाद, श्री
१७—जुग्गू, श्री
१८—राम अवध, श्री
१९—चन्द्र विजय सिंह, श्री
२०—राज देव सिंह, श्री
२१—राम कृपाल मिश्र, श्री
२२—उदय भान सिंह, श्री
२३—रफाकत हुसैन जग्गू, श्री
२४—अनवारुल हक कलपनाथ, श्री
२५—भगौती प्रसाद, श्री
२६—राम आसरे, श्री
२७—इन्द्रजीत सिंह, श्री
२८—राम शंकर, श्री
२९—राम दुलारे सिंह, श्री
३०—राम सिंगार, श्री
३१—टीढ़ी राम, श्री
३२—जसराज सिंह, श्री
३३—राम आसरे शर्मा, श्री
३४—टैडन इलेक्ट्रक वर्क्स,श्री
३५—रामहीत तिवारी, श्री
३६—शवीन अहमद, श्री
३७—कृष्ण दत्त मिश्रा, श्री
३८—लालजी सिंह, श्री
३९—राम फूल, श्री
४०—राम प्रताप, श्री
४१—चिन्ता राम, श्री
४२—राम देव, श्री
४३—कविमय त्रिपाठी, श्री
४४—सुमिरन, श्री
४५—राम जगत, श्री
४६—राजा राम, श्री
४७—मोती लाल, श्री
४८—बुधराम, श्री
४९—सगीर असरगीर, श्री
५०—राम लाल वरमा, श्री
५१—बिहारी लाल, श्री
५२—श्याम दास मिश्रा, श्री।

जिला बुलन्दशहर के ठेकेदारों के नाम

१—डोरी लाल, श्री
२—राम प्रसाद, श्री।

जिला आजमगढ़ के ठेकेदारों के नाम

१—देवतासिंह, श्री
२—राज नरायन सिंह, श्री
३—राम अंजोर, श्री
४—बुधी राम, श्री।

जिला सहारनपुर के ठेकेदारों के नाम

१—भारत भूषण, श्री।

जिला बहराइच के ठेकेदारों के नाम

१—रमेश चन्द्र, श्री।

जिला वाराणसी के ठेकेदारों के नाम

१—काशीनाथ, श्री।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५९ पर]

क्रम-संख्या	पद का नाम	जिस पद पर पदोन्नति हो सकती है	पदोन्नत से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशत	रिमार्क
१	२	३	४	५
१	जेनरल क्लर्क (आफिस असिस्टेंट ग्रेड १)	१–जूनियर स्टेशन इंचार्ज	परसेंट १०	अयोग्य को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर।
		२–एफाउटेंट	७५	लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर।
		३–हेड क्लर्क (सामान्य प्रबन्धक के कार्यालय में।)	१००	स्टेनोग्राफर की सम्मिलित ज्येष्ठता के अनुसार अयोग्य को छोड़कर।
२	आफिस असिस्टेंटग्रेड २	जेनरल क्लर्क	२०	लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर।
३	जूनियर बुकिंग क्लर्क	१–जेनरल क्लर्क	३०	,, ,, ,, ,,
		२–असिस्टेंट स्टोर कीपर	५०	अयोग्य को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर।
		३–असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर।	२०	,, ,, ,, ,,
४	बुकिंग क्लर्क	असिस्टेंट कैशियर	१००	,, ,, ,, ,, (योग्य व्यक्ति के अभाव में सीधी भरती भी की जा सकती है।)
५	कन्डक्टर	असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर	४०	अयोग्य को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६३ पर)

रकबा जो कट गया एकड़ में

नाम ग्राम	गांव का कुल रकबा एकड़ में	१३६७ फ०	१३६८फ०	१३६९ फ०	कुल रकबा जो कटा
१	२	३	४	५	६
१–गुनरखिया	११०	..	..	१०६	१०६
२–भौवापार	१६७	..	११२	५५	१६७
३–ढोलवजा	६५	..	२४	४१	६५
४–पंडरो	१३८	११४	२४	..	१३८
५–मिश्रौलिया	१०१	७९	..	२२	१०१
६–चकदहा	८८	..	६	८२	८८
७–सुबरहा	१३५	..	..	३८	३८
८–धमैचा	३७०	४१	३१	१३०	२०२
९–गायघाट	८९५	४९४	..	२	४९६
१०–दौलतपुर	२,००५	१०३	४५	४५	१९३
११–कटहां	२९३	..	..	२७	२७
१२–भिखारीपुर	६००	१७६	..	..	*१३

*इस ग्राम का १७६ एकड़ पिछले साल कट गया था पर अब नदी के रुख बदलने से जमीन वापस आ गई है और केवल १३ एकड़ ही पानी में है।

सिंचाई मन्त्री ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३–२४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६६ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	वर्ष	मन्त्री का नाम	जिला का नाम	स्थान का नाम	रोपित वृक्षों की संख्या	जीवित वृक्षों की संख्या	वृक्षारोपण के बाद मन्त्री महोदय उन्हें देखने गये अथवा नहीं
१	२	३	४	५	६	७	८
१	१९६०–६१	श्रीमती सुचेता कृपालानी ..	.. सहारनपुर	खलरी	१	१	..
२	१९५९ ..	श्री अली जहीर ..	.. लखनऊ	गोसाईगंज (टाउन एरिया)	७६	४४	..
३	१९६१ ..	श्री चन्द्रभानु गुप्त ..	.. लखनऊ	भरतपुर (मुंजासा)	३००	२७५	..
४	,,	,,	,,	सर्वोदय विद्यालय गोसाईगंज	१०	५	..
५	१९६१ ..	श्रीमती सुचेता कृपालानी	.. बस्ती ..	भदेश्वरनाथ मार्ग पर २ मील तथा ग्राम सभा भदेश्वर नाथ में ५ एकड़ की बंजर भूमि पर।	७२८	५१३	.. सभा सचिव श्री बंशीधर पांडेय, श्रम एवं पंचायती राज द्वारा दिनांक २६–७–६२ को निरीक्षण हुआ।

६	१९६० ..	श्री कमला पति त्रिपाठी ..	..	मथुरा ..	वन उद्यान ब्लाक ..	१	१	..	
७	१९६१-६२	श्री अलगू राय शास्त्री ..	..	आजमगढ़	गंभीरवन .	५	५	श्री शास्त्री जी दिनांक	
८	१९६१-६२				परपहा ..	२	..	९-९-६१, २०-१०-६१ तथा २-१-६२ को देखने गये।	
९	१९६१-६२	श्री चतुर्भुज शर्मा ..	..	जालौन (उरई)	कैथेरी] ..	२५	२	..	
१०	१९५९ ..	डा० सम्पूर्णानन्द ..	..	मुजफ्फरनगर	शुक्करताल ..	२	२	..	
११	१९६० ..	श्री दीन दयाल शास्त्री ..	..	,,	इन्टर कालेज, कांदला	१	१	..	
१२	१९६० ..	श्री महावीर प्रसाद शुक्ल	..	,,	,,	१	१	..	
१३	१९६० ..	श्री वीरेन्द्र वर्मा ..	..	,,	,,	१	१	..	
१४	१९६१ ..	श्री राम स्वरूप यादव ..	..	,,	,,	१	१	..	
१५	१९६१ ..	,, ..	..	मुजफ्फरनगर	नेशनल इन्टर कालेज कांधला।	१	१	..	
१६	१९६१ ..	,, ..	..	..	,, जे० टी० सी० स्कूल, वभरा।	१	..	..	
		,,	..	..	,, ,,		१	..	
१७	१९६१ ..	श्री चरण सिंह ..	..	..	,, ,,	१	१		
						..		..	
१८	१९६१ ..	श्री अलगू राय शास्त्री ..	..	..	,, ,,	१	१	..	
१९	१९६१ ..	श्री जुगुल किशोर ..	..	..	,, के० के० इन्टर कालेज	१	..	..	
						..	१	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	वर्ष	मन्त्री का नाम	जिला का नाम	स्थान का नाम	रोपित वृक्षों की संख्या	जीवित वृक्षों की संख्या	वृक्षारोपण के बाद मन्त्री महोदय उन्हें देखने गये अथवा नहीं
१	२	३	४	५	६	७	८
२०	१९६० ..	श्री जगमोहन नेगी ..	.. पौड़ी-गढ़वाल	गढ़वाल कलेक्ट्रेट ..	१	१	२३–६–६२ को देखने गये।
२१	१९६१–६२	श्री मलखान सिंह ..	.. अलीगढ़	कन्या गुरुकुल सासनी	१	१	..
२२	१९६१ ..	श्री मंगला प्रसाद ..	.. गोंडा ..	मनकापुर क्षेत्र विकास के सामने।	३०	२२	..
						१	
२३	१९६१ ..	श्री अलगू राय शास्त्री ..	.. आजमगढ़	बछवल काशी ..	३		
		" ..	.. "	टड़वा मोहम्मद गोहाना क्षेत्र।	५२१	४९७	२०–११–६१, देखने गये।
२४	१९६१ ..	" ..	.. "	"			..
२५	१९६१–६२	" ..	.. "	सिमरही ..	१		..
२६	१९६१ ..	" ..	.. "	गुलवा ..	५४	४८	२०–१०–६१, २४–७–६२ को देखने गये।
				कुल योग ..	१,७७०	कुल १,४२६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७२ पर)

तालिका 'क'

गोरखपुर जिले की सदर व बांसगांव तहसीलों में खरीफ १९६१–६२ में विभिन्न फसलों पर क्रापकटिंग प्रयोगों के लिये चने गये बाढ़-पीड़ित गांवों के नाम तथा इन गांवों में चुने गये खेतों में बनाये गये प्लाट (३३ भुजा का समत्रिबाहु त्रिभुजाकार प्लाट) की वास्तविक उपज ।

तहसील का नाम	गांव का नाम	धान क्वारी (बिना सुखाया हुआ धान)				धान अगहनी (बिना सुखाया हुआ धान)				मक्का (बिना सुखाये हुए भुट्टे)			
		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट	
		सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक
सदर ..	शिकारगढ़	०	०	०	०	०	०	०	०	५	१३	४	१५
,, ..	राजधानी	५	०	७	४	..	..	..	..	६	५	५	१५
बांसगांव ..	जगरनाथपुर	२	२	०	०	..	..	..	..	०	०	०	०
,, ..	नगवा ..	५	८–१/२	२	१५	..	..	..	..	५	२	०	०
,, ..	रामगढ़ ..	४	०	५	१३	..	..	..	..	०	०	०	०
,, ..	पुष्कारखुर्द	११	९	१३	९	..	..	..	..	०	०	०	०
,, ..	धुरिया दिह	६	१५	७	१०	..	..	..	..	..	०	०	०

टिप्पणी:—(१) सूचित करता है कि गांव फसल विशेष के लिये क्राप कटिंग प्रयोगों के लिये नहीं चुना गया था।
(२) जिस प्लाट में उपज शून्य (०) लिखी गई है, उससे यह तात्पर्य है कि प्लाट में फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी और कोई भी उपज नहीं हुई।

तालिका 'ख'

गोरखपुर जिले की सदर व बांसगांव तहसीलों में रबी १९६१–६२ में विभिन्न फसलों पर क्राप कटिंग प्रयोगों के लिये चुने गये बाढ़ पीड़ित गांव के नाम तथा इन गांवों में चुने गये खेतों में बनाये गये प्लाट (३३ फीट समत्रिबाहु त्रिभुजाकार प्लाट) की वास्तविक उपज ।

तहसील का नाम	गांव का नाम	गेहूं (बिना सुखाया हुआ)				जौ (बिना सुखाया हुआ)				चना (बिना सुखायाहुआ)			
		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट	
		सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक
सदर ..	रामपुर नया गांव ।	४	६ १/२	५	३ १/२	४	८ १/२	३	१३	..	..	..	..
,, ..	कोठा ..	..	..	..	..	३	५	३	२	२	५	५	६
,, ..	दुबौली ..	१२	१	१०	५	११	८	१०	१२	१०	२	१०	६
बांसगांव ..	कुडवा ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
,, ..	गिरधरपुर दुबे ।	..	..	..	..	१२	६	२	९	..	..	..	..
,, ..	नवा चक	..	..	..	..	६	६	३	८	..	..	..	..
,, ..	मझवालीया खास ।	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
,, ..	छपिया ..	..	..	..	..	१४	१४–१/२	..	१ १/२	..	..	..	..
,, ..	पुर ..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	७	१	९–१/२

टिप्पणी (१) सूचित करता है कि गांव फसल विशेष के लिये क्राप कटिंग प्रयोगों के लिये नहीं चुना गया था ।

तहसील का नाम	गांव का नाम	अरहर (बिना सुखायी हुई फली)				अलसी (बिना सुखाया आ दाना)				मटर (बिना सुखाया हुआ)			
		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट		पहला प्लाट		दूसरा प्लाट	
		सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक	सेर	छटांक
सदर ..	रामपुर नया गांव।	..	..	..	..	..	..	..	..	३	१४	३	२
,, ..	कोठा ..	..	..	..	..	..	..	..	..	३	१०	२	२
,, ..	दुबौली ..	१२	१	१०	८	१	१	१ १/२	१–१/२	१३	४	१३	८
बांसगांव ..	कुडवा ..	..	..	..	..	..	..	..	..	३	२	६	१३
,, ..	गिरधरपुर दुबे।	३	१२	४	१३	..	..	..	..	२	६	३	९
,, ..	नवा चक	..	..	..	..	..	..	..	..	६	..	४	८
,, ..	मझवालीया खास।	..	..	..	..	..	..	..	..	५	२	९	६
,, ..	छपिया ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
,, ..	पुर ..	..	..	..	..	..	..	..	..	७	६–१/२	५	४

टिप्पणी:—(१) सूचित करता है कि गांव फसल विशेष के लिये क्राप कटिंग प्रयोगों के लिये नहीं चुना गया था।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७२ पर)

रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर, कानपुर के कार्यालय के कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	नाम	पद नाम	तैनाती की तिथि	टीका
१	२	३	४	५
१	श्री अनूप सिंह गुप्त	.. प्रधान लिपिक ..	२१–८–१९५९	
२	,, राम निवास श्रीवास्तव	.. आशुलिपिक ..	१३–८–१९५७	
३	,, विश्वनाथ अरोरा	.. रोकड़िया ..	१९–५–१९६०	
४	,, ओम प्रकाश श्रीवास्तव	.. लेखपाल ..	१–७–१९५७	
५	,, जय राम सिंह	.. सहायक रोकड़िया	३०–१२–१९५७	
६	,, सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	.. टंकक ..	८–१०–१९६०	
७	,, शिव शंकर सक्सेना	.. वरिष्ठ लिपिक	४–६–१९५७	
८	,, गया सिंह चौहान	.. ,, ..	९–९–१९६०	
९	,, कृष्ण नारायण सरीन	.. कनिष्ठ लिपिक	५–१–१९६२	
१०	,, मोती लाल श्रीवास्तव	.. ,,	१२–६–१९५९	
११	,, कुंज बिहारी सिंह	.. ,,	२४–५–१९५९	
१२	,, हर प्रसाद कौशल	.. ,,	२८–५–१९५७	
१३	,, राम भरोसे चौधरी	.. ,,	२८–८–१९६१	
१४	,, विदुर नाथ चतुर्वेदी	.. ,,	१–७–१९६०	
१५	,, रमेश चन्द्र शर्मा	.. ,,	१–७–१९६१	
१६	,, सदा नन्द सिनहा	.. ,,	११–२–१९६०	
१७	,, भरत सिंह	.. ,,	१–७–१९६१	
१८	,, आनन्द स्वरूप	.. ,,	१८–७–१९६१	
१९	,, सुरेन्द्र सिंह ..	.. ..	११–८–१९५९	
२०	,, ख्याली राम जोशी	.. ,,	१–९–१९६१	
२१	,, दीप नारायण टंडन	.. ,,	५–३–१९६०	
२२	,, सहदेव प्रसाद यादव	.. ,,	१३–८–१९६०	अपरान्ह
२३	,, रुद्र नारायण श्रीवास्तव	.. ,,	२५–१–१९६१	
२४	,, निरंकार नाथ सक्सेना	.. ,,	२–७–१९६२	
२५	,, श्याम नारायण श्रीवास्तव	.. ,,	१५–१–१९६२	
२६	,, नन्हें लाल वर्मा	.. ,,	३–३–१९६२	
२७	,, वैजनाथ वाजपेयी	.. ,,	२३–६–१९६२	
२८	,, कैलाश बिहारी श्रीवास्तव	.. ,,	३–८–१९६२	
२९	,, शिवकर्ण शुक्ल	.. ,,	४–११–१९५९	
३०	,, ब्रजेश कुमार वर्मा	.. ,,	२०–८–१९६२	

क्रम-संख्या	नाम	पद नाम	तैनाती की तिथि	टीका
१	२	३	४	५
३१	श्री ओम प्रकाश शर्मा ..	कनिष्ठ लिपिक	६–८–१९६३	
३२	,, मो० अशफाक उल्लह सिद्दीकी	,,	२७–८–१९६२	
३३	,, राजेन्द्र कुमार भटनागर ..	,,	२७–८–१९६२	
३४	,, वेद प्रकाश त्रिवेदी ..	,,	२७–८–१९६२	
३५	,, खुशी लाल ..	दफ्तरी	२५–११–१९४८	
३६	,, सन्त बहादुर ..	चौकीदार	६–११–१९५७	
३७	,, पीताम्बर ..	पानीवाला	२७–९–१९५१	
३८	,, छत्र पाल ..	स्वच्छकार	८–८–१९६०	
३९	,, मोहम्मद दीन ..	चपरासी	१–११–१९४६	
४०	,, हीरा मणि ..	,,	२९–५–१९६२	
४१	,, शिव अधार ..	,,	८–४–१९४८	
४२	,, बख्तावर सिंह ..	,,	३–७–१९५२	
४३	,, पन्ना लाल ..	,,	२७–४–१९५४	
४४	,, भैरों प्रसाद ..	,,	५–३–१९६०	
४५	,, श्याम लाल ..	,,	२–९–१९६१	

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७२ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	श्रेणी का नाम		कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या	अस्थाई कर्मचारियों की संख्या
१	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग	एक	२३	११	१२
२	" " "	दो	१८	६	१२
३	" " "	तीन	२५	३	२२
४	चौधरी ..	..	१३	५	८
५	लिपिक ..	..	२३	११	१२
६	माली मजदूर आदि	..	१७२	९५	७७
७	चौकीदार, चपरासी तथा अटेंडेंट	..	४५	१३	३२
	योग	..	३१९	१४४	१७५

अनुपूरक प्रश्नों के हेतु सामग्री

राजकीय उद्यान तथा अनुसंधान केन्द्र, सहारनपुर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एक यूनियन अप्रैल, १९५९ को ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हुई परन्तु अभी तक इसको सरकारी मान्यता नहीं दी गई है। इस यूनियन ने जो मांगे पेश की हैं वे निम्नलिखित हैं :

(१) सरकार द्वारा यूनियन को मान्यता,

(२) मजदूरों के वेतन और महंगाई में २५ प्रतिशत की वृद्धि,

(३) उद्यान के कर्मचारियों को सी० पी० फन्ड तथा पेन्शन की सुविधायें दी जायं।

(४) नियुक्ति के समय यूनियन से परामर्श लिया जाय और सम्बन्धियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय।

(५) मजदूरों के लिये एक अलग औषधालय खोला जाय,

(६) उनको मुफ्त निवास स्थान अथवा उसके उपलक्ष्य में विशेष भत्ता दिया जाय।

उपर्युक्त मांगों पर सरकार द्वारा विचार हो चुका है और इस सम्बन्ध में कृषि मन्त्री द्वारा ४ अप्रैल, १९६१ को एक वक्तव्य भी दिया जा चुका है कि उपर्युक्त मांगों को मानना सरकार के लिये सम्भव नहीं है। यह वक्तव्य पताका "व" पर प्रस्तुत है। कृषि निदेशक से भी यूनियन को उपर्युक्त सूचना दे देने के सम्बन्ध में आदेश दिये जा चुके हैं। यूनियन ने जिसने कि हड़ताल का नोटिस दिया था अब इसको वापस ले लिया है। इस सम्बन्ध में यूनियन का एक शिष्ट मंडल श्रम तथा कृषि मन्त्री जी से भी मिल चुका है।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ तथा ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७३ पर)

तालिका

सहारनपुर उद्यान

साल	खर्च	आमदनी	लाभ-हानि
	रु०	रु०	रु०
१६५७–५८	१,१५,३५४	१,१६,७३६	१,३८२(+)
१६५८–५६	१,१०,२६६	१,११,३८१	१,११५(+)
१६५६–६०	१,१२,६६६	१,१३,०२१	२२(+)
१६६०–६१	२६,६१४	२६,७०४	१०(+)
१६६१–६२	२६,३१७	२६,७००	३८३(+)
	चकराता उद्यान		
१६५७–५८	१२,६२३	१३,०६६	२४३(+)
१६५८–५६	१८,७००	१६,७५२	८७२(+)
१६५६–६०	२२,१०५	२२,६०७	५०२(+)
१६६०–६१	१७,३६३	१७,८०३	४४०(+)
१६६१–६२	१५,४१४	१५,५१६	१०५(+)

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८० पर)

तालिका

१	आगरा	..	११३	२८	हरदोई	..	९७
२	अलीगढ़	..	११९	२९	जौनपुर	..	१६१
३	इलाहाबाद	..	२७२	३०	जालौन	..	२८
४	अल्मोड़ा	..	१५४	३१	झांसी	..	५८
५	आजमगढ़	..	१८३	३२	कानपुर	..	१४३
६	बहराइच	..	५४	३३	खीरी	..	५८
७	बलिया	..	२९९	३४	लखनऊ	..	११७
८	वाराणसी	..	३३३	३५	मैनपुरी	..	७६
९	बांदा	..	४२	३६	मथुरा	..	८२
१०	बाराबंकी	..	८१	३७	मेरठ	..	९१
११	बरेली	..	४३	३८	मिर्जापुर	..	५१
१२	बस्ती	..	१३४	३९	मुरादाबाद	..	५७
१३	बिजनौर	..	३३	४०	मुजफ्फरनगर	..	४४
१४	बदायूं	..	५५	४१	नैनीताल	..	१६४
१५	बुलन्दशहर	..	९२	४२	पीलीभीत	..	५५
१६	देहरादून	..	३२	४३	प्रतापगढ़	..	६४
१७	देवरिया	..	२७६	४४	पिठौरागढ़	..	२२
१८	एटा	..	१०४	४५	रायबरेली	..	१४४
१९	इटावा	..	११७	४६	रामपुर	..	७
२०	फैजाबाद	..	८६	४७	सीतापुर	..	४०
२१	फर्रुखाबाद	..	११३	४८	सहारनपुर	..	५१
२२	फतेहपुर	..	७५	४९	शाहजहांपुर	..	४७
२३	गढ़वाल	..	७५	५०	टेहरी गढ़वाल	..	४
२४	गाजीपुर	..	३३६	५१	उन्नाव	..	१३९
२५	गोंडा	..	५७	५२	चमोली	..	१८
२६	गोरखपुर	..	१३०	५३	सुल्तानपुर	..	३०
२७	हमीरपुर	..	८१	५४	उत्तर काशी	..	..

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांथित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८६ पर)

क्रम- सं०	नाम पद	कर्मचारियों की संख्या					कुल योग	कुल योग में परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या
		इलाहाबाद	मिर्जापुर	वाराणसी	जौनपुर	प्रतापगढ़		
१	कन्डक्टर	१९०	६५	२१२	१०१	४५	६१३	५३
२	बस निरीक्षक (ए० टी० आई०)	२१	७	२२	११	८	६९	२
३	जूनियर (बुकिंग क्लर्क)	११२	३९	१२५	६४	३५	३७५	७
४	मजदूर	४१	१५	२७	२२	३	१०८	१८
५	क्लीनर	१०८	१८	४६	३४	१७	२२३	४१
६	(अ) चपरासी ..	१८	२	३	२	१	२६	३
६	(ब) अर्दली चपरासी ..	६	..	१	..	..	७	२

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८७ पर)

(१) अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा पास होना चाहिये।

(२) आयु १८ से ३५ वर्ष के बीच होनी चाहिये।

(३) आवश्यक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये।

(४) तत्पश्चात् रीजनल सेलेक्शन कमेटी द्वारा मौखिक परीक्षा तथा वैयक्तिक साक्षात्कार के अन्तिम चुनाव में उत्तीर्ण होना चाहिये।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०९ एल० ए०—१९६३—८३०।